द्वितीय माला, खण्ड २३—अंक २०
१२ दिसम्बर, १९५८ (शुक्रवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha
(Sixth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २३ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

302 (Ai) LSD

विषय-सूची

[द्वितीय माला खंड २३—अंक ११ से २०—१ दिसम्बर से १२ दिसम्बर, १९५८]

अंक ११—सोमवार, १ दिसम्बर, १९५८ — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२, ३९४, ३९५, ३९७ से ३९९, ४०१ और ४०४ से ४०७ . . — १०५५–७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ — १०७८–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ३९३, ३९६, ४००, ४०२, ४०३, ४०८, से ४२४ और ४२६ से ४५२ . . . — १०८०–११०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९५ से ६१०, ६१२ से ६३० और ६३२ से ७०५ . . . . — ११०४–४८

सभा पटल पर रखे गये पत्र — ११४८

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . — ११४९–५१/
खण्ड २, ३ और ३-क . — ११५१–८०

कार्य मंत्रणा समिति—
बत्तीसवां प्रतिवेदन . . . — ११८१

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (संगठन तथा कार्यवाही) के बारे में — ११८१

दैनिक संक्षेपिका — ११८२–८८/

अंक १२—मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५३ से ४५६, ४५८ से ४६०, ४६२ से ४६४ और ४६६ से ४६८ . . — ११८९–१२१२/

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६१, ४६५ और ४६९ से ४९४ — १२१२–२५/

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०६ से ८०३ — १२२५–६६

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . — १२२५/

स्थगन प्रस्ताव . . . १२६७–६८

गन्ने का मूल्य बढ़ाने में कथित विफलता . १२६७–६८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १२६८–६९

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक १२७०–८५

खण्ड ४ और अनुसूची १२७५–८०

गाड़ियों के देर से चलने के बारे में चर्चा . १२८२–१३०४

दैनिक संक्षेपिका १३०५–१२

अंक १३—बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५००, ५०२ से ५०४ ५०६, ५०७ और ५०९ १३१३–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१० से ५१३, ५१५ से ५४९ और ५५१ से ५५९ १३३६–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ से ८२०, ८२२ से ८४६, और ८४८ से ८८४ १३५८–९३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १३९३–९४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन १३९४

समिति के लिए निर्वाचन

राजघाट समाधि समिति १३९४–९५

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक १३९५–१४०२

खण्डों और अनुसूची पर विचार . १३९५–९९

संशोधित रूप में पारित करने का विचार १३९९–१४०२

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव १४०२–१५

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवत्तियों के बारे में प्रस्ताव १४१५–२८

चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा १४२८–३३

दैनिक संक्षेपिका १४३४–४०

अंक १४—गुरुवार, ४ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६० से ५६३ और ५६५ से ५७४ . १४४१–६३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५६४ और ५७५ से ६०३ १४६४--७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९६५ और ९६७ १४७४--१५०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५०९--११

राज्य-सभा से संदेश . . १५११-१२

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक--सभा पटल पर रखा गया . १५१२

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली के बारे में याचिका १५१२

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव १५१२--४६

दैदिक संक्षेपिका १५४७--५८

अंक १५--शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६०६, ६०७, ६०९, ६११ से ६१७, ६१९, ६२० और ६२३ से ६२६ १५५५--७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६०५, ६०८, ६१०, ६१८, ६२१, ६२२ और ६२७ से ६५६ . . . १५७९--९५

अतारांकित प्रश्न संख्या ९६८ से १०१८, १०२० से १०३४ और १०३६ से १०३९ १५९५--१६२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६२४-२५

राज्य सभा सें संदेश १६२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान लिलाना--

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा किये गये ठेके १६२६--३२

सभा का कार्य . . १६३२

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव . . १६३३--४०

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव १६४०--४३

आसाम रायफल्स (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव १६४३--४६

खण्ड २ और १ १६४६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १६४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

इकतीसवां प्रतिवेदन १६४६

सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प . . . १६४७--६७

	पृष्ठ
देश में भूमि सुधारों की प्रगति का अनुमान लगाने के बारे में एक समिति के बारे में संकल्प	१६६७
एयर इण्डिया इंटरनेशनल की साप्ताहिक भारवाही विमान सेवा के बारे में आधे घंटे की चर्चा	१६६८–७२
दैनिक संक्षेपिका . .	१६७३–७९

अंक—१६ सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६५७ से ६६४ और ६६६ से ६७२	१६८१–१७०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६५, ६७३ से ६९१ और ६९३ से ७२३	१७०६–२८
अतारांकित प्रश्न संख्या १०४० से १०५८ और १०६० से १११५	१७२८–६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७६१–६२
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	१७६२
लोक लेखा समिति—	
दसवां प्रतिवेदन	१७६२
१९५८–५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों के बारे में विवरण	१७६२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पटसन के मूल्यों में गिरावट के कारण उत्पादकों की दशा	१७६३–६४
विधेयक पुर:स्थापित .	१७६४–६५
(१) प्रतिभूत संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक	
(२) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक	
(३) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक	
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	१७६५–१८०१
दैनिक संक्षेपिका .	१८०२–०८

अंक—१७ मंगलवार, ९ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२६, ७२८ से ७३०, ७३५, ७५३, ७३३, ७३६ से ७४१, ७४३ और ७४६ .	१८०९–३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५	१८३२–३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२४, ७२५, ७२७, ७३१, ७३२, ७३४, ७४२, ७४४, ७४५, ७४७ से ७५२ और ७५४ से ७७५ .	१८३३–४८

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १११६ से ११९७ . १८४८—८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८८८

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . १८८८—१९०३

हिमाचल प्रदेश (विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . १९०४—०९

संगठन तथा रीति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा १९०९—२५

शरवती जल विद्युत परियोजना के बारे में आधे घं े की चर्चा . १९२५—२७

दैनिक संक्षेपिका . . १९२८—३४

अंक—१८ बुधवार, १० दिसम्बर, १९५८

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के दसवें वार्षिक दिवस की ओर निर्देश १९३५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७६ से ७७९, ८०७, ७८० से ७८७ १९३६—५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८८ से ८०६ और ८०८ से ८३८ . १९५८—७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९८ से १२८० . . . १९७९—२०१५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २०१५-१६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—
बत्तीसवां प्रतिवेदन . . २०१६

समिति के लिये निर्वाचन—

विश्वभारती की संसद २०१७

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित २०१७

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २०१८—२८

खण्ड १ से ५ २०२८

पारित करने का प्रस्ताव . २०२८—३०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . . २०३०—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २०५४—६१

अंक--१९, गुरुवार, ११ दिसम्बर, १९५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९ से ८४३, ८४६ से ८५१ और ८५४ २०६३--८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४४, ८४५, ८५२, ८५३ और ८५५ से ८८९ . २०८५--२१०२

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८२ से १२९९ और १३०१ से १३४२ २१०२--२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१२९

तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ के उत्तर को शुद्ध करने के लिए वक्तव्य २१२९-३०

जानकारी का प्रश्न . . . २१३०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . २१३०--३२

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . २१३२--५४

खण्ड २ से ८ और १ २१५४--६१

पारित करने का प्रस्ताव २१६१-६२

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५५-५६ और १९५६-५७ २१६५--७३

दैनिक संक्षेपिका . . . २१७५--८०

अंक --२० शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नो के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ८९५, ८९९, ९०१, ९०२, ९०४, ९२६, ९०५, ९०६ और ९०८ . . . . २१८१--२२०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९६ से ८९८, ९००, ९०३, ९०७, ९०९ से ९२५ और ९२७ से ९३३ . . . . २२०३--१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १३४३-१४२३ और १४२५ से १४६३ . २२१६--७१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२७१

विशेषाधिकार समिति--

छठा और सातवां प्रतिवेदन . २२७२

राज्य सभा से सन्देश २२७२-७३

सभा का कार्य . . २२७३

विधेयक पुरस्थापित २२७३-७४

विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक

चलचित्र (संशोधन) विधेयक

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—— पृष्ठ

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २२७४—९३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——

बत्तीसवां प्रतिवेदन . . . . . २२९३—९४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित . . . . २२९४—९५

(१) श्री राम कृष्ण का औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (धारा १५ का संशोधन)।

(२) श्री राम कृष्ण का जांच आयोग (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन)।

(३) श्री राम कृष्ण का न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक (अनुसूची का संशोधन)

(४) श्री राजेन्द्र सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक (प्रस्तावना का संशोधन तथा अनुच्छेद ३८ का प्रतिस्थापना)

(५) श्री श्रीनारायण दास का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १३६, २२६, २२७ २२८ और ३२९ का संशोधन)

सिख गुरुद्वारा विधेयक——

परिचालित करन का प्रस्ताव . . . . २२९६—२३१२

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव २३१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २३१३—२०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १९५८

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पी ासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जम्मू तथा काश्मीर में फ्लाइंग क्लब

†*८६०. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य में फ्लाइंग क्लब की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार यथा शीघ्र ऐसे क्लब की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी नहीं ।

(ख) फ्लाइंग क्लब की स्थापना के प्रश्न पर निर्णय स्थानीय निवासियों अथवा राज्य सरकार के हाथ में है । यदि जम्मू तथा काश्मीर में फ्लाइंग क्लब की स्थापना की गयी तो सरकार अपनी राज-सहायता देने की योजना उनके लिये भी बढ़ा सकती है ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सिलसिले में हकूमत जम्मू और काश्मीर ने आपके पास क्या कोई सिफारिशें भेजी हैं ?

श्री मुहीउद्दीन : अभी तक कोई सिफारिशें नहीं आई हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या छात्रों और सामान्य जनता ने कोई अभ्यावेदन किये हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन :** अब तक तो नहीं कि हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या किसी राज्य के निवासी ही फ्लाइंग क्लब बना सकते ह या राज्य सरकार भी इस सम्बन्ध में पहल कर सकती है ?

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मुहीउद्दीन : राज्य सरकार भी किसी राज्य की निवासी ही होती है । निश्चय ही, सरकार भी पहल कर सकती है ।

श्री अ० मु० तारिक : इस हकीकत के पेशनज़र कि जम्मू और काश्मीर में तालीम आम है और तालिबइल्म हवाबाजी में दिलचस्पी रखते हैं कि वहां पर इसकी सख्त जरूरत है। ऐसी हालत में क्या हकूमत हिन्दुस्तान का यह फर्ज नहीं होता है कि फ्लाइंग क्लब को यह वहां खुद ही स्टेबलिश करे ?

श्री मुहीउद्दीन : यह आपकी तजवीज़ है । मैं जरूर इस मामले पर गौर करूंगा ।

गोखले समिति

†*८९१. { श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी० के० गोखले की अध्यक्षता में जो अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति नियुक्त की गयी थी उसके अब तक के कार्य में और कितनी प्रगति हुई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : समिति ने तब से बिहार और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जल-मार्गों के अलावा पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी निगम की दुर्गापुर बांध से हुगली तक की नौपरिवहन नहर का दौरा कर लिया है ।

†श्री राम कृष्ण : पहले एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि अंतरिम प्रतिवेदन आने की आशा है । क्या वह प्रतिवेदन आ गया है ?

†श्री राज बहादुर : मैं सभा को बाता चुका हूं कि इस समिति की अन्तरिम सिफारिशें मिल चुकी हैं और अब वह सम्बंधित सरकारों के विचाराधीन हैं ।

†श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह समिति कई वर्ष पहले बनायी गयी थी और अब भी ऐसा तीत होता है कि इसके काम में कुछ और वर्ष लग जायेंगे, क्या सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से कम से कम अन्तरिम सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये शीघ्रतापूर्ण कार्यवाही का कुछ प्रयास कर रही है ?

†श्री राज बहादुर : समिति को अपने कार्य में एक बहुत बड़े क्षेत्र के सम्बन्ध में जांच, सर्वेक्षण और चर्चा का कार्य पूरा करना है और इन सभी के पूरे हो लेने के बाद वह अपना अन्तिम प्रतिवेदन देगी। माननीय सदस्य जितनी जल्दी उसके आने की आशा कर रहे हैं उतनी जल्दी तो उस प्रतिवेदन के आने की आशा नहीं है । प्रत्येक राज्य के बारे में अन्तरिम सिफारिशें कर दी गयी हैं और अब इन्हीं सिफारिशों के बारे में भरसक कार्यवाही की जा रही है ।

†श्री हेम बरूआ : क्या यह सच है कि बिहार के व्यापारिक और ट्रेडयूनियन हितों ने एकमत हो कर गंगा क्षेत्र और संबद्ध अन्तर्देशीय जल-मार्गों के लिये एक नदी परिवहन निगम की मांग की है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : मेरे ख्याल से यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। फिर भी, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि राय यह है कि बिहार में पहले गयी सम्पूर्ण अन्तर्देशीय जल परिवहन योजना को फिर से लागू करना शायद संभव न हो क्योंकि यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि जब से यह सर्विस बन्द या खतम हुई है, उसका सारा यातायात या तो सड़कों द्वारा है या रेलवे द्वारा होने लगा है और उसके सम्बन्ध में कुछ भी कठिनाई नहीं होती है और बिहार के केवल कुछ ही क्षेत्रों में कोई योजना चलाना संभव हो पायेगा।

†**श्री तंगामणि** : जहां तक बकिंघम नहर का सम्बन्ध है, क्या गोखले समिति की अंतरिम सिफारिशें आंध्र प्रदेश और मद्रास राज्य की सरकारों को भेजदी गयी हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : जी हां। मद्रास और आंध्र प्रदेश की सरकारें उनके बारे में कार्यवाही कर रही हैं।

†**श्री जयपाल** : दामोदर घाटी निगम में नहरों द्वारा नौपरिवहन का जो वचन दिया गया था क्या उसके सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है ?

†**श्री राज बहादुर** : मुख्य प्रश्न के उत्तर में मैं अभी ही बता चुका हूं कि इस समिति ने दामोदर घाटी निगम क्षेत्र का दौरा अभी हाल ही में किया है और उस का अन्तरिम प्रतिवेदन हमें कुछ समय के बाद में ही मिलने की आशा है।

†**श्री नागी रेड्डी** : २७ सितम्बर १९५८ को एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि ये अन्तरिम सिफारिशें आंध्र प्रदेश और मद्रास की सरकारों को भेज दी गई हैं। क्या उन्हों ने कुछ कार्यवाही की है और यदि नहीं तो उन पर कब कार्यवाही की जायेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : मुख्य सिफारिश यह थी कि बकिंघम नहर के १७९वें और १८१वें मील के बीच में प्रयोग के रूप में तलकर्षण कार्य किया जाना चाहिये ताकि इस बात का पता लग सके कि तलकर्षण कार्य अथवा नहर को गहरा बनाने पर भी वह अपनी पिछली सतह तक पहुंचती है या नहीं। वे छः फुट की गहराई तक जाना चाहते हैं ताकि इस बात का पता लग सके कि यह असर होता है या नहीं। मद्रास के कुछ क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के प्रयोग किये जायेंगे।

कृत्रिम वर्षा

†*८९२ **श्री राम कृष्ण** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसून के दिनों में वाष्प-इंजेक्टर[1] लगा कर कृत्रिम वर्षा कराने की योजना पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के गवेषणा तथा मंत्रणा बोर्ड ने इस योजना की सिफारिश की है। अब इस योजना को धन के आवंटन के लिये दिसम्बर, १९५८ के अन्तिम सप्ताह में परिषद् की स्थायी वित्त समिति और शासी-निकाय के सामने रखा जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Steam Injectors.

†श्री राम कृष्ण : क्या सरकार इस प्रयोजन के लिये एक और अध्ययन-दल विदेश भेजने वाली है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : जी नहीं ।

†श्री राम कृष्ण : इस योजना के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : कुल १०,७०० रुपये दिये जा सकेंगे ।

†श्री विश्व नाथ रेड्डी : कृत्रिम वर्षा कराने के उद्देश्य से बादलों का अध्ययन करने के लिये पूरे चार वर्ष पहले विशेषज्ञों का एक दल आस्ट्रेलिया भेजा गया था । आस्ट्रेलिया में उस दल के कार्यों का क्या परिणाम निकला है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो योजना स्वीकार की जा रही है इस के अन्तर्गत एक इंच बारिश होने में कितना खर्चा बैठेगा ?

डा० पं० शा० देशमुख : जो खर्चा-वर्चा है उस का अभी तक कुछ अन्दाजा नहीं लगाया गया है । मगर आशा है कि जितनी बारिश होगी उस से कम खर्चा आयेगा ।

†श्री सम्पत : कृत्रिम वर्षा कराने के लिये केन्द्र ने जो तरीका अपनाया है क्या वह मद्रास सरकार द्वारा अपनाये गये तरीके से भिन्न है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : मेरा ख्याल है कि जिस व्यक्ति ने यह योजना सुझाई है वह मद्रास के क्षेत्रीय ऋतुविज्ञान केन्द्र के भूतपूर्व डाइरेक्टर डा० साबुर हैं । वह मद्रास के ही हैं इसलिये मेरा ख्याल है यह तरीका भी संभवतः वैसा ही है ।

†श्री वें० प० नायर : क्या सरकार ने कृत्रिम वर्षा कराने की लागत का हिसाब लगा लिया है और क्या यह निष्कर्ष निकाल लिया है कि एक वर्ग मील इंच कृत्रिम वर्षा कराने में कितना खर्च होगा ?

†अध्यक्ष महोदय : वह एक इंच के बारे में तो बता नहीं सकते एक वर्ग मील इंच के बारे में क्या बतायेंगे । अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

चीन पर बकाया राशि

†*८९३. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'समुद्रपार संचार सेवा' के सम्बन्ध में क्या चीन सरकार पर अब भी कुछ राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां तो कितनी ; और

(ग) उस की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) १,२९,२३० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास की मार्फत चीन सरकार से यह प्रश्न उठाया गया है। भारतीय दूतावास ने खबर दी है कि जब तक चीन सरकार दूसरी सरकारों के इसी प्रकार के दावों के सम्बन्ध में कुछ निर्णय नहीं कर लेती तब तक वह भारतीय दावे को भी स्वीकार-अस्वीकार कुछ नहीं करेगी।

†श्री सुबोध हंसदा : चीन सरकार पर यह राशि कब से बकाया है ?

†श्री राज बहादुर : यह बकाया दिसम्बर, १९४८ से २४ मई, १९४९ तक की अवधि के बारे में है।

†श्री स० चं० सामन्त : यह राशि किस खाते बकाया थी ?

†श्री राज बहादुर : यह उपर्युक्त अवधि में बम्बई-शंघाई-बम्बई सीधी रेडियो टेलीग्राफ़ सर्विस द्वारा किये गये यातायात के खाते बकाया थी।

†श्री आसर : यदि यह राशि एक निश्चित अवधि के भीतर न वसूल हो गई तो क्या सरकार चीन को समुद्रपार संचार सेवा की सुविधायें बन्द कर देगी ?

†श्री राज बहादुर : यह राशि लन्दन की केबुल एण्ड वायरलेस लिमिटेड के पास जमा है। वास्तव में उन्होंने हमें यह विश्वास दिलाया है कि ब्रिटेन द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय होते ही वह हमें यह राशि दे देंगे या इसे हमारे हिसाब में जमा कर लेंगे।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : क्या ताइवान स्थित चीन-सरकार से यह राशि वसूल कर लेने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†श्री राज बहादुर : हमारा मूल दावा वास्तव में फारमूसा सरकार से किया गया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने केबुल एण्ड वायरलेस लिमिटेड से हमारा हिसाब कर देने के लिये कह दिया है। बाद में पेकिंग सरकार ने इस के सम्बन्ध में विवाद उठा कर अपना दावा उपस्थित किया। इन्हीं विरोधी-दावों के कारण इस राशि का हिसाब अब तक नहीं हो पाया है।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या इस बकाया के अलावा सीधी रेडियो टेलीफोन सर्विसों के बारे में भी और कुछ बकाया है ?

†श्री राज बहादुर : मुझे पता नहीं।

रबी-आन्दोलन

\+

†*८९४. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दी० चं० शर्मा :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री दामानी :
श्री विभूति मिश्र :
डा० राम सुभग सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रबी की फसल के लिये विशेष आन्दोलन के बारे में राज्य सरकारों से कुछ सूचनायें प्राप्त हुई हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या, और इस आन्दोलन का क्या परिणाम निकला है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). राज्य सरकारों ने अब तक प्रगति के बारे में कुछ भी सूचनायें नहीं भेजी हैं। फिर भी मन्त्रालय में जो पत्र और सूचनायें उपलब्ध थीं उन के आधार पर रबी आन्दोलन की अब तक की प्रगति का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२९]

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच है कि बुवाई के लिये जिन बीजों की जरूरत थी उन तक का संभरण नहीं किया गया, राजस्थान में इस आवश्यकता का ५० प्रतिशत अंश तक पूरा नहीं हो सका और उत्तर प्रदेश में तो इस रबी आन्दोल में ऐसी गड़बड़ी हुई कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में उस के सम्बन्ध में चर्चा उठी थी।

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : प्रस्ताव यह है कि किसानों को यथासंभव बेहतर बीजों का संभरण किया जाय। माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है। यह रबी-आन्दोलन के बारे में नहीं था, खरीफ़ की फ़सल के सम्बन्ध में धान के वितरण के सिलसिले में कुछ गड़बड़ी जरूर हुई थी।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : रबी-आन्दोलन के लिये राजस्थान सरकार को कितने बीजों की आवश्यकता थी और सरकार ने उस आवश्यकता का कितना अंश पूरा किया था ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : उन्होंने एक लाख मन मांगे थे और हम ने एक लाख मन दिये।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : कृषि सम्बधी ऋण देते समय क्या इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ऋण किसानों को समय से मिल जाय, क्योंकि मैंने देखा है कि बिहार में रबी की बुवाई के वक्त कुछ भी ऋण नहीं दिया गया ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : राज्य सरकारों से हमें अभी पूरे प्रतिवेदन नहीं मिले हैं। हमारे पास जो जानकारी हैं उस से पता चलता है कि बम्बई और उत्तर प्रदेश ने ऋण देने में बड़ी फुर्ती से कार्य-वाही की है। अन्य राज्यों के बारे में अभी हमारे पास सूचनायें नहीं आई हैं।

†श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या यह रबी-आन्दोलन देश भर के रैयतों को पूरे पैमाने पर सेवा की सुविधायें प्रदान करने की भूमिका के रूप में चलाया जा रहा है या यह केवल प्रयोगात्मक ही है ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : यह उन नौ राज्यो के सम्बन्ध में है जिनमें रबी की फसल पैदा होती ह और आन्ध्र भी उनमें है।

†श्री नागी रेड्डी : क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इस आन्दोलन के लिये अधिक उर्वरकों का संभरण किया गया, और यदि हां, तो कितना ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : जी हां, हमने न सिर्फ संभरण बढ़ा दिया वरन उसे ठीक समय से दिया जो रबी आन्दोलन के लिये सबसे महत्व की बात होती है। जहां तक आंकड़ो का सम्बन्ध है, मुझे राज्यों से अभी सब आंकड़े नहीं मिले हैं।

†श्री रंगा : कीमत कितनी थी ?

†श्री विश्वनाथ रेड्डी: मेरा प्रश्न यह था कि यह रबी आन्दोलन क्या वनमहोत्सव जैसा क्षणिक आन्दोलन ही रह जायगा या देश भर के कृषकों के लिये सेवा-सुविधायें उपलब्ध करने वाले स्थायी संगठन का रूप ल लेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : यह आन्दोलन फिर भी चलाया जायगा ।

†**श्री त्यागी** : इस रबी आन्दोलन के मुख्य कृत्य क्या हैं और उसमें क्या बातें शामिल थीं ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : इसका मुख्य कृत्य इस प्रकार संगठन और व्यवस्था करना है कि सभी संसाधनों का उपयोग किसानों के अधिकतम लाभ के लिये किया जाये और वह रबी की फसल ठीक समय पर बो सकें । इस आन्दोलन में अधिकांशतः बढ़िया बीजों, उर्वरकों और खेती के औजारों आदि का संभरण, अच्छे बीज तैयार करने, पौधों के परिरक्षण और किसानों को ऋण सम्बन्धी सुविधायें देने और परामर्श देने का कार्य शामिल है ।

†**श्री त्यागी** : क्या ये सुविधायें पूरे वर्ष भर उपलब्ध नहीं होतीं ? क्या बढ़िया बुवाई के लिये ये सुविधायें किसानों को केवल १५ दिन या लगभग इतनी ही अवधि के लिये मिल सकेंगी ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : इसका प्रयोजन ऐसी व्यवस्था करने का है जिसमें ये संसाधन ठीक समय रहते किसानो के पास पहुंच जायं और समय रहते ही उनका उपयोग कर लिया जाय ताकि देश में अधिक अन्न उपजाया जा सके ।

†**श्री रंगा** : जिन उर्वरकों का संभरण किया जा रहा है उनके भाव कितने प्रतिशत बढ़े हैं ? क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि उर्वरकों की कमी के कारण उर्वरकों के बाजार में बड़ी चोर बाजारी चल रही है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : रबी आन्दोलन के सम्बन्ध में उर्वरकों के भाव नहीं बढ़े हैं । माननीय सदस्य को पता है कि विदेशी मुद्राओं की कमी की वजह से हम विदेशों से उर्वरक प्राप्त नहीं कर सकते हैं इसलिये हम अपने देश की उर्वरकों सम्बन्धी मांगों को ५५ प्रतिशत से अधिक पूरा नहीं कर पाते ।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस रबी आन्दोलन पर कुल कितना व्यय हुआ है और क्या सरकार यह समझती है कि यह प्राप्त परिमाणो के अनुरूप है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : इस आन्दोलन के सम्बन्ध में जो अतिरिक्त व्यय होगा वह बहुत ही थोड़ा होगा । मैं बता चुका हूं कि यह आन्दोलन केवल इसलिये है कि देश में उपलब्ध वर्तमान संसाधनों को संगठित किया जाय और किसानों तक उन्हें पहुंचाने में शीघ्रता कराई जाय । और राज्य सरकारें अपने कृषि निदेशकों के हाल के सम्मेलन में इस बात से सहमत हो गयी हैं कि उन्होंने जो भी अतिरिक्त व्यय किया है उसे वह अपने राज्य के भीतर के साधनों से ही पूरा कर लेगी ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि हमारे खाद्य मन्त्री, श्री अ० प्र० जैन ने स्नातकोत्तर गवेषणा संस्था के उदघाटन के अवसर पर यह शिकायत की थी कि कुछ राज्यों ने कृषि को बहुत ही गौण स्थान दिया है; और यदि हां, तो ये राज्य कौन-कौन से हैं और रबी आन्दोलन में यह किस हद तक सहयोग करते हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : वास्तव में इस प्रश्न का रबी आन्दोलन से बहुत थोड़ा सम्बन्ध है । जहां तक रबी आन्दोलन का प्रश्न है, यह नौ राज्यों में आरम्भ किया गया था और इन सभी ने बड़ी अच्छी तरह सहयोग किया है ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या इस आन्दोलन में गैर-सरकारी अभिकरणों का सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किये गये थे, और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० प्र० जैन यह तो इस आन्दोलन की मुख्य विशेषताओं में से एक थी ।

†श्री नारायणन् कुट्टे मेनन : उपमन्त्री महोदय ने अभी कहा कि विदेशी मुद्राओं की कमी के कारण देश की ५५ प्रतिशत से अधिक उर्वरको सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी नहीं की जा सकतीं । क्या यह सच है कि सरकार ने निर्माण, आवास और संभरण मन्त्रालय के अधीन बगीचों की देख रेख के लिये एक विदेशी फर्म से हाल ही में १ करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्य के उर्वरक खरीदने का ठेका किया है ?

†श्री अ० प्र० जैन : मुझे इसका पता नहीं है । यदि ऐसी बात हो तो यह प्रश्न सम्बन्धित मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये ।

†श्री जाधव : रबी आन्दोलन कुल कितने एकड़ भूमि में आरम्भ किया गया है और तुलनात्मक दृष्टि से कितनी उपज होने की सम्भावना है ?

†श्री अ० प्र० जैन : हमें अभी ये आंकड़े नहीं मिले हैं और अभी से सम्भावित पैदावार के बारे में कोई प्राक्कलन तैयार करना सम्भव नहीं है ।

†श्री रंगा : इस विशेष आन्दोलन के फलस्वरूप सरकार को किस दिशा में अधिक उत्पादन होने की आशा है जबकि वह स्वयं यह बात स्वीकार करती है कि बीज और उर्वरकों के संभरण में कमी रही है ?

†श्री अ० प्र० जैन : इस आन्दोलन का उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों को संगठित करना था और इन संसाधनों का संगठन कर लिया गया था ।

†श्री फीरोज गाँधी : पिछले वर्ष कितने बीज बांटे गये थे और इस वर्ष कितने बांटे गये हैं ?

†श्री अ० प्र० जैन : हमें इस वर्ष बांटे गये बीजों के आंकड़े राज्य सरकारों से अभी तक नहीं मिले हैं ।

†श्री फीरोज गांधी : मेरा तात्पर्य केन्द्रीय सरकार द्वारा बांटे गये बीजों से था ।

†श्री अ० प्र० जैन : सरकार ने दिल्ली के राज्य-क्षेत्र को छोड़ कर और कहीं सीधे अपने आप बीज नहीं बांटे हैं । पिछले साल हमने बिल्कुल बीज नहीं बांटे थे, इस वर्ष ६,००० मन दिये हैं ।

†श्री फीरोज गांधी : राज्य सरकारों को आपने कितने का संभरण किया है ?

†श्री अ० प्र० जैन : इस वर्ष हमने राज्य सरकारों को नौ लाख मन बीजों का संभरण किया है । पिछले साल हमने केवल लगभग ३ लाख मन दिये थे ।

दिल्ली में कुष्ठ-रोगी

†८९५. श्री बहादुर सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में कुष्ठ रोगियों की समस्या का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : कुष्ठ रोग दिल्ली का स्थानिक रोग नहीं है । दिल्ली में कुष्ठ रोग की समस्या उन कुष्ठ रोगियों के सम्बन्ध में है जो अन्य राज्यों से यहां आ गये हैं । उन्हें शाहदरा

†मूल अंग्रेजी में

के निकट ताहिरपुर के कुष्ठ-रोगी भवन में रखा जाता है और इसमें प्रवेश लेना रोगी की इच्छा पर निर्भर है। इसमें लगभग १३० से १४० निवासियों के लिये झोंपड़े उपलब्ध हैं। दरिद्रालयों की तरह के कुष्ठ-रोगी भवन की स्थापना का प्रश्न दिल्ली नगरपालीय अधिनियम के विचाराधीन है।

†**श्री बहादुर सिंह** : क्या दिल्ली नगरपालीय निगम ने भारत सरकार से दिल्ली नगरपालीय निगम अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने का औपचारिक अनुरोध किया है ताकि निगम इस समस्या का सामना करने के लिये प्रभाव पूर्ण कार्यवाही कर सके, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**श्री करमरकर** : जहां तक मुझे पता है, यह मसला उनके विचाराधीन है।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या मन्त्री महोदय ने शाहदरा के निकट इन झोंपड़ों में जाकर वहां की दयनीय स्थिति का निरीक्षण किया है, और दूसरे, क्या यह सच है कि कोढ़ियों के लिये स्थान के उपबन्ध का प्रश्न पहले तो प्रथम पंचवर्षीय योजन में शामिल था लेकिन बाद में इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मिला लिया गया और अब इसे किन कारणों से टाला जा रहा है ? पूरी प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भी आधे से अधिक भाग बीत चुका है, और अब हम इसके मूर्त्त होने की आशा कर सकते हैं ?

†**श्री करमरकर**: इसमें करीब करीब चार प्रश्न हैं। पहली बात तो यह है कि हम अब उन्हें कोढ़ी नहीं कहते। शिष्टाचार की वजह से और इस कारण भी कि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, हम उन्हें कुष्ठ रोगी कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक मेरे वहां जाने का प्रश्न है, मुझे वहां जाने का दुर्भाग्य हो चुका है। वह बड़ी ही निराशाजनक जगह है और मैंने वहां की दयनीय दशा देखी है। मैंने सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान इस मसले की ओर आकृष्ट किया है। मुझे सभा को यह बताते प्रसन्नता होती है कि निगम और दिल्ली प्रशासन इस समस्या पर अपना सक्रिय ध्यान दे रहे हैं। मैं बता चुका हूं कि कुष्ठ रोग दिल्ली का स्थानिक रोग नहीं है और दिल्ली के लिये प्रसन्नता की बात है कि दिल्ली यहां इस रोग के प्रसार को प्रोत्साहित नहीं करती। इसका अर्थ यह हुआ कि यहां जो रोगी दान से रोजी कमाने आते हैं उनमें से ९९ प्रतिशत अन्य राज्यों से आये हुये लोग हैं।

जहां तक प्रश्न के आखिरी अंश का प्रश्न है, मैं अब तक उसे भूल गया हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह योजना के बारे में है।

†**श्री करमरकर**: जहां तक प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रश्न है, यह एक ऐसी बात है जिसका सीधा सम्बन्ध दिल्ली प्रशासन से है। इस समस्या के सम्बन्ध में हमने उनसे सम्पर्क कायम कर रखा था। हमने उनसे यह वादा किया है कि यदि वह सहायता के लिये कोई प्रस्ताव उपस्थित करेंगे तो उन्हें यथासम्भव अधिक से अधिक सहायता दी जायेगी। कठिनाई उतनी सहायता की नहीं है जितनी इस समस्या का सामना करने की है।

†**डा० सुशीला नायर** : कोढ़ियों और कुष्ठ-रोगियों का अन्तर स्पष्ट करने के लिये मंत्री महोदय ने जो बात कही उसका मैं स्वागत करती हूं। मैं उनकी इस बात का हृदय से समर्थन करती हूं कि उन्हें कुष्ठरोगी कहा जाये। मेरा प्रश्न यह है। मंत्री महोदय को पता है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् में यह जोरदार ढंग से सिफारिश की गयी थी कि अन्य राज्यों से आने वाले कुष्ठ-

---

†मूल अंग्रेजी में

रोगियों का जो भार पड़ता है वह केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिये ताकि किसी राज्य पर किसी अन्य राज्य से आने वाले रोगियों का भार न पड़े। सरकार ने इस सिफ़ारिश को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में क्या सिफारिश की है ?

†**श्री करमरकर :** जैसा मेरी माननीया सहयोगिनी ने कहा है, इस प्रश्न पर यों ही चर्चा की गयी थी और यह देखा गया कि राज्यों के अधिकारियों द्वारा कुछ कार्यों के किये जाने और कुछ के न किये जाने से जो भार पड़ता है भारत सरकार के लिये उन सबका वहन करना अव्यावहारिक होगा। और यदि एक बार उस प्रकार की कोई मिसाल कायम हो गयी तो न जाने वह कब तक चलती जायेगी। इसीलिये यह अनुभव किया गया कि कुष्ठ रोग के उन रोगियों का उत्तरदायित्व तथा भार लेना हमारे लिये सम्भव नहीं है, जो कि कहीं बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार के रोगियों का भार संभालना भारत सरकार के लिये व्यावहारिक नहीं है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** यह एक गम्भीर प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न क्या है ?

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** प्रश्न यह है कि कुष्ठ रोग के रोगियों को सन्तान उत्पत्ति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। इसके लिये कोई उपाय अपनाना आवश्यक है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान के अनुसार कुष्ठ रोग तथा तपेदिक के रोगी अधिक बच्चे उत्पन्न करते हैं और हमें अधिक बच्चों की आवश्यकता नहीं है। क्या उन्हें संतान पैदा करने के अयोग्य बना देने के सम्बन्ध में कोई योजना है ?

†**श्री करमरकर :** वास्तव में स्थिति यह है कि कुष्ठ रोग कोई पैतृक रोग नहीं है। फिर भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन रोगियों के बच्चों को अपने पिता के बहुत निकट रहना पड़ता है और बचपन में ही बच्चों पर उसका असर पड़ जाता है, इसलिये इस बारे में विचार किया जा रहा है कि रोगियों को किस प्रकार से सन्तान उत्पन्न करने के अयोग्य बनाया जा सकता है। कुछ एक मामलों में तो ऐसा करना अनिवार्य बना दिया गया है, परन्तु यह काम अभी तक व्यावहारिक नहीं समझा गया है।

†**श्री तिरूमल राव :** क्या माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि बहुत से भिखारी, जो कि इस रोग में लिप्त होते हैं, खींचे जाने वाली गाड़ियों में कनाट सर्कस के आस पास लाये जाते हैं जहां कि बहुत से लोग इकट्ठे हुए होते हैं, और यदि, हां, तो क्या माननीय मंत्री प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उन रोगियों को कुष्ठ रोग के अस्पतालों में भेज देने का प्रयत्न करेंगे ?

†**श्री करमरकर :** दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम इसी समस्या को तो हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं अभी तक तो इस सम्बन्ध में यही किया गया है कि रोगियों से कहा गया है कि वे स्वेच्छा से अपने आप को शाहदरे की कुष्ठ रोग की बस्ती में दाखिल करा लें। परन्तु उसमें अधिक सफलता नहीं मिली है क्योंकि रोगी वहां स्वेच्छा से आते हैं और स्वेच्छा से ही वापिस चले जाते हैं। यही सब से बड़ी समस्या है। अब हम उन्हें अनिवार्यता दाखिल करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन इस सम्बन्ध में सक्रिय विचार कर रहे हैं, हम इस बारे में हर प्रकार की सहायता देने के लिये तैयार हैं।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या ये कुष्ठ-रोगी आस-पास के गांवों में भी रोग फैला रहे हैं और यदि हां, तो इस के निराकरण के लिए क्या किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री करमरकर : जैसा मैं ने पहले बताया, यह जो रोग होता है, वह अधिक समय तक सम्पर्क में रहने से होता है। वह खाली यहां वहां घूमने से नहीं होता है, जैसे कोई टी० बी० पेशेन्ट कहीं जाये और उस से रोग दूसरे को लग जाये। पहली चीज़ यह होती है कि जो मरीज़ होता है, वह रोग से अत्यधिक पीड़ित होता है दूसरी चीज़ यह है कि जो मामले बहुत अधिक खराब हो जाते हैं वे लोग तो दीखने में भी बड़े भद्दे से मालूम होते हैं। हम इस सम्बन्ध में अपनी ओर से पूरा पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

रोहतक तथा खरवार के बीच रेल दुर्घटना

\+

†*८६६. { श्री सुबिमन घोष :
श्री रघुनाथ सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० सितम्बर, १६५८ को उत्तर रेलवे में रोहतक तथा खरवार के बीच शकूरबस्ती–जोंद सेक्शन में एक दुर्घटना हो गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उस में कितने व्यक्ति हताहत हुए हैं ;

(ग) उस दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(घ) क्या हताहत व्यक्तियों के लिये कोई प्रतिकर दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां।

(ख) एक व्यक्ति मारा गया था और तीन व्यक्तियों को मामूली सी चोटें आयी थीं। ये सभी लोग माल डिब्बों में पशुओं की रक्षा कर रहे थे।

(ग) जांच समिति ने यह फैसला दिया है कि इस दुर्घटना का कारण यह था कि पानी के टैंक का पीछे का बांया एक्सल जरनल टूट गया था, क्योंकि उसकी धातु में एक पुरानी त्रुटि मौजूद थी।

(घ) अभी तक नहीं।

†**श्री सुबिमन घोष :** क्या उसकी जांच करने के लिये कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया था, और यदि हां, तो क्या उसने कोई रिपोर्ट पेश की है और दुर्घटनाओं से बचने के लिये कोई सुझाव दिये हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हमने उसकी उपयुक्त जांच के लिये आदेश दे दिया है। सके लिये एक वरिष्ठ पदाधिकारी से कहा गया है। हम उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री सुबिमन घोष :** क्या जांच पूरी हो जाने पर उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** पहले उसकी जांच पूरी तो हो जाये।

†**श्री फीरोज़ गांधी :** क्या नियम यह नहीं है कि जब भी किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये तो उस स्थिति में उसकी जांच रेलवे के निरीक्षक द्वारा की जायेगी, न कि किसी और पदाधिकारी द्वारा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह कोई ऐसा मामला नहीं था। इस सम्बन्ध में यही अच्छा समझा गया था कि इसकी जांच किसी वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा करवायी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या नियम यह नहीं है कि यदि किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये तो उसकी जांच केवल रेलवे निरीक्षक द्वारा ही की जानी चाहिये ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** उसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** माननीय मंत्री ने अभी अभी यह बताया है कि घायल व्यक्तियों को तथा हत व्यक्ति के सम्बन्धियों को अभी तक प्रतिकर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उसके क्या कारण हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** दुर्घटना स्टेशन के बाहिर नजदीक ही हुई थी, और हताहत व्यक्तियों के मालिक वहीं पर आ गये और उन्हें ले गये थे। उन्होंने अभी तक दावे नहीं भेजे हैं इसलिये उन्हें प्रतिकर अदा नहीं किया गया है।

†**श्री सुबिमन घोष :** क्या कोई कार्यवाही की गयी है, और यदि हां तो किस के विरुद्ध ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ?

†**श्री तंगामणि :** उन्हें दिया जाने वाला प्रतिकर अधिक प्रतिकर अधिनियम के सामान्य दर के अनुसार दिया जायेगा या कि रेलवे मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार नये दर के मताबिक दिया जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** उसमें किसी यात्री की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिये यह रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती। यह दुर्घटना तो भारतीय घातक दुर्घटना अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत आती है।

†**श्री फीरोज गांधी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह एक यात्री गाड़ी थी और यात्री गाड़ी में ही वह मृत हुई थी, सलिये नियम के अधीन उस की जांच रेलवे के मुख्य निरीक्षक द्वारा की जानी चाहिये।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** वह एक मालगाड़ी थी, सवारी गाड़ी नहीं।

आन्ध्र प्रदेश से चावल की वसूली

†*९०१. **श्री परूलकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आन्ध्र के चार तटवर्ती जिलों से चावल की वसूली करना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उन जिलों में अप्रैल, १९५८ में लगभग कितना चावल फालतू था ; और

(घ) उस समय तक सरकार वहां से कितना चावल वसूल कर चुकी थी ?

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). इस समय वसूली के लिये नये आदेश जारी नहीं किये जा रहे हैं। वसूली का सहारा उस समय लिया जाता है जब कि मिल मालिकों और स्टाकिस्टों के पास तो चावल पर्याप्त मात्रा में हों, परन्तु सरकार को चावल न दिया जाये।

(ग) किसी विशेष समय में कितना चावल फालतू था इस बात का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है।

(घ) १२ अगस्त, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक की अवधि में लगभग २ लाख टन चावल वसूल किया गया था।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : वहां से चावल वसूल करते समय क्या सरकार ने वहां की अधिसूचना द्वारा निश्चित किये दरों के अनुसार ही दाम अदा किये थे, और यदि हां, तो फिर वसूली की क्या आवश्यकता थी ?

†श्री अ० प्र० जैन : हम जब भी चावल खरीदते हैं, उस समय हम अधिकतम दामों पर ही खरीदते हैं। हम ने मार्केट से चावल नहीं खरीदा, क्योंकि केरल राज्य कुछ चावल खरीदना चाहता था और हम उसे इस अवसर से वंचित नहीं करना चाहते थे।

†श्री पुन्नूस : क्या यह सच है कि केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की थी कि वह उसके लिये निश्चित दामों पर चावल खरीदे और केरल सरकार उसके लिये तथा परिवहन का खर्च देने के लिये तैयार है ?

†श्री अ० प्र० जैन : इस प्रश्न का सम्बन्ध आन्ध्र से है, केरल से नहीं।

†श्री नागी रेड्डी : अभी-अभी हमें यह बताया गया है कि चावल की वसूली इसलिये रोक दी गयी थी कि केरल सरकार उसे खरीदना चाहती थी। क्या यह सच है कि वसूली इसलिये रोक दी गयी थी कि आन्ध्र प्रदेश ने इसका विरोध किया था ?

†श्री अ० प्र० जैन : मैंने यह तो नहीं कहा है कि वसूली इसलिये रोक दी गयी थी कि केरल राज्य उसे खरीदना चाहता था। मैंने तो यह कहा था कि हम उसी समय चावल खरीदते हैं जबकि स्टॉक बाजार में मौजूद हो। हां, एक उद्देश्य यह भी था कि केरल उस चावल को खरीद सके।

†श्री नागी रेड्डी : उत्तर यह मिला है कि सरकार ने वसूली इसलिये रोक दी थी कि उस समय आन्ध्र प्रदेश के बाजारों में स्टॉक की कमी थी ?

†श्री अ० प्र० जैन : इसका उत्तर लिखा हुआ है, माननीय सदस्य स्वयं इसे पढ़ सकते हैं।

†श्री च० द० पाण्डे : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वसूली सरकार द्वारा की गयी थी और व्यापार आन्ध्र प्रदेश और केरल सरकारों के बीच था, केरल सरकार ने एक गैर-सरकारी एजेन्सी के द्वारा चावल खरीदने पर जोर क्यों दिया ?

†श्री अ० प्र० जैन : इसका उत्तर तो केरल सरकार से मांगा जाना चाहिये, न कि मुझ से।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : श्री पुन्नूस द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** : क्या सरकार की यह नीति है कि आन्ध्र प्रदेश के किसानों को तंग करके उन से केरल सरकार के लिये चावल खरीदा जाये, जब कि केरल सरकार स्वयं आन्ध्र के खुले बाजारों से चावल खरीद सकती थी ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : सरकार की इस प्रकार की नीति कभी भी नहीं रही है । भारत सरकार आन्ध्र से चावल वसूल करना चाहती थी और उसने नियंत्रित भाव निश्चित किये थे । बस इस सम्बन्ध म हम ने यही किया था ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या यह सच है कि केरल सरकार ने पूर्वी तटवर्ती जिलों से चावल खरीदने की अनुमति मांगी थी, परन्तु वह अनुमति नहीं दी गयी है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : किसी भी सरकार द्वारा इसके लिये अनुमति लेने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि इस क्षेत्र से स्वतंत्रतापूर्वक चावल लाया जा सकता है ।

†**श्री तंगामणि** : आन्ध्र के इन चार जिलों से वसूल किये गये २ लाख टन चावल में से कितना चावल केरल को व कितना मद्रास को संभरित किया गया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं यह तो नहीं बता सकता, परन्तु इस वर्ष केरल को ६८,००० टन चावल संभरित किया गया है ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : माननीय मंत्री ने बताया है कि केरल सरकार को अनुमति देने या न देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । परन्तु क्या यह सच नहीं है कि केरल सरकार ने विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार से इस बात की अनुमति मांगी थी कि उसे अतिरिक्त चावल के क्षेत्रों से मार्केट के चालू दरों पर चावल खरीदने की इजाजत दी जाये, और क्या यह भी सच नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने उसे इस सम्बन्ध में अनुमति नहीं दी थी ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : वह तो एक प्रकार से अपराध करने की अनुमति मांगने के समान है, क्योंकि नियंत्रित भाव पहले से ही थे . . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं नीति के मामलों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता ।

†**श्री पुन्नूस** : मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए तो उन्होंने यह कहा था कि अनुमति नहीं मांगी गयी थी, परन्तु अब वे कहते हैं कि अनुमति मांगी गयी थी ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं ने तो यह कहा है कि इसकी अनुमति मांगना एक प्रकार से किसी अवैध कार्य के लिये अनुमति मांगने के समान था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री यह कहना चाहते हैं कि केरल सरकार जानती थी कि ऐसी अनुमति मांगना अवैध है, इसलिये उसने अनुमति नहीं मांगी थी ।

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बार-बार यह अभ्यावेदन किया है कि समाहार मूल्य उतना नहीं है जितना कि काश्त की लागत की दृष्टि से होना चाहिये ? क्या आन्ध्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कई बार यह प्रार्थना नहीं की है कि चावल की वसूली के दाम बढ़ा दिये जायें ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन** : आन्ध्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अभ्यावेदन किया था कि वसूल किये जाने वाले चावल के दाम बढ़ा दिये जायें । सभी सम्बन्धित बातों पर विचार करने के उपरान्त केन्द्रीय सरकार ने यही फैसला किया है कि नियंत्रित दामों को बढ़ाना ठीक नहीं है ।

†**श्री तिरुमल राव** : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है, अतः इस के बारे में मुझे एक दो प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अब और अधिक प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता । परन्तु यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अधिक उत्सुक हैं तो मैं उसके लिये आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दे सकता हूं ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, नहीं । अब अगला प्रश्न ।

वाणिज्यिक दृष्टि से समुद्र का विदोहन[1]

†*९०२. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २५ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक दृष्टि से समुद्र के विदोहन के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). विदेशी कम्पनियों के सहयोग से मछली पकड़ने की गैर-सरकारी कम्पनियों की स्थापना की शर्तों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३०**] कुछ एक भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों ने पूछताछ भी प्रारम्भ करदी है ।

†**श्री संगण्णा** : इस समय मामले की क्या स्थिति है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : हाल ही में हम ने एक जापानी विशेषज्ञ को उड़ीसा में वैसी ही एक कम्पनी प्रारम्भ करने के लिये भेजा है जैसी कि बम्बई में प्रारम्भ की गयी है ।

†**श्री वें० प० नायर** : वाणिज्यिक दृष्टि से मछलियों को पकड़ने के सम्बन्ध में न तो प्रश्न में कोई बात स्पष्टतया पूछी गयी है और न ही उत्तर में कोई बतायी गयी है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने असीम 'सी वीड' (समुद्री घास) विदोहन करने के सम्बन्ध में कोई योजना बनायी है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : समुद्र का वाणिज्यिक दृष्टि विदोहन करने से यह तात्पर्य है कि समुद्र में उपलब्ध किसी भी वस्तु का वाणिज्यिक दृष्टि से विदोहन करना । समुद्र में विद्यमान हर प्रकार की सम्पत्ति का विदोहन किया जायेगा । 'सी वीड' भी समुद्र की एक सम्पत्ति है । उसका भी विदोहन किया जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण में बताया गया है कि नौकायें भारतीय तथा विदेशी पदाधिकारियों तथा नाविकों द्वारा चलायी जाती हैं । यदि हां, तो दोनों में कितना-कितना अनुपात है

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Commercial Emploitation of Seas.

और सरकार विदेशी पदाधिकारियों के स्थान पर भारतीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : हम ने केवल एक ही बम्बई में इस प्रकार की कम्पनी स्थापित की है और वह अच्छी प्रकार से चल रही है । वहां जापानी लोग हमारी भारतीय कम्पनियों के सहयोग से काम कर रहे हैं । वे कुछ एक भारतीयों को वहां पर प्रशिक्षण दे रहे हैं । जबतक भारतीय लोग भी वह काम सीख न जायें तब तक भारतीयों का कोई अनुपात निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

†**श्री संगण्णा** : इस समय जो परियोजना प्रारम्भ की जा रही है उस पर लगभग कितनी लागत आयेगी ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : यह तो परियोजना के आकार विकार और स्वरूप पर निर्भर करता है । बम्बई की परियोजना पर ५० लाख रुपये की लागत आयी है ।

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय मंत्री ने बताया है कि समुद्र के विदोहन में 'सी वीड' का विदोहन भी सम्मिलित है । क्या इस समय किसी भी कम्पनी के द्वारा वाणिज्यिक दृष्टि से 'सी वीड' का विदोहन किया जा रहा है और क्या सरकार ने इसे खाद्य तथा चारे रूप में इस्तेमाल करने की कोई योजना बनाई है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : अभी तक तो सरकारी रूप से 'सी वीड' का विदोहन नहीं किया गया है । परन्तु अब हम चाहते हैं कि न नयी र-सरकारी कम्पनि ों ारा उस का भी विदोहन किया जाये ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : आप प्रश्न संख्या ९२६ को भी ९०४ के साथ ही ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का विषय एक ही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां, ठीक है ।

चिकित्सा सम्बन्धी विषयों में प्रशिक्षण

†***९०४. डा० सुशीला नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) चिकित्सा सम्बन्धी विष ों में प्रशिक्षण के लि विभिन्न प्रकार की कितनी छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में उन में से कितनी त्रवृत्ति ों का उपयोग नहीं किया जा सका था; और

(ग) उन के अनुपयोग के क्या कारण थे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) निम्नलिखित प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जाती :—

(१) (i) प्रविधिक सहकार मिशन;

(ii) विश्व स्वास्थ्य संघ ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(iii) कोलम्बो योजना; और

(iv) यू० एन० टी० ए० ए० योजनायें ।

(२) अन्य प्रकार के गैर-सरकारी अभिकरणों की ओर से :—

रॉक फेलर फाऊंडेशन; न्यूफील्ड फाऊंडेशन ; फोर्ड फाऊंडेशन वेलकम फाऊंडेशन यूनिवर्सिटी आफ टोरन्टो, कनाडा ; यूनिवर्सिटी आफ सस्केतचेवन, कनाडा यूनिवर्सिटी आफ गोथन्वर्ग, स्वीडन; यूनिवर्सिटी आफ मलाया; यूनिवर्सिटी आफ पेरिस, फ्रांस; कार्ले फोर्लोनिनी इंस्टीट्यूट, रोम; नेशनल रिसर्च कौंसिल, कनाडा; रुथरफोर्ड कौंसिल, यू० के०; पापुलेशन कौंसिल, यू. एस. ए. रायल सोसाइटी, लन्दन; और आन्दरे मेयर, फ. ए. ओ. आदि ।

(३) विदेशी सरकारों की ओर से :—

स्वीडन, इटली, नीदरलैंड, पश्चिमी जर्मनी, रूस, पोलैंड, फ्रांन्स, चैकोस्लोवाकिया, यगोस्लाविया, स्विटजरलैण्ड, जापान, आस्ट्रेलिया, हंगरी आदि ।

(ख) और (ग). जानकारी कि त की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विशेषज्ञों का प्रशिक्षण

†*९२६. **डा० सुशीला नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न जानकारी दी गई ो :

(क) भिन्न-भिन्न फैलोशिप के अधीन प्रशिक्षित उन विशेषज्ञों की संख्या और किस्में क्या-क्या हैं जिनका चुनाव भारत सरकार द्वारा अथवा उनकी जानकारी से किया गया था ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों की सेवाओं का उनके विशिष्ट विषयों में प्राप्त शिक्षण के विषय में किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** (क) यह जानकारी स्पष्ट रूप में उन फैलोशिप के बारे में है जो केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई थी । १९५५ से १९५८ के लिये आवश्यक जानकारी बताने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३१]**

(ख) विभिन्न फैलोशिप योजनाओं के अधीन प्रशिक्षित सम्पूर्ण अधिकारियों का उपयोग यथा-सम्भव उनके प्रशिक्षण के विशेष विषयों की दिशा में ही किया जाता है ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या मंत्रालय में कोई वर्गीकरण किया गया है और क्या ऐसी कोई जानकारी रखी जाती है कि कितने व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग उनके प्रशिक्षण के विषयों में किया गया है और कितने व्यक्तियों का उपयोग उन के वि ों में नहीं किया गया है । क्या माननीय मं ी यह जानकारी देंगे ?

†**श्री करमरकर** : यह जानकारी मेरे पास तत्काल उपलब्ध नहीं है । उसके लिये पूर्वसूचना चाहिये । किन्तु अ कांश फैलोशिप उन लोगों को प्रदान की जाती है जो राज्य सरकारों विश्वविद्यालयों अथवा भारत सरकार के अधीन नियोजित हैं । अतः वह अपने-अपने स्थानों को लौट जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

किन्हीं स्थितियों में यह कार्य नया भी हो सकता है । सकी जानकारी देने के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इन स्कालरशिप के बारे में सरकार के पास कोई रजिस्टर नहीं होता है ?

†**श्री करमरकर** : रिपोर्ट देने तक ही हम जानकारी रखते हैं बम्बई से चुना गया कोई व्यक्ति प्रशिक्षण के पश्चात् बम्बई लौट जाये तो हम फिर आगे उसकी जानकारी नहीं रखते हैं ।

†**डा० सुशीला नायर** : मैं ने यह प्रश्न पूछा था कि अनेक स्त्री परुषों को विशिष्ट विषयों की ट्रानग के पश्चात् पुनः ऐसे स्थानों में नियुक्त कर दिया जाता है जहां उन के प्रशिक्षग से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है । क्या सरकार एक ऐसा रजिस्टर रखेगी जिसम यह बताया गया हो कि किन-किन स्त्री पुरु ों को क्या विशिष्ट प्रशिक्षग दान किया गया है, लौटने पर उनका क्या उपयोग किया गया और क्या उस प्रशिक्षग के उपयोग की सुविधायें उपलब्ध हैं ?

†**श्री करमरकर** : भारत सरकार की भी यह सम्मति है कि विशेष विषय में प्रशिक्षित व्यक्ति का उसी क्षेत्र में उपयोग किया जाये । किन्तु कभी-कभी ऐसा हो जाता है । मैं किसी विशेष मामले का उल्लेख नहीं करूंगा । यदि ऐसी जानकारी मुझे मिली तो मैं इसकी जांच करूंगा । राज्यों के मामले में यह कठिन हो जाता है । मान लीजिये एक व्यक्ति को लोक स्वास्थ्य या ऐसे ही किसी विषय की ट्रेनिंग मिली है और उसे कुष्ट रोग अस्पताल का प्रभारी बनाया गया है तो हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है । मैं फिर एक ऐसी सामान्य राय जारी करूंगा कि जहां तक सम्भव हो किसी विशेष विषय की ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्ति का उसी क्षेत्र में उपयोग किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय**: स्कालरशिप कौन मंजूर करता है । क्या इसका केन्द्रीय सरकार से कोई सबन्ध नहीं है ?

†**श्री करमरकर** : केन्द्रीय सरकार उन्हें प्रारम्भ करती है । विभिन्न राज्य सरकारें फलोशिप देती हैं । हमारे यहां केन्द्रीय चुनाव समिति है जिस में संबंधित संगठन भाग लेते हैं । राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और अन्य एजेंसियों से सिफारिशें करने के लि प्रार्थना की जाती है और हम उनकी जांच करते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का कथन यह है कि इन व्यक्तियों का उन्हीं क्षेत्रों में उपयोग क्यों नहीं किया जाता है जिन विषयों की उन्हें ट्रेनिंग मिलती है ?

†**श्री करमरकर** : श्रीमान्, स्थिति यह है कि राज्य सरकारें फैलोशिप प्रदान करती हैं और वह इच्छा प्रकट करती हैं कि उसे पुनः उस विशेषता प्राप्त दिशा में नि ोजित कर लिया जायेगा । हम इससे सन्तुष्ट हैं फैलोशिप प्राप्त कर वह लौट जाता है और दो वर्ष पश्चात् राज्य सरकार उसे किसी अन्य स्थान पर नियुक्त कर देती है । उस अवस्था में राज्य सरकार द्वारा किये गये इस कार्य से केन्द्रीय सरकार का क्या सम्बन्ध है ?

†**डा० सुशीला नायर** : क्या अपंग व्यक्तियों के उपचार में पांच वर्ष तक ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्ति को ग्रामीण दवाखाने में नियुक्त किया जायेगा ? चुनाव समिति क्या करती है ? क्या वह कार्यवाही का ब्यौरा रखती है ?

†**श्री करमरकर** : ऐसा करना उनके लिये अनिवार्य है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : प्रति महीने उन व्यक्तियों के बारे में एक ब्यौरा मिलता है जिन्हें विशेष प्रशिक्षण एवं फैलोशिप दी जाती है? उन्हें हर महीने यह विवरण दिया जाता है कि ट्रेनिंग प्राप्त व्यक्ति समुचित रूप से नियोजित किया गया है अथवा नहीं शिक्षा मंत्री को इस प्रकार का ब्यौरा दिया जाता है। क्या स्वास्थ्य मंत्री को भी ऐसा ही वृत्तान्त हर महीने मिलता है अथवा वह किसी अंडर सेक्रेटरी के पास ही रखा रहता है ?

†**श्री करमरकर** : हर कागज मंत्री के पास नहीं आता है। और मुझे विदेशों के संगठनों की ओर से स्कालरों और स्वयं स्कालरों से भी रिपोर्ट प्राप्त होती रहती हैं। उन के लौटने पर उनसे एक व्यापक विवरण मिलने की आशा की जाती है जिसे कैबिनेट के सामने भी रखा जाता है किन्तु हर महीने तो क्या हर वर्ष भी रिपोर्ट नहीं दी जाती है ।

†**श्री तंगामणि** : प्रश्न संख्या ९२६ के उत्तर के एक अंग—इस विवरण में बताया गया है कि १९५५-५६ और १९५६-५७ में ११३ चिकित्सक विदेश भेजे गये थे और ट्रेनिंग प्राप्त करने पर वह लौट आये। इनमें से कितने व्यक्ति पहले ही केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार में नियोजित थे और कितने प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे ।

†**श्री करमरकर** : विस्तृत ब्यौरे के लिये पूर्व सूचना चाहिये। किन्तु मौखिक रूप से मैं यह कह सकता हूं कि इनमें से अधिकांश व्यक्ति पहले ही नौकरी में थे पहले यह प्रथा थी कि बेरोजगार व्यक्तियों को ट्रेनिंग के लिये बाहर भेजा जाये। किन्तु ट्रेनिंग के पश्चात् उनके यहां लौटने पर उनकी नौकरी का सवाल उठता। अतः फैलोशिप के बारे में एक शर्त यह है कि जब वह बाहर जायें तो यहां लौटने पर उन के लिये एक निश्चित नौकरी होना चाहिये। मेरे उत्तर में बाद में संशोधन हो सकता है किन्तु मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले लोगों को बाहर भेजा गया हो। इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

पाल के जहाजों के उद्योग[1] के बारे में प्रादेशिक मंत्रणा समितियां

†*९०५. **श्री आचार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाल के जहाजो के उद्योग के बारे में एक केन्द्रीय और चार प्रादेशिक मन्त्रणा समितियां स्थापित करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या इन समितियों के हेडक्वार्टर के स्थान निर्धारण का निर्णय कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो वे स्थान कहां-कहां हैं ; और

(घ) उन समितियों के लिये गैर-सरकारी सदस्य किस प्रकार नियुक्त किये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). केन्द्रीय समिति बम्बई में स्थापित की जायेगी और चार प्रादेशिक समितियां पाल के जहाज संगठनों के चार प्रादेशिक हेडक्वार्टरों में रहेंगी ।

(घ) ४ सितम्बर, १९५८ के एक सरकारी संकल्प की प्रति, जिनमें समितियों की रचना बताई गई है, लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३२]** गैर-सरकारी सदस्यो का चुनाव सम्बन्धित हितों के परामर्श से किया जायेगा—इन्हें पत्र सम्बोधित

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sailing Vessels Industry.

किये जा रहे हैं। केन्द्रीय समिति के लिये दो संसत्सदस्यों का संसदीय-कार्य विभाग के परामर्श के पश्चात् सामान्य विधि से चुनाव कर लिया गया है ।

†**श्री आचार** : अन्य केन्द्र कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे; केन्द्रीय समिति बम्बई में रहेगा?

†**श्री राज बहादुर** : जामनगर, टूटीकोरिन, बम्बई और मसलीपत्तम ।

†**श्री आचार** : पश्चिम तट पर बम्बई के दक्षिण में कोई स्थान नहीं चुना गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : हमारे पास कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं कि पूर्वी तट से एक केन्द्र उठा कर पश्चिम में कर दिया जा ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या सरकार व्यापार में फैल रही असामाजिक प्रथाओं से अवगत है और यदि हां, तो यह समाजविरोधी प्रथाएं क्या हैं और इन्हें रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : समाज विरोधी प्रथाओं के बारे में हमें बराबर रिपोर्टें मिलती रहती है। किन्तु इस विषय की कुछ मर्यादाएं हैं और सरकार को इनके अधीन काम करना पड़ता है क्योंकि समुद्र में जहाजों में से माल फैंक देने इत्यादि की घटनाएं होती रहती हैं। इन परामर्शदाता समितियों का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि इन समाज विरोधी प्रथाओं को रोकने के लिये तरीके और उपाय ढूंढे जायें तथा उनके सम्बन्ध में सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत की जायें ।

†**श्री आसर** : क्या सरकार कोंकण से किसी गैर-सरकारी सदस्य को नियुक्त करने का विचार रखती है क्योंकि यह व्यापार वहीं पर केन्द्रित है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैंने यहां विवरण में समिति की रचना स्पष्ट कर दी है । मेरा विचार है कि इसमें पाल जहाज संघ, मालिक, टंडैल, अंडर राइटर (अभिगोपक), मालभाड़ा एजेंट्स, शिपर्स, सी-फेअरर्स और विधान सभाओं के सदस्य हैं—इनमें से अधिकांश गैर-सरकारी सदस्य ही हैं ।

†**श्री तंगामणि** : व्यापारिक पोत अधिनियम पारित करने के पश्चात् यह चार प्रादेशिक समितियां स्थापित की जा रही हैं। क्या यह प्रादेशिक समितियां और विशेष रूप से टूटीकोरिन में इनकी स्थापना करते समय सरकार उन व्यक्तियों पर विचार करेगी जो उस विशेष केन्द्र में इस दिशा में संलग्न हैं अथवा क्या उसमें भिन्न क्षेत्रों के व्यक्ति भी सम्मिलित रहेंगे ?

†**श्री राज बहादुर**: मैंने अभी-अभी उन विभिन्न वर्गों अथवा सैक्शनों का निर्देश किया है जिन्हें इस समिति में प्रतिनिधान दिया जायेगा। मेरा विचार है कि इसमें पाल जहाज उद्योग में संलग्न व्यक्तियों का व्यापक प्रतिनिधान किया गया है ।

†**श्री आचार** : मछुआ वर्ग इसमें रुचि रखता है। क्या उस वर्ग में से कोई व्यक्ति इसमें रहेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यूरोपियन ?

†**श्री राज बहादुर** : हम यहां पर पाल के जहाजों के उद्योग तथा उससे सम्बन्धित पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। यह उद्योग तटवर्ती जहाजों की यातायात आवश्यकता की पूर्ति करता है । इस दृष्टि से मछुओं को इसमें कदाचित् ही सम्मिलित किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** माननीय मंत्री ने कहा था कि परामर्शदाता समितियों को समाज विरोधी प्रथाएं रोकने के लिये तरीके ढूंढने की शक्तियां प्राप्त हैं तो क्या इसका यह अभिप्राय है कि समाज विरोधी प्रथाएं काफी मात्रा में हैं और न समितियों द्वारा उन्हें न रोकने तक उन्हें कम करने के लिये अभी तक कोई कदम नहीं उठाये गये हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** मेरा विचार है कि समाज विरोधी प्रथाएं रोकने में समिति की सिफ़ारिशें उपयोगी सिद्ध होंगी । इसके साथ ही भारतीय वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम के अनुसार नौवहन महानिदेशक के पास समाज विरोधी प्रथाओं को रोकने के लिये पाल के जहाजों का संचालन करने की शक्ति होगी ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या सरकार रेलवे मन्त्रालय के परामर्श से कुछ ऐसा माल अलग रखेगी जो तटवर्ती जहाजों और नौका पाल के जहाजों में लाभप्रद ढंग से ले जाया सकता है ?

†**श्री राज बहादुर :** सरकार की दृष्टि में यह महत्वपूर्ण विषय है । उद्योग ने इस आशय की मांग प्रस्तुत की है । उन पर भी विचार किया जायेगा ।

मनोरंजन रेलगाड़ी[1]

+

†*९०६. { **श्री वाजपेयी :**
श्री क० ला० पाटिल :
श्रीमती इला पालचौधरी : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बच्चों के लिये हाल ही में एक मनोरंजन रेलगाड़ी प्रारम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस योजना पर प्रारम्भिक एवं आवर्ती व्यय कितना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) से (ग). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). जी हां। मनोरंजन रेलगाड़ी में एक मिडगेट लोकोमोटिव है जो १'—३" गाज ट्रैक के लिये उपयुक्त है और जिसका वजन लगभग ५.८ टन है; दो सवारी डिब्बे हैं जिसम पचास बालक बैठा करते हैं; एक सवारी डिब्बे में गार्ड का ब्रेकवान जुड़ा हुआ है; स्टेशन की इमारत है; फुट ओवर ब्रिज हैं, सुरंग, पुल, लेवल क्रासिंग और सिग्नल के पूरे उपकरण तथा लोको और कैरिजशेड हैं और मरम्मत तथा निर्वहन के लिये टर्न टेबल है ।

(ग) अभी इस मनोरंजन गाड़ी का लेखा बन्द नहीं हुआ है और प्रारम्भिक व्यय का निर्देश सम्भव नहीं है । तथापि आशा है कि इस पर २ लाख ७० हजार रुपये खर्च हों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Joy-Ride Train.

आवर्ती व्यय अनुमानतः १५५० रुपये प्रति माह है जिसे बाल भवन बोर्ड, नई दिल्ली वहन करेगा ।

†**श्री वाजपेयी** : इस रेलगाड़ी को चालू करने के लिये दिल्ली को ही क्यों चुना गया है तथा क्या अन्य नगरों में भी ऐसी गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : सम्भवतः इसलिये कि दिल्ली राजधानी है । यदि निधि की कमी न हुई तो अन्य नगरों में भी उन्हें प्रारम्भ किया जा सकता है ।

†**श्री वाजपेयी** : क्या बच्चों को अपनी गाड़ियां स्वयं चलाने का प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : आखिर बाद में बच्चे स्वयं ही इनकी व्यवस्था करेंगे । उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है । बाल भवन के बच्चे प्रशिक्षित हैं । उनमें गार्ड, इंजन ड्राइवर, टिकट कलेक्टर, स्टेशन मास्टर हैं--यह सब बच्चे ही हैं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या बेलगांव स्टेशन पर बाढ़ लगा दी गई है? क्योंकि अन्यथा यह खतरनाक है ।

†**श्री सें० वें०रामस्वामी** : अभी पूरी तरह ऐसा नहीं किया गया है । कम्पाउण्ड की एक दीवार पर अभी पूरी तरह बाढ़ नहीं लगाई गई है ।

†**पण्डित द्वा० ना० तिवारी** : रेलवे को इस प्रयोग पर कितनी रकम खर्च करनी पड़ी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इसकी कीमत २,७०,००० रुपये है ।

सहकारी चीनी कारखाने

†*९०८. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) कितनी सहकारी चीनी फैक्टरियों ने कार्य प्रारम्भ कर गन्ना पेरना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) गन्ना उत्पादकों को गन्ने की कीमत भुगतान करने के बारे में उनकी व्यवस्था के मुख्य लक्षण क्या-क्या हैं ?

†**सहकार मंत्री (श्री पं० शा० देशमुख)** : (क) १४ ।

(ख) यद्यपि राज्य सरकारों और ेर-उत्पादकों को इन फैक्टरियों का सदस्य बनाया जाता है गन्ना उत्पादकों द्वारा दी गई अंश पूंजी ही इसका मुख्य भाग है। इन फैक्टरियों की प्रबन्ध व्यवस्था बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स करता है जिसमें अधिकांश गन्ना उत्पादक हैं । चूंकि सदस्य-गन्ना उत्पादक ही फैक्टरी के यथार्थ स्वामी हैं यह स्वाभाविक है कि इसका लाभ भी उन्हें ही मिलेगा । जहां तक गन्ना उत्पादकों को गन्ने की कीमत के भुगतान का प्रश्न है सामान्यतया फैक्टरियां उन्हें अग्रिम भुगतान करती हैं और जब लेखे को अन्तिम रूप दे दिया जाता है तब अतिरिक्त व्यय और संचालन सम्बन्धी अन्य व्यय के उपबन्ध के पश्चात् फैक्टरियां उन्हें अग्रिम रकम देती हैं और अन्तिम मूल्य का निर्णय करती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री झूलन सिंह** : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि इन फैक्टरियों ने संविहित रूप से निर्धारित न्यूनतम कीमत और देश के अन्य भागों में दूसरी फैक्टरियों द्वारा दी जाने वाली कीमत से अधिक दिया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : सहकारी फैक्टरियों में गन्ना उत्पादकों को अन्य फैक्टरियों की अपेक्षा अधिक कीमत दी है ।

†**श्री झलन सिंह** : क्या सरकार यह प्रयत्न करेगी कि भविष्य में यह फैक्टरियां सहकारी क्षेत्र तक ही सीमित रहें ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : नई फैक्टरियां अधिकांशत: सहकारी क्षेत्र में ही हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हिमाचल प्रदेश में चकबन्दी

*८९६. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल देश में कितने क्षे में चकबन्दी की गई है ;

(ख) यह योजना कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या यह सच है कि चकबन्दी योजना का कार्य जिस प्रकार किया जा रहा है उससे किसानों में बहुत असन्तोष है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) और (ख). जुलाई १९५८ तक लगभग ५४,९०० एकड़ । एक संशोधित योजना अभी हाल ही में बनाई गई है जिस के अनुसार १९५९–६० से ७ वर्षों के समय में ४,५७,००० एकड़ भूमि की चकबन्दी करने की आशा है ।

(ग) प्रशासन ने बताया कि आम तौर पर चकबन्दी का कार्य भली कार से किया जा रहा है ।

ग्राम सहायक शिविर और लोक सहायक सेना प्रशिक्षण शिविर

†*८९७. **श्री उ० च० पटनायक** : क्या **सामुदायिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ग्राम सहायक" (ाम नेता) प्रशिक्षण शिविरों को लोक सहायक सेना प्रशिक्षण शिविरों से समन्वित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री के सभा-सचिव (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बकिंघम नहर का यातायात सर्वेक्षण

†*८९८. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २० अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बकिंघम नहर के यातायात सर्वेक्षण की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर किये गये निर्णय का क्या स्वरूप है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

लीलाबाड़ी हवाई अड्डा

†*९००. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में लीलाबाड़ी हवाई अड्डे पर ८ से १५ अक्टूबर, १९५८ तक विमान नहीं उतर सके ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण मैं लोक-सभा के पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३३]**

(ख) लीलाबाड़ी विमान अड्डे की वर्तमान हवाई पट्टी में इस्पात प्लेटें लगी हुई हैं और वर्षा ऋतु में वहां थोड़ी अवधि के लिये पानी भर जाता है । पूरे वर्ष भर विमान सेवा जारी रखने के लिये वहां एक पक्का रनवे बनाने का विचार है । यह कार्य १९५९ में माच के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

सोवियत रूस म सहकारिता सम्बन्धी प्रशिक्षण

†*९०३. **श्री सुब्बया अम्बलम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस की एक गैर-सरकारी एजेंसी से कुछ दिनों पहले पचास भारतीय विद्यार्थियों को सहकारिता सम्बन्धी निःशुल्क प्रशिक्षण देने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस प्रस्ताव के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां । सोवियत रूस के सहकारी स्कूलों और कालेजों में प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें देने का प्रस्ताव सेन्ट्रोसोयुज[1] ने भेजा था ।

(ख) यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Centrosoyuz.

हीराकुद बांध परियोजना

†*९०७. **श्री पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुद नियंत्रण बोर्ड ने उड़ीसा सरकार को सुझाव दिया है कि हीराकुद परियोजना के लिये कुछ स्थायी पद बनाये जायें ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या हैं ; और

(ग) क्या नियंत्रण बोर्ड ने सिफारिश की है कि वर्तमान पदाधिकारियों की सेवायें ३० सितम्बर, १९५९ तक बढ़ा दी जायें ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) स्थायी बनाये जाने वाले पदों के ब्यौरे बनाये जा रहे हैं ।

(ग) जी हां ।

'एस० एस० जगदम्बा' में आग

†*९०९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालवाही जहाज 'एस० एस० जगदम्बा' पर बम्बई के प्रिंस डाक में ६ नवम्बर, १९५८ को आग लग गई थी जो लगभग ४ घंटे पश्चात् बुझाई गई ; और

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) फायर ब्रिगेड तथा पुलिस प्राधिकारी, बम्बई आग लगने के सही कारणों की जांच कर रहे हैं ।

भारत-तिब्बत सड़क

†*९१०. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-तिब्बत सड़क को 'लूरी ब्रिज' से मिलाने वाली लिंक रोड को, चौड़ी करने का काम तथा 'लूरी ब्रिज' को चौड़ा करने का काम आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ; और

(ग) किस समय तक सड़क तथा पुल गाड़ियों के आने जाने के लिये खुल जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). 'लिंक रोड' को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक काम समाप्त होने की आशा है । वर्तमान 'लूरी ब्रिज' को चौड़ा करने का कोई विचार नहीं है । अगले वर्ष लूरी में नया पुल बनाने का काम प्रारम्भ किया जायेगा तथा वर्तमान योजनावधि में संभवतया पूरा किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीफोन कनेक्शन

*९११. { श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि टेलीफोन मंत्रणा समिति ने टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी दे दी थी किन्तु फिर भी टेक्निकल कठिनाइयों के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके ;

(ख) यदि हां, तो ये कठिनाइयां किस प्रकार की हैं ; और

(ग) इन टेक्निकल कठिनाइयों को दूर करने में कितना समय लगेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में सभा-पटल पर एक विवरण-पत्र रक्खा गया है ।

विवरण

(क) जी हां । कुछ मामलों में टेलीफ़ोन सलाहकार समिति की मंजूरी देने तथा टेलीफोन के वस्तुतः लगाये जाने में कुछ समय का लग जाना संभव है ।

(ख) कभी भूगर्भ-केबल-युग्मों तथा टेलीफ़ोन-केन्द्र उपस्करों की कमी के कारण, एवं कभी लाइनों व उस से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन करने में समय के लग जाने के कारण ।

(ग) इन कामों के किसी एक कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय तत्सम्बन्धी शर्तों व आवश्यकताओं पर निर्भर है । कार्यों के निष्पादन करने में आवश्यक साधनों या सामग्री के प्राप्त करने या दूरी पर काबू पाने की कठिनाइयों तथा तद्विषयक अन्य बातों के कारण, प्रायः बेबसी हो जाती है ; फिर भी, उन्हें दूर करने या इन की घटनाओं को कम करने के लिये हर प्रकार का प्रयास किया जा रहा है ।

रत्नागिरी के तट पर डाक सेवायें

†*९१२. **श्री आसर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ अक्तूबर, १९५८ से रत्नागिरि जिले के तट पर स्टीमर सेवा द्वारा डाक लाना ले जाना बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार जानती है कि इस के बन्द कर देने से रत्नागिरि जिले के लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो डाक को स्टीमर के द्वारा पुनः भेजने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) जी हां, स्टीमर सेवा १५ अक्तूबर, १९५८ से आरम्भ की गई थी ।

(ख) स्टीमर समवाय ने भाड़ा दर बढ़ाने के लिये कहा था तथा मामले की जांच की जा रही है । इस बीच में सड़क परिवहन सेवा, जिस में पर्याप्त सुधार हो गया है, का उपयोग किया जा रहा है ।

(ग) इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(घ) जैसा कि बताया जा चुका है, स्टीमर सेवा का उपयोग करने के प्रश्न पर जांच की जा रही है ।

नागार्जुन सागर परियोजना

†*९१३. **श्री रामो रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांध निर्माण तथा नहरों की खुदाई की ओर विशेष निर्देश करते हुए नागार्जुन सागर परियोजना के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक कुल कितना व्यय किया गया है ; और

(ग) क्या प्रगति कार्यक्रम के अनुसार हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) अक्तूबर १९५८ के अन्त तक काम की प्रगति दिखाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३४]**

(ख) अक्तूबर १९५८ के अन्त तक १५.९६ करोड़ रुपये ।

(ग) जी हां । कुछ मदों में निश्चित कार्यक्रम में अधिकाधिक प्रगति हुई है ।

रेलगाड़ियों में अनिधिकृत विक्रेता

†*९१४. **श्री तंगामणि :**
श्री राम कृष्ण :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ियों में भिखमंगों तथा अनधिकृत विक्रेताओं की संख्या बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) १ अप्रैल, १९५८ से अब तक कितने ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) उन भिखमंगों तथा अनधिकृत विक्रेताओं की संख्यकी रखी जाती है जो रेलगाड़ी समेत रेलवे के स्थानों पर पकड़े जायें। रेलगाड़ियों की अलग संख्या नहीं रखी जाती है ।

(ख) इस प्रकार के पकड़े गये लोगों की संख्या बढ़ी नहीं है। इसलिये बढ़ोत्तरी के कारण स्थिति का सामना करने के लिये कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) इस प्रकार के लगभग ५ लाख व्यक्ति १-४-५८ से ३०-९-५८ तक पकड़े गये तथा दंडित किये गये। इस में वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो रेलवे के स्थानों से भागते हुए गिरफ्तार किये गये परन्तु रेलवे के स्थानों पर ले जा कर छोड़ दिये गये तथा पुनः गिरफ्तार करके दंडित किये गये ।

अनाज खाने वाले कीड़े

†*९१५. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री प्रभात कार :
श्री हाल्दर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेती की भूमि में चूहों तथा अन्य अनाज खाने वाले कीड़ों के कारण खाद्य उत्पादन में कितनी अनुमानित बरबादी होती है;

(ख) क्या राज्य सरकारों को आदेश दिये गये हैं कि इस प्रकार के कीड़ों को नष्ट करने के लिये आन्दोलन चलायें; और

(ग) यदि कोई आन्दोलन प्रारम्भ किया गया है तो उसमें क्या प्रगति है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) लगभग ६८ लाख टन । अनुमानतः वार्षिक २०४ करोड़ रुपये के मूल्य के ।

(ख) और (ग). कृषि उत्पादन के लिये पौदों के संरक्षण का महत्व राज्य सरकारों को भली-भांति मालूम है ।

समस्त देश में खाद्य उत्पादन के रोगों में कमी करने के तथा कीड़ों के विरुद्ध आन्दोलन किये गये हैं । इसके लिये केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने विभिन्न संगठन तथा सुविधायें दी हैं । गत कुछ वर्षों में कीड़ों तथा रोगों के विरुद्ध ५० से ६० लाख एकड़ भूमि में प्रत्येक वर्ष काम किया जाता है । जिससे लगभग २१.६४ करोड़ रुपये के मूल्य के ६.६ लाख टन खाद्यान्नों का लाभ होता है ।

भारत के पश्चिमी तट पर स्टीमर सेवायें

†*९१६. **श्री गोरे :**
श्री जाधव :
श्री हेम बरुआ :
श्री आसर :
श्री सोनावने :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी तट पर बम्बई और बेंगुर्ला के बीच कितने स्टीमर चल रहे हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक वर्ष इन स्टीमरों में कितने यात्री बैठते हैं;

(ग) क्या इन स्टीमरों को चलाने वाली कम्पनियों ने सरकार से कहा है कि १९५९ के पश्चात् वे यात्री भाड़े में वृद्धि किये अथवा सरकार से राज-सहायता प्राप्त किये बिना इन सेवाओं को चालू नहीं रख सकेंगे; और

(घ) पश्चिमी तट पर स्टीमर सेवाओं को चालू रखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) छः जहाज।

(ख) लगभग ३५०,००० यात्री।

(ग) जी हां।

(घ) मामला विचाराधीन है।

त्रिपुरा में सहकारी संस्थायें

†*९१७. **श्री दशरथ देब** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा में प्रारम्भिक विपणन संस्थाओं और बड़ी सहकारी संस्थाओं के विकास की योजना के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) क्या ये योजनायें छोड़ दी गई हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १२.४७ लाख रुपये।

(ख) ३१-३-१९५८ तक ३.४४ लाख रुपये।

(ग) १९५९-६० और १९६०-६१ में बड़ी संस्थाओं का आयोजन करने की योजना के अतिरिक्त सहकारिता के विकास की कोई योजना नहीं छोड़ी जा रही है।

मध्य प्रदेश से गेहूं का निर्यात

†*९१८. **श्री वि० चं० शुक्ल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने संघ सरकार को यह सुझाव दिया है कि राज्य से गेहूं के निर्यात पर पाबन्दी लगा दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस अवस्था में है और इस मामले का कब निश्चय किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार का निवेदन स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि इस से बम्बई और राजस्थान सरकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता।

---

†मूल अंग्रेजी में

कालका मेल में चोरी

†*९१९. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री प्र० के० देव :
श्री वि० चं० प्रधान :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री न० म० देब :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २५ नवम्बर, १९५८ को कालका मेल में हावड़ा और दिल्ली के बीच कहीं चोरी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो १०,००० रुपये के जेवरात और नगदी की चोरी हो गई थी;

(ग) क्या कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ अथवा हुए; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) २५-११-५८ को २१-३० बजे दिल्ली जंक्शन पर पता चला कि हावड़ा-दिल्ली कालका मेल के ब्रेक वान में चोरी हो गई है ।

(ख) जी हां । सूचना मिली है कि लगभग १०,००० रुपये का माल कम है ।

(ग) नहीं ।

(घ) सरकारी रेलवे पुलिस, दिल्ली के पास केस दर्ज कराया गया है और वह जांच कर रही है । ऐसी घटनाओं से बचाव करने के लिये इन मेल गाड़ियों पर पुलिस को विशेष रूप से भेजा जा रहा है ।

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार

†*९२०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हाल्दर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार ३१ जुलाई, १९५९ को समाप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो करार के नवीकरण के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस मामले पर विचार करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ ने अक्तूबर, १९५८ में जनेवा में एक विशेष सम्मेलन बुलाया जिसमें भारत के प्रतिनिधि भी थे । सम्मेलन में उठाये गए मामलों का विस्तृत परीक्षण करने के लिए सम्मेलन ने एक संयोजक समिति नियुक्त की थी । जनवरी, १९५९ के अन्त में सम्मेलन का एक दूसरा स होगा जहां अन्तिम निर्णय होने की सम्भावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यमुना पर दूसरा पुल

†*९२१. **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री १० सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुगलकाबाद के निकट यमुना पर दूसरा पुल बनाने का प्रतिवेदन तथा प्राक्कलन तैयार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कहां बनाया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) उसके स्थान के बारे में अन्तिम सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

जम्मू और काश्मीर में धान और मक्का के मूल्य

†*९२२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर में धान और मक्का की वसूली के मूल्य क्या ह और उपभोक्ताओं को वे किन भावों पर दिये जाते हैं; और

(ख) १९५८-५९ में केन्द्रीय सरकार न कितनी मक्का और धान राज्य को उपलब्ध किये और उनके भाव क्या थे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जन) :** (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३५]**

(ख) १६-१०-१९५८ के पश्चात् अर्थात् खाद्य वर्ष १९५८-५९ के आरम्भ होने के बाद केन्द्रीय सरकार ने जम्मू और काश्मीर को मक्का और धान का संभरण नहीं किया परन्तु दिसम्बर, १९५८ की समाप्ति तक ६,००० टन गेहूं और ३,५०० टन चावल का संभरण किया था ।

हिमाचल प्रदेश में परिवहन

*९२३. **श्री पद्म देव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत परिवहन के होते हुए कितने लोगों को निजी ट्रक चलाने के परमिट दिये गये हैं ; और

(ख) ऐसे लोगों को परमिट दिये जाने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). मांगी गयी सूचना के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश में २४ आदमियों को निजी ट्रक चलाने के लिए परमिट दिये गये हैं। इन ट्रकों का इस्तेमाल किराये या और दूसरे फायदों के लिए न किया जाकर निजी काम में होता है। इन गाड़ियों के चलने से हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय-कृत परिवहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

हिमाचल प्रदेश, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी ने सिर्फ एक ही पब्लिक कैरियर का परमिट दिया है। जिसे यह परमिट दिया गया है उसको पहले की बाघाट स्टेट से टैक्सियों के तीन और परमिट शिमला-कालका सड़क पर चलाने के लिए मिले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सर्विस का जब राष्ट्रीय करण किया जा रहा था तब स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी ने इस आदमी को इन परमिटों की मियाद बढ़ाने की मजूरी नहीं दी थी। इस पर इसने हिमाचल प्रदेश के जूडीशियल कमिश्नर की कचहरी में पैटिशन (याचिका) दाखिल किया था जहां फिर से परमिट मंजूर होने पर इसे परमिट दे दिया गया। इस आदमी ने फरवरी १९५२ में हिमाचल प्रदेश प्रशासन और पंजाब सरकार के बीच हुए करार के अनुसार इन तीनों परमिटों को एक बस परमिट में बदलने की प्रार्थना की थी। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद इस आदमी ने पब्लिक केरियर का परमिट लेने के लिये बस का परमिट जमा कर दिया और हिमाचल प्रदेश की स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी ने इसे यह परमिट मंजूर किया था। टैक्सी के तीन परमिटों को पहले बस के परमिट में और फिर उसे पब्लिक केरियर में बदलना परिवहन की राष्ट्रीयकरण की योजना के प्रतिकूल जान पड़ता है, इसको यथोचित सुधारने के लिये प्रशासन का ध्यान दिलाया जा रहा है।

ग्रांड ट्रंक रोड

†*९२४. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रांड ट्रंक रोड कलकत्ता से दिल्ली तक सीधी आती है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह कहां पर अपूर्ण है और क्यों ;

(ग) क्या सरकार इसे निरन्तर बनाने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना कब आरम्भ होगी और कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). ग्रांड ट्रंक रोड निरन्तर कलकत्ता से दिल्ली तक आती है। सभी जगहों पर, सिवाये बिहार राज्य में सोन नदी के अतिरिक्त, पुलों द्वारा इसे मिलाया गया है। इस सड़क का वह अंग जो कलकत्ता और कानपुर के बीच पड़ता है राष्ट्रीय राजपथ संख्या २ का अंग है और गाजियाबाद और दिल्ली के बीच का भाग राष्ट्रीय राजपथ संख्या २४ का अंग है।

(ग) और (घ). सोन नदी पर पुल बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले सिचाई के बांध में ही इसका निर्माण कर दिया जायेगा। चालू योजना की समाप्ति पर अथवा तृतीय योजना के आरम्भ में कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

सड़क परिवहन विवाद

†*९२५. **श्री संगण्णा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तर्राज्यिक परिवहन आयोग द्वारा मध्यस्थ निर्णय के लिये राज्य सरकारों से कोई विवाद मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो विवादों का निबटारा करने के लिये कौन सा तरीका अपनाया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खाद्यान्न की वसूली

†*९२७. **श्री पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, आंध्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों की समिति स्थापित की गई है जो इन चार राज्यों में अगली खरीफ फसल में खाद्यान्न की वसूली के बारे में निर्णय करेगी ;

(ख) क्या इन चार राज्यों के मुख्य मंत्रियों से यह पता लगाया गया कि राज्य व्यापार योजना को तुरन्त चालू करने के लिये कितना खाद्यान्न उपलब्ध किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने बताया था कि आगामी खरीफ की फसल में कितना खाद्यान्न उपलब्ध किया जायेगा ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी हां। चावल की वसूली के बारे में पंजाब, आंध्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों से बातचीत की गई थी।

(ख) और (ग). चर्चा के दौरान में निर्यात किये जा सकने वाले फालतू चावल का अनुमान बताया गया था परन्तु निश्चित अनुमान नहीं बताया जा सकता ।

डाक कर्मचारियों की मांगें

†*९२८. **श्री वाजपेयी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय डाक कर्मचारी (तृतीय श्रेणी) संघ ने निश्चय किया है कि यदि ३१ दिसम्बर, १९५८ तक उनकी मांगें मंजूर नहीं की गई तो वे आन्दोलन शुरू कर देंगे ।

(ख) यदि हां, तो संघ ने क्या मांगें प्रस्तुत की हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) संघ ने सरकार को ऐसे किसी निश्चय की सूचना नहीं भेजी है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पम्बन चैनल पर पुल

†*९२९. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पम्बन चैनल पर सड़क के पुल के निर्माण का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ; और

(ख) योजना पर कितनी लागत होने का अनुमान है और उसके कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) लगभग एक करोड़ पये। पम्बन पर पुल के निर्माण के बारे में सेतु समुद्रम परियोजना के समाप्त हो जाने के बाद विचार किया जायेगा ?

'सब्जी उगाओ' आन्दोलन

९३०. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन दिल्ली में 'सब्जी उगाओ' आन्दोलन आरम्भ करने का विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किसानों को किस प्रकार सहयोग दिया जायेगा ;

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

त्रिपुरा में धान की फसल

†*९३१. **श्री दशरथ देब** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८–५९ में त्रिपुरा की धान की फसल कीटाणुओं द्वारा नष्ट हो गई।

(ख) यदि हां, तो हानि कितनी हुई ;

(ग) कीटाणुओं के आक्रमण की रोकथाम के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(घ) जिन कृषकों की फसल नष्ट हो गई उनकी सहायता के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (घ). त्रिपुरा प्रशासन से जानकारी मांगी गई है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

माल गाड़ियों की टक्कर

†*९३२. **श्री तंगामणि :**
श्री पाणिग्रही :
श्री कोडियान :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सरजू पाण्डे :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९ नवम्बर, १९५८ को दक्षिण पूर्व रेलवे के बेहाटोला स्टेशन पर दो माल गाड़ियों की टक्कर हो गई ;

(ख) इस दुर्घटना में कितने रेल कर्मचारी मारे गये अथवा घायल हुए ;

(ग) रेलवे सम्पत्ति को कितनी हानि पहुंची,

(घ) यातायात पुनः कब आरम्भ किया गया ; और

(ङ) एक ही लाइन पर दो गाड़ियों की टक्कर को रोकने के लिये भविष्य में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री ० सेंवें० रामस्वामी)** : (क) जी हां। लगभग ०४.१० बजे

(ख) दो व्यक्ति मर गये, एक को गहरी चोटें आईं और चार को साधारण।

(ग) रेलवे सम्पति की हानि ९२ हज़ार रूपये निर्धारित की गई है।

(घ) उसी दिन २२.३० बजे ।

(ङ) इसका ब्यौरा भारत सरकार की रेलों पर दुर्घटनाओं सम्बन्धी समीक्षा की पुस्तिका 'क' में दिया गया है जिस की प्रति सदन के प्रत्येक सदस्य को भेजी गई है।

'पेयिंग गैस्ट' योजना

† ९३३. **श्री राम कृष्ण :**
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ५ सितम्बर, १९५८ के पेयिंग गैस्ट योजना सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या ९६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने परिवारों ने विदेशी मेहमानों को अपने घर में रखना स्वीकार किया है ; और

(ख) यह योजना कहां तक सफल रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) दिल्ली में लगभग ९० परिवारों ने विदेशी मेहमानों को रखना स्वीकार किया था परन्तु केवल ३० को अनुमोदन प्राप्त हुआ जहां कुल ६३ व्यक्तियों के रहने का प्रबन्ध है।

(ख) इस योजना में कुछ हद तक सफलता मिली है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी पर्यटक

†१३४३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री जाधव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अगस्त १९५८ से ३० नवंबर, १९५८ तक कितने विदेशी पर्यटक भारत आये ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : १ अगस्त, १९५८ से ३० सितम्बर, १९५८ तक (पाकिस्तानियों के अतिरिक्त १३,१५८ विदेशी पर्यटक) अक्तूबर, और नवम्बर के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

राष्ट्रीय समाज कल्याण बोर्ड की विशेष उप समिति

†१३४४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २० अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री यात्रियों की सुविधाओं के बारे में विचार करने के लिये नियुक्त की गई राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड की विशेष उपसमिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) कौन-कौन सी सिफारिशें अभी कार्यान्वित नहीं की गई हैं ; और

(ग) इन्हें कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). उसके पश्चात् राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड की समुद्री यात्रियों सम्बन्धी मुख्य उप समिति ने बन्दरगाहों पर समुद्री यात्रियों के कल्याण के बारे में विशेष उप समिति के प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत की थीं और उन पर बोर्ड की अगली बैठक में विचार किया जायेगा जो शीघ्र ही होने वाली है। बोर्ड की सिफारिशों पर सरकार कार्यवाही करेगी ।

रेलवे पदाधिकारियों के लिये सेलून और डिब्बे

†१३४५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीज़न में रेलवे पदाधिकारियों के लिये कितने सेलून और डिब्बे रिज़र्व किये जाते हैं ;

(ख) उपरोक्त डिवीज़न में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और मिली-जुली डिब्बों की कुल संख्या क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में पदाधिकारियों के प्रयोग के लिये नियत किये गये निरीक्षण डिब्बों की संख्या इस प्रकार है :—

बोगी निरीक्षण डिब्बे .	४
चार पहिये वाले निरीक्षण डिब्बे	१०

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) बीकानेर डिवीज़न में उपलब्ध प्रथम और द्वितीय श्रेणी तथा मिले-जुले डिब्बों की संख्या इस प्रकार है :—

बोगी डिब्बे

(१) प्रथम श्रेणी जिन में नौकर के डिब्बे भी हैं . .	२
(२) मिले-जुले प्रथम और द्वितीय श्रेणी—बिना नौकर के डिब्बों और नौकरों के डिब्बों वाले . . .	८
(३) मिली-जुली प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के डिब्बे .	१६
(४) मिली-जुली द्वितीय और तृतीय श्रेणी . . .	८
(५) मिली-जुली प्रथम और तृतीय श्रेणी—नौकरों के और नौकरों के डिब्बे के बिना . .	६
कुल .	४०

चार पहिये वाले डिब्बे

(१) प्रथम श्रेणी—नौकरों के स्थान सहित . . .	५
(२) प्रथम श्रेणी के डिब्बे—नौकरों के स्थान के बिना .	२४
(३) मिली-जुली प्रथम और द्वितीय श्रेणी . . .	४
(४) द्वितीय श्रेणी के डिब्बे . .	५
कुल . . .	३८

सुरक्षा नियमों तथा विनियमों की पुस्तिकायें

†१३४६. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल कर्मचारियों में सुरक्षा सम्बन्धी भावना जागृत करने के लिये कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों में सुरक्षा नियमों तथा विनियमों की पुस्तिकायें, अंग्रेज़ी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में, बांटी जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस तरह की कितनी पुस्तकें आसामी भाषा में प्रकाशित हुई हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उन्हें कब तक प्रकाशित करने की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). आसामी भाषा केवल उन्हीं क्षेत्रों में प्रचलित है जहां उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे चलती है ; आशा की जाती है कि वह अगले कुछ महीने में इस प्रकार की कुछ पुस्तिकायें अंग्रेज़ी और प्रादेशिक भाषाओं म—जिन में आसामी भाषा भी शामिल है—प्रकाशित करेंगे । इसके लिये आवश्यक टैक्नीकल सहायता प्राप्त करने के लिये वह आसाम सरकार से सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं ।

†मूल अंग्रेज़ी में

आसाम में प्राकृतिक उपचार केन्द्र

†१३४७. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक उपचार केन्द्र आरम्भ करने के लिये आसाम सरकार की ओर से भारत सरकार को एक योजना मिली है जिसमें इस योजना की क्रियान्विति के लिये ५० प्रतिशत अंशदान मांगा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) आसाम सरकार को सूचना दी गई है कि इस योजना के लिये कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह राज्य सरकार की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं है।

ब्रह्मपुत्र में नौ परिवहन

†१३४८. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ब्रह्मपुत्र नदी में आजकल चलने वाले स्टीमर जहाज़ों की अपेक्षा अधिक तेज़ चलनेवाले जहाज़ों की सम्भावना का परीक्षण करने की दृष्टि से अमरीकी टेक्नीकल सहकारी मिशन की ओर से एक विशेषज्ञ दल आसाम में भेजा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस दल की क्या क्या सिफारिशें हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे इंजनों के ओवरहालिंग की सुविधायें

†१३४९. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे के आसाम सेक्शन में इंजनों, सवारी डिब्बों और माल-डिब्बों के ओवरहालिंग (सफाई और मरम्मत) की सुविधायें किन-किन स्टेशनों पर हैं ;

(ख) क्या ओवरहालिंग सम्बन्धी कोई काम अभी बकाया है ; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न ।

विवरण

(क)	(१) इंजन . .	डिब्रूगढ़ वर्कशाप
	(२) सवारी डिब्बों का स्टाक .	(१) डिब्रूगढ़ वर्कशाप (२) बोनगाई गांव वर्कशाप (३) डिब्बों की मरम्मत की शाप, पाण्डु ।
	(३) माल डिब्बे .	डिब्रूगढ़ वर्कशाप बगडोगरा वर्कशाप

(ख) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) बोनगाई गांव में इंजनों, डिब्बों और माल डिब्बों की मरम्मत के लिये एक नया मुख्य वर्कशाप बन जाने पर इसकी स्थिति में काफी सुधार हो जाने की आशा है। इस प्रस्तावित वर्कशाप के विस्तृत प्राक्कलन का परीक्षण किया जा रहा है।

कोटलपुकुर और पकुर के बीच सवारी गाड़ी का पटरी से उत्तर जाना

†१३५०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० अक्तूबर, १९५८ को गया-सियालदा सवारी गाड़ी कोटलपुकुर और पकुर स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो गाड़ी के पटरी से उतर जाने के क्या कारण थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां। २० अक्तूबर, १९५८ को लगभग २२.२० बजे जब न० ३३८ डाउन गया-सियालदा सवारी गाड़ी गुजर रही थी उस समय गाड़ी का इंजन पूर्व रेलवे के कोटलपुकुर और पकुर स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गया। इस दुर्घटना में किसी प्रकार की जन हानि नहीं हुई।

(ख) वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारियों की एक समिति ने इस दुर्घटना की जांच की थी। इस समिति के प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है।

बम्बई के लिये गवेषणा सम्बन्धी योजनायें

†१३५१. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में अभी तक बम्बई सरकार से गवेषणा सम्बन्धी कितनी योजनायें प्राप्त हुई हैं और भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा कितनी को मंजूरी दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी निहित है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३६]**

उद्वहन[1] सिंचाई योजनायें

†१३५२. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने १९५७–५८ और १९५८–५९ में अभी तक बम्बई सरकार को उद्वहन[1] सिंचाई योजनाओं के लिये कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो किस किस प्रकार की योजनाओं के लिये सहायता दी गई है और कितनी सहायता दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : जी, हां। सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी निहित है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Lift Irrigation Schemes.

बम्बई राज्य से चीनी की निकासी

†१३५३. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में अभी तक बम्बई राज्य को फैक्टरियों से कुल कितनी चीनी की निकासी हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : जनवरी से नवम्बर, १९५८ तक ३.०९ लाख टन चीनी ।

मत्स्यग्रहण सम्बन्धी गवेषणा-कार्य

†१३५४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटदूर मत्स्यग्रहण सम्बन्धी गवेषणा कार्यक्रमों में शोल, मैकरल तथा सार-डाईन मछलियों की गतिविधि के सम्बन्ध में या 'टुना ग्रुप' के अध्ययन के सम्बन्ध में कोई काम किया गया है, या प्रारम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) वह कार्य हाल ही में प्रारम्भ किया गया है ।

(ख) आधार सामग्री[1] का अध्ययन किया जा रहा है परिणाम इतनी जल्दी नहीं बताये जा सकते ।

वेज बैंक पर मछली पकड़ना

†१३५५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के कोचीन स्थित दलों द्वारा वेज बैंक पर मछली पकड़ने के सम्बन्ध में किये जा रहे प्रयोगों के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) गत ६ महीनों में प्रति नौका द्वारा प्रति बार कितनी मछली पकड़ी गयी थीं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) वेज बैंक प्रयोगात्मक रूप से मछली पकड़ने का कार्य मार्च, १९५८ में कोचीन के तट दूर मत्स्यग्रहण केन्द्र (आफ शोर फिशिंग स्टेशन) द्वारा दो कटर (नौका) "एम० टी० अशोक एण्ड प्रताप" की सहायता से प्रारम्भ किया गया था । मुख्य रूप से लुटजानुस[2], ले थरीनुस[3], और सेरानुस[4], नामक मछलियां पकड़ी गयी थीं । ये मछलियां बढ़िया किस्म की मछलियां मानी जाती हैं। इस तट पर चट्टानें होने की वजह से मछली पकड़ने के उपकरणों को नकसान पहुंच जाता था, इस कठिनाई को दूर करने के लिये अब जाल के लिये लकड़ी और रबड़ के उपयुक्त बाबिन तैयार किये गये हैं, इस जाल का दिसम्बर, १९५८ के बाद प्रयोग किया जायेगा ।

(ख) मछली पकड़ने के लिये नौकायें दो बार गयी थीं, उसके द्वारा औसतन २५५० पौंड मछली प्रति घंटा पकड़ी गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Data.

[2] Lutjanus.

[3] Lethrinus

[4] Serranus.

केन्द्रीय वनविद्या बोर्ड[1]

†१३५६. **श्री श० चं० गोडसोरा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, १९५८ के मास में मसूरी में केन्द्रीय वन विद्या बोर्ड की स्थायी समिति की एक बैठक हुई थी जिस में राज्यों के वन विभाग के मंत्री भी सम्मिलित हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किस किस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गयी थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां। २२ सितम्बर से २४ सितम्बर तक ।

(ख) बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गयी थी :—

(१) केन्द्रीय वन विद्या बोर्ड की स्थायी समिति का पुनर्निर्माण;

(२) भारत के विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ वन विभाग पदाधिकारियों की प्रादेशिक परिषदों की स्थापना;

(३) भारत सरकार के वन विद्या सम्बन्धी पदों के लिये राज्यों द्वारा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति;

(४) देश के वन पदाधिकारियों के वेतन क्रमों में समन्वय ;

(५) वन सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन ;

(६) भूमि उपयोग बोर्डों की स्थापना ;

(७) तृतीय पंचवर्षीय योजना पर विचार ;

(८) (क) वन विभाग के अधीन वनों में साधारण खनिजों का विदोहन ;

(ख) केन्द्रीय वन अधिनियम, १९२७ के 'वन उत्पादों' में से खनिज तथा खानों का निकाल देना ;

(९) प्रादेशिक वन मार्ग ;

(१०) वनों का वैज्ञानिक रूप से विदोहन ;

(११) नये पौधे लगाने के लिये वन विभागों की आय में से विशेष निधि की स्थापना ;

(१२) अवैध प्रकार से वृक्ष काटने या काश्तकारी करने की रोक थाम करने के लिये विशेष उपाय ;

(१३) वनों की क्षमता के अनुसार विशेष सुविधाओं की व्यवस्था ;

(१४) भारत के मुख्य मुख्य राज्यों में गवेषणा वन सर्किल स्थापित करने के सम्बन्ध में योजना तैयार करना ;

(१५) अखिल भारतीय चीड़ लकड़ी गोष्ठी द्वारा एक भारतीय चीड़ लकड़ी बोर्ड स्थापित करना ;

(१६) वन संसाधनों का सर्वेक्षण ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Central Board of Forestry.

(१७) वन संसाधनों का वैज्ञानिक आवटंन करने के लिये एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना ;

(१८) रेलों को स्लीपर संभारित करना और दाम निश्चित करने वाली एक समिति की स्थापना ;

(१९) इमारती लकड़ी का परिरक्षण और बल्लियों की देखभाल ;

(२०) मितव्ययी दरों पर कोयले का संभरण ;

(२१) गवेषणा, राज्य वन विभाग तथा उद्योगों में अधिक सम्पर्क स्थापित करना; और

(२२) अन्य राज्यों में सरपत[1] को अधिक मात्रा में उगाने की आवश्यकता और संभावनायें ;

खाद्यान्न

†१३५७. **श्री ओंकार लाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ मई से ३१ अक्टूबर १९५८ तक राजस्थान से कितना खाद्यान्न बाहिर भेजा गया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : १ मई से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक राजस्थान से बड़ी लाइन के ३९४९ माल डिब्बों में और मीटर लाइन के १८,१०६ डिब्बों में खाद्यान्न भेजा गया था ।

समुद्री बेतार स्टेशन[2]

†१३५८. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विशाखा पटनम् में एक समुद्री बेतार स्टेशन स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: जी, हां । भारतीय तटों के साथ साथ तटवर्ती तार तार सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करने की दृष्टि से सरकार विशाखापटनम् और कुछ अन्य पत्तनों में बेतार तार के स्टेशन स्थापित करने की एक प्रस्थापना पर विचार कर रही है । फिर भी, स प्रकार के स्टेशन स्थापित करने से पहले आवश्यक उपकरणों को प्राप्त करना पड़ेगा, भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा और आवश्यक मारतों का निर्माण करना पड़ेगा । इसलि योजना को अन्तिम रूप में अभी कुछ समय लगेगा ।

निर्वाह व्यय का देशनांक

†१३५९. **श्री न० रा० देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों में निर्वाह व्यय के देशनांक में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : गत तीन महीनों के श्रमिक वर्ग के निर्वाह व्यय के अखिल भारतीय देशनांक निम्नलिखित हैं :—

जून १९५८	११६
जुलाई १९५८	११९
अगस्त १९५८	१२०

†मूल अंग्रेजी में

[1]Wattle.

[2]Maritime Wireless Station.

खाद्यान्न भेजने के लिये क्षेत्रीय पद्धति[1]

†१३६०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार इस दृष्टि से कि कहीं पर भी अधिक स्टॉक इकट्ठा न हो जाए अथवा एक ज़ोन से दूसरे ज़ोन में अन्न को अवैध रूप से भेजा न जा सके, अन्य भेजे जाने की वर्तमान क्षेत्रीय पद्धति को और भी कठोर और सुदृढ़ बनाना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). यह तो सम्बद्ध राज्य सरकारों का काम है कि वे अन्न के एक ज़ोन से दूसरे जोन में ले जाने की रोक थाम करने का यत्न करें। उत्तर चावल क्षेत्र से चावल के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये गत अक्तूबर में पंजाब में उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों की सीमा के साथ-साथ पांच मील का एक ऐसा क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है जिसमें अन्न का आना जाना नहीं हो सकता। सी प्रकार से नवम्बर, १९५८ में आन्ध्र प्रदेश और मैसूर की बम्बई, मध्य देश और उड़ीसा के साथ लगने वाली सीमाओं पर पांच मील का एक ऐसा क्षेत्र छोड़ दिया गया है जिसमें चावल का आना जाना मना है ताकि दक्षिण ज़ोन से चावल को चोरी छिपे लाया न जा सके ।

परिवार नियोजन

†१३६१. **श्री राम कृष्ण** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वितीय पंच-वर्षीय योजनाकाल में देश के सभी जिलों में परिवार नियोजन औषधालय स्थापित करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या योजना तैयार कर ली गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). यद्यपि वर्तमान योजना के अधीन लगभग सभी ज़िले आ जायेंगे, फिर भी देश के प्रत्येक ज़िले के परिवार नियोजन औषधालय स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट योजना नहीं है। स्थापना यह है कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजनाकाल में ५०० केन्द्र शहरी क्षेत्रों में और २००० केन्द्र ग्राम्य क्षेत्रों में खोले जायेंगे। यह भी विचार है कि जहां तक हो सके लगभग सभी मातृगृहों तथा बाल कल्याण केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों, अस्पतालों और चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं में एक-एक परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किया जाए।

ग्राम्य क्षेत्रों में यह केन्द्र वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ही स्थापित किये जायेंगे। प्रत्येक केन्द्र लगभग ५०,००० व्यक्तियों के लिये होगा।

उसके कर्मचारियों की संख्या, उनके खर्च और उन्हें दी जाने वाली सहायता निम्न प्रकार से है :—

अनावर्तक	ग्राम्य	शहरी
	रुपये	रुपये
सामान, फर्नीचर और प्रचार सम्बन्धी सामान	५००	२,०००
गर्भ निरोधक उपकरण	५००	५००
कुल	१,०००	२,५००

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Zonal System of Food Movement.

आवर्तक	ग्राम्य	शहरी
एक लेडी डाक्टर और एक अंशकालिक पुरु डाक्टर . .	..	५,०००
सामाजिक कार्यकर्ता (सोशल वर्कर) (एक), अथवा स्वास्थ्य नि ीक्षक (हेल्थ विजिटर)/क्षेत्र कार्यकर्ता (फील्ड वर्कर)	३,०००	३,०००
क चपरासी	..	१,०००
आकास्मिक व्यय	५००	५००
सवारी भत्ता	५००	
ग्राम्य तथा शहरी औषधालयों में स ी प्रकार के गर्भ निरोधक सामग्री का वितरण करने पर . . .	१,५००	१,५००
खर्च जिसका विवरण इस प्रकार से है :—		
उन्हें जिनकी आय १०० रुपये प्रति मास से कम है—नि:शुल्क		
उन्हें जिनकी आय १०० से २०० रुपये तक है—आधी कीमत पर		
उन्हें जिनकी आय २०० रुपयों से अधिक है—क्रय मूल्य पर		
इनके अतिरिक्त ग्राम्य औष ालयों में शोध तथा फोम टेबलेट सभी को मुफ्त बांटी जाती हैं ।		
कुल	५,५००	११,०००

राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और स्व ं सेवी संस्थाओं के केन्द्रीय सरकार की ओर से निम्नलिखित सहायता दी जायेगी :—

	राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों को	स्वयं सेवी संस्थायें	
		ग्राम्य	शहरी
अनावर्तक	१०० प्रतिशत	१०० प्रतिशत	१०० प्रतिशत
आवर्तक			
प्रथम वर्ष	८० प्रतिशत	१०० प्रतिशत	१०० प्रतिशत
द्वितीय वर्ष	७० प्रतिशत	१०० प्रतिशत	८० प्रतिशत
तृतीय वर्ष	५० प्रतिशत	१०० प्रतिशत	८० प्रतिशत
चतुर्थ वर्ष	३० प्रतिशत	१०० प्रतिशत	८० प्रतिशत
पंचम वर्ष	२० प्रतिशत	१०० प्रतिशत	८० प्रतिशत

राज्यों के सहकार मंत्रियों का सम्मेलन

†१३६२. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री सं० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, १९५६ में मसूरी में हुए राज्य सरकार मं यों के द्वितीय सम्मेलन में की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सहकारी कृषि समितियां देश के स ी राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में स्थापित हो गयी हैं; और

(ग) सिफारिशों की कार्यान्विति को गति देने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) ि तीय पंच वर्षीय योजना में सह-कारिता विकास के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सम्मेलन की ब त सी सिफ़ारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है। मसूरी सम्मेलन, १९५६ की उस सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा किये गये कुछ संशोधन के अनुसार का न्वित किया गया है कि द्वितीय योजना की शेष अवधि में सहकारी कृषि सम्बन्धी केवल ३००० प्र ोग किये जायें।

(ख) जी, नहीं। उन राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों की संख्या ज्ञात नहीं है जिनमें सहकारी कृषि समिति स्थापित की गयी हैं।

(ग) सरकार सहकारी संयुक्त कृषि समितियां कुछ सुविधायें देने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं।

रेलवे कर्मचारियों द्वारा सोने का तस्कर व्यापार

†१३६३. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के कुछ कर्मचारी अर्थात् इंजिन ड्राइवर, फोरमैन आदि उस कथित आरोप पर पकड़े गये हैं कि सोने के तस्कर व्यापार में उनका हाथ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

घड़ी निरीक्षक

†१३६४. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री मह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में उत्तर रेलवे के दिल्ली-फिरोजपुर सेक्शन में कितने व्यक्तियों की घड़ी निरीक्षक के रूप में पदोन्नति की गयी है ;

(ख) उनमें से अ ुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति थे; और

(ग) उनकी पदोन्नति करते समय किस आधार को ध्यान में रखा गया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) उत्तर रेलवे के दिल्ली तथा फिरोजपुर डिवीजनों में घड़ी निरीक्षकों का कोई स्थान ही नहीं है। इसलिये पदोन्नति का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

हिमाचल प्रदेश में गोदाम

१३६५. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में सहकारी विभाग के अन्तर्गत गोदाम बनाने के लिये कितनी सोसाइटियों को १९५७–५८ में ऋण और सहायता दी गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य और कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन): सन् १९५७–५८ में हिमाचल प्रदेश में सहकारी सोसाइटियों के द्वारा गोदाम बनाने के लिये कोई भी सहायता देना स्वीकृत नहीं किया जा सका।

मिरर कार्प किस्म की मछली

१३६६. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८ में हिमाचल प्रदेश में अब तक किन-किन स्थानों पर मिरर कार्प किस्म की मछली पदा की गई ; और

(ख) सरकार ने प्रत्येक गांव में इस किस्म की मछली पैदा करने के लिये क्या योजना बनाई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) हिमाचल प्रदेश में निम्न स्थानों पर मिरर कार्प पाली जा रही हैं :—

स्थान का नाम	जिला
(१) नाहन	सिरमूर
(२) तिलोकपुर	सिरमूर
(३) रेनुका	सिरमूर
(४) भनेत	चम्बा
(५) सरोल	चम्बा
(६) खिज़ियार	चम्बा
(७) रेवालसर	मण्डी
(८) चन्दखा	मण्डी
(९) ज़कतखाना	बिलासपुर
(१०) अर्की	महासू

(ख) ग्रामों और दूसरे स्थानों में समस्त उपलब्ध और उपयुक्त अवरुद्ध पानी में मिरर कार्प के विकास के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक स्वीकृत योजना, जिसकी कीमत ६७,००० रुपये है, चालू है।

नारकंडा तक रेलवे लाइन

१३६७. श्री पद्म देव : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार नारकंडा (महासू, जिला हिमाचल प्रदेश) तक एक रेलमार्ग बनाने का, जिसे ब्रिटिश सरकार ने रक्षा के उपाय के तौर पर बनाने का निश्चय किया था और जिसके बारे में एक सर्वेक्षण भी कर लिया गया था, फिर विचार कर रही है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : जी नहीं। १९२९ में जो सर्वे हुआ था उससे मालूम हुआ कि शिमला तक छोटी लाइन बनाने में बहुत खर्च आयेगा और आर्थिक दृष्टि से यह लाइन लाभप्रद नहीं होगी। सामान की मौजूदा कीमतों और दूसरी लागतों को देखते हुए आर्थिक दृष्टि से इस लाइन का बनाना अब और भी अलाभप्रद होगा।

हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग सम्बन्धी योजना

१३६८. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग स्थापित करने की योजना कार्यान्वित की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उपरोक्त योजना से सम्बन्धित फसल गवेषण विभाग ने कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस अनुभाग ने अप्रैल, १९५८ से ही कार्य करना आरम्भ किया है । इसके द्वारा निम्न कार्य किये जाते हैं :—

(१) पहाड़ी प्रदेशों के लिये उपयुक्त मुख्य देसी और प्रादेशिक फसल की किस्मों को इकट्ठा करना ।

(२) दोनों सरकारी प्रयोगात्मक स्टेशनों और किसानों के खेतों में, प्रदेश के समुद्र तल से अनेक विभिन्न ऊंचाई के लिये रोग से रहित अधिक उपज देने वाली किस्मों को छांटने के विचार से मक्का, धान, लैसर-मिलेट्स और अन्य खरीफ फसलों की परीक्षा ।

हिमाचल प्रदेश में आलू, गेहूं और मकई के बीज

१३६९. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने मान्यता-प्राप्त उत्पादकों से वर्ष १९५८ में आलू, गेंहूं और मकई का कितना-कितना बीज खरीदा ;

(ख) सरकार द्वारा उत्पादित अथवा संग्रहीत कितना बीज बांटा गया ;

(ग) मान्यता प्राप्त उत्पादकों को आर्थिक सहायता किस दर से दी गई तथा लोगों को बीज किस भाव से बेचा गया ; और

(घ) सरकार ने कुल कितनी आर्थिक सहायता दी ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन) :

(क)	आलू	कुछ नहीं
	गेहूं	५६६ मन
	मक्का	१६० मन
(ख)	आलू	३२२४ मन
	गेहूं	३६१५ मन २० सेर
	मक्का	१६० मन

(ग) अपरूव्ड ग्रोवरस को एक रुपया प्रति मन की वित्त सहायता दी गई और बीज चालू बाज़ार के दर से एक रुपया प्रति मन अधिक पर बेचा गया। यह पया सुधरे हुए बीजों के कारण लिया गया था।

(घ) ७२९ रुपये।

चम्बा (हिमाचल प्रदेश) में भेड़ पालन

१३७०. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बा में भेड़ पालन की योजना कब चालू की जायेगी ;

(ख) इस योजना पर अनुमानत: कितना व्यय होगा ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितनी भेड़ें रखी जायेंगी ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अखिल भारतीय भेड़ और ऊन विकास योजना के अन्तर्गत सन् १९५७–५८ के लिये स्वीकृत एक भेड़ प्रजनन,फार्म, चम्बा में, जिसके साथ एक ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला संलग्न होगी, सन् १९५८-५९ के अन्त तक कार्य आरम्भ होने की आशा है।

(ख) १,९५,५०० पये।

(ग) भेड़ा, भेड़ और उनके बच्चों को शामिल करके ६०० भेड़ें फार्म में रखे जाने की आशा है।

हिमाचल प्रदेश में मुर्गी फार्म

१३७१. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मुर्गी फार्मों में कितने मुर्गे व मुर्गियां हैं ; और

(ख) मुर्गियों का मृत्यु अनुपात क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) ३७६ (२७४ मुर्गियां और मुर्गियों के १०२ बच्चे)।

(ख) ८ प्रतिशत प्रतिवर्ष।

हिमाचल प्रदेश में प्रादेशिक मुर्गी फार्म

१३७२. श्री पद्म देव : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में प्रादेशिक मुर्गी फार्म कब और कहां खोला जायेगा ;

(ख) इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर कितना व्यय होगा और उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) मौजूदा सरकारी मुर्गी फार्म कम्लाही को एक प्रादेशिक मुर्गी फार्म के रूप में विकसित किया जायेगा। यह कार्य अप्रैल, १९५९ से आरम्भ किये जाने की आशा है।

(ख) (१) विदेशों से आयात की गई सुधरी नसल की मुर्गियों का जलवायु अनुकूल करना।

(२) प्रदेश में और आस पास के पहाड़ी क्षेत्रों में भी आधारिक मुर्गियों के मुहय्या करने और पूर्ति करने के लिये चुने हुए प्रजनन के द्वारा उच्चवंशीय पक्षियों का पालना और उनकी वृद्धि करना।

(३) हिमाचल प्रदेश और आसपास के राज्यों में विस्तार केन्द्रों को व्यक्ति देने के लिये मनुष्यों को प्रशिक्षण करना।

(रुपये लाखों में)

(ग)	(१) अफसर और स्टाफ का वेतन और भत्ता .	०.६०
	(२) इमारतें और अन्य कार्य . . .	०.४६
	(३) दाना खिलाना, पेकिंग करना और भेजने का खर्च, रोगाणु-नाशी दवाइयां और टीके, पैट्रोल, तेल और लुबरीकेन्ट्स और फुटकर जैसे आवर्त्तक व्यय . . .	०.७८
	(४) भंडार, सामग्री और आधारिक मुर्गियों का खरीदना .	०.३३
	कुल . . .	२.२०

बीज सम्बन्धी स्थायी विशेषज्ञ समिति

†१३७३. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री सरजू पाण्डे :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीज सम्बन्धी स्थायी विशेषज्ञ समिति द्वारा १९५८ में निश्चित रूप से क्या क्या काम किया गया था, सुझाव दिये गये थे और किन किन प्रश्नों पर विचार किया गया था ;

(ख) उक्त समिति द्वारा कितनी बैठकें की गयी थीं ; और

(ग) क्या इसकी नियुक्ति के बाद इसका पुनर्गठन भी किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). बीज सम्बन्धी स्थायी विशेषज्ञ समिति की इस वर्ष कोई बैठक नहीं हुई। समिति की बैठक उसी समय की जाती है, जबकि उसकी आवश्यकता होती है । जब से समिति स्थापित हुई है तब से लेकर आज तक कुल ४ बैठकें हो चुकी हैं। उसकी गत बैठक ८ अगस्त, १९५७ को हुई थी और अगली बैठक १० जनवरी, १९५९ को करने का विचार है।

(ग) जी नहीं, समिति का पुर्नगठन नहीं किया गया है, परन्तु उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। अब उसका एक सदस्य बढ़ा दिया गया है और अब उसका सदस्य सचिव खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के गहन कृषि उपमंत्रणादाता के स्थान पर भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का अतिरिक्त कृषि आयुक्त होगा।

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे स्टेशनों के उपागमन मार्गों की मरम्मत

†१३७४. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों के उपागमन मार्गों[1] की मरम्मत के लिये कोई व्यवस्था की गयी है ;

(ख) क्या यह सच है कि छपरा-सेवन सेक्शन के मशराक तथा अन्य स्टेशनों के उपागमन मार्गों की बहुत समय से मरम्मत नहीं हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां। रेलवे सीमाओं के अन्दर उपागमन मार्गों की मरम्मत करने की व्यवस्था की गयी है ।

(ख) और (ग). प्रत्येक उपागमन मार्ग की पूर्णरुपेण मरम्मत नहीं की जा सकी, क्योंकि हर स्थान पर स्थानीय रूप से सड़क निर्माण का सामान उपलब्ध नहीं हो सका। फिर भी प्रयोक्ताओं की असुविधाओं को दूर करने के लिये कुछ अंशों में मरम्मत की जा रही है। आशा है कि छपरा-सेवन सेक्शन के कुछ एक स्टेशनों के उपागमन मार्गों की पूर्णरुपेण मरम्मत का काम इस वर्ष प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

रेल सम्पर्क[2]

†१३७५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन कौन से रेल सम्पर्क हैं जिन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित तो कर लिया गया है, परन्तु जिनके उस योजना काल में प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना नहीं है ; और

(ख) उसके क्या क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). निम्न लिखित परियोजनाएं द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित तो की गयी थीं, परन्तु उनके निम्नलिखित कारणों से उस योजना काल में प्रारम्भ किये जाने की आशा नहीं है :—

१. **गुवा-मनोहरपुर** : (१) वाडाविल–पनपोश गोर्ज ब्रांच; (२) रूरकेला–दुमारो ; (३) प्रस्थापित विमलगढ़-किरीबूरू—लाइनों के निर्माण को देखते हुए इस परियोजना की कोई तत्कालिक आवश्यकता नहीं है ।

२. **मुज्जफरपुर-दरभंगा** : कुछ एक निर्माण सम्बन्धी बातों के कारण इस परियोजना को कार्य तथा वाणिज्यक दृष्टि से प्रारम्भ करना उचित नहीं समझा गया है ;

३. **राम शाई-बीनागुरी** : क्योंकि आसाम रेल लिंक को ६ करोड़ रुपयों की लागत से सुदृढ़ बनाया जा रहा है, इसलिये रामशाई–बीनागुरी सम्पर्क की अब कोई आवश्यकता ही नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Approach Roads

[2] Rail Links

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†**१३७६. श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २० अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद नगर में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनने आरम्भ हो गये हैं ;

(ख) कुल कितने क्वार्टर तैयार किये जायेंगे ; और

(ग) वे कब तक पूरे हो जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) अभी तक निर्माणकार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

(ख) २०० यूनिट ।

(ग) इसी समय यह बताना कठिन है कि काम कब तक पूरा हो जायेगा, क्योंकि काम तो अभी तक प्रारम्भ ही नहीं हुआ है ।

क्षतिग्रस्त गेहूं

†**१३७७. श्री राम कृष्ण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला मुजफ्फरपुर में उचित दाम की दुकानों द्वारा वितरित करने के लिये सरकार के पास लगभग २२,००० पयों की कीमत का जो १,५०० मन गेहूं है, वह मानवीय उपयोग के लिये अयोग्य घोषित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) केन्द्रीय सरकार के स्टाक में से लगभग ६,२५८ रुपयों का ४४७ मन गेहूं मानव के उपयोग के लिये अयोग्य घोषित कर दिया गया है ।

(ख) गेहूं यातायात के समय खराब हो गया था ।

बहुप्रयोजनीय आदिम जातीय खण्ड

†**१३७८. श्री रा० चं० माझी :** क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को संविधान के अनुच्छेद ३३९(२) के अधीन यह हिदायत दी है कि वे जैसा कि अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के कमिश्नर की १९५६–५७ की रिपोर्ट (पृष्ठ संख्या ५८) में कहा है, योजना के अनुसार विशेष बहुप्रयोजनीय आदिम जातीय खण्ड स्थापित न करें, और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों को हिदायतें भेजी गयी हैं और उनका क्या असर हुआ है ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री के सभा-सचिव (श्री ब० स० मूर्ति)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

"कुथ"

†१३७९. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन् किन राज्यों में 'कुथ' की उपज होती है और प्रत्येक राज्य में उसकी वार्षिक उपज कितनी कितनी है ;

(ख) यह किन देशों में निर्यात की जाती है तथा इसका क्या उपयोग है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस विषय में पंजाब सरकार से किसी प्रकार की पूछताछ मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) कुथ मूल रूप से साधारण जंगली उपज के रूप में जम्मू और काश्मीर तथा कुछ अंश में हिमालयी राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश (चम्बा जिला) और पंजाब (कांगड़ा जिले) में मिलती है। इसकी अनुमानित वार्षिक उपज हिमाचल प्रदेश में २०० मन तथा जम्मू और काश्मीर में १००० से २००० मन है। पंजाब के बारे में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) कुथ का निर्यात हांगकांग, चीन, सिंगापुर, बर्मा, श्री लंका, पाकिस्तान और फ्रांस को किया जाता है किन्तु यह मुख्य रूप से चीन और हांगकांग ही जाती है जहां विशेष रूप से बौद्ध देवालयों में सुगंध के रूप में प्रयुक्त की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बाढ़ नियंत्रण के लिये वृहद् योजनाएं

†१३८०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २८ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलग अलग नदियों के बेसीन के लिये बाढ़ नियंत्रण की वृहद् योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) इसका उत्तर नराकात्मक है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राजपुरा में लेवल क्रासिंग पर अपरी पुल[1]

†१३८१. **श्री राम कृष्ण :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री १५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रांड ट्रंक रोड पर राजपुरा में लेवल क्रासिंग पर एक अपरी पुल के निर्माण के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Overhead bridge

(ख) यदि हां, तो निर्णय का क्या स्वरूप है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी नहीं। इस विषय पर अभी पंजाब सरकार विचार कर रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अन्तर्राज्यीक जल-विवाद अधिनियम, १९५६ के अधीन नियम

†१३८२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १८ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यिक जल-विवाद अधिनियम, १९५६ के अधीन बनाये जाने वाले नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). अन्तर्राज्यिक जल-विवाद अधिनियम, १९५६ के अधीन नियमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इस अधिनियम की धारा १३ के अधीन इस विषय में राज्य सरकारों की राय लेना आवश्यक है। प्रारूप नियमों में उनकी सम्मति मांगी गई है और उसी की प्रतीक्षा की जा रही है।

पाकिस्तान पर बिजली की बकाया राशि

†१३८३. **श्री राम कृष्ण :**
श्री बहादुर सिंह

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २० अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार द्वारा १९४७–४८ के लिये बिजली की बकाया रकम के बारे में उठाई गई आपत्तियों पर विभाजन समिति[1] ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में किये गये निर्णय का क्या स्वरूप है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) इस विषय पर पंजाब विभाजन समिति ने २ और ३ अक्तूबर, १९५८ को विचार किया था।

(ख) यह विषय विभाजन समिति की अगली बैठक में और आगे चर्चा के लिये स्थगित कर दिया गया था।

उत्तर प्रदेश में रामगंगा परियोजना

१३८४. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २८ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने उत्तर प्रदेश में

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Partition Committee.

रामगंगा परियोजना का अध्ययन करने के पश्चात् क्या निर्णय किया है और परियोजना के क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने रामगंगा परियोजना रिपोर्ट की जांच की है और उस पर अपनी टिप्पणी उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी है। आयोग के पास राज्य सरकार से इस टिप्पणी का उत्तर अभी नहीं पहुंचा है। परियोजना पर काम तभी शुरू किया जा सकता है जबकि प्रोजेक्ट तकनीकी दृष्टि से ठीक मान लिया जायेगा और योजना कमीशन अन्तिम रूप से उसे मंजूर कर देगा।

भाखड़ा नंगल परियोजना

†१३८५. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा नंगल परियोजना के बारे में पंजाब और राजस्थान सरकारों के बीच हुए समझौते की नवीनतम स्थिति क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : करार के प्रारूप से उत्पन्न होने वाले विवादास्पद मामले सिंचाई और विद्युत के केन्द्रीय मंत्री तथा पंजाब और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के बीच २४ नवम्बर, १९५८ की मीटिंग में तय कर दिये गये थे। अभी तक इस समझौते पर दोनों राज्य सरकारों की ओर से औपचारिक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इस पर शीघ्र ही हस्ताक्षर करने की आशा है।

काश्मीर में पर्यटक

†१३८६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष काश्मीर घाटी में पर्यटकों की आशातीत भीड़ थी ; और

(ख) यदि हां, तो १ जनवरी १९५८ से अभी तक काश्मीर जाने वाले भारतीयों और विदेशी पर्यटकों की महीनेवार कितनी कितनी संख्या थी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष काश्मीर जाने वाले पर्यटकों की काफी संख्या थी। किन्तु इस का कारण यह है कि १९५७ काश्मीर के लिये अच्छा वर्ष नहीं था। गत वर्ष पर्यटन ऋतु में काश्मीर घाटी में असाधारण रूप से खराब मौसम रहा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस वर्ष अभी तक काश्मीर जाने वाले भारतीय और विदेशी पर्यटकों की संख्या नीचे दी जाती है :—

महीना	भारतीय	विदेशी
जनवरी	६७	१८
फरवरी	९१	६२
मार्च	२३०	३२२
अप्रैल	१,८३०	७८७
मई	१५,२०५	१,८४८
जून	१०,२५२	८५०
जुलाई	३,२५०	४९८
अगस्त	७,०४४	५८६
सितम्बर	५,८३७	४९०
अक्टूबर	६,६५३	६९१
कुल	५०,४५९	६,१५२

धनबाद रेलवे स्टेशन की नई इमारत

†१३८७. **श्री सुबिमन घोष :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब वह धनबाद रेलवे स्टेशन की नवीन इमारत का उद्घाटन करने १६ अक्टूबर, १९५८ को धनबाद जा रहे थे तो उन्हें पटना जंक्शन पर दो घंटे तक रुकना पड़ा ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे ; और

(ग) धनबाद स्टेशन के उद्घाटन समारोह की अनुमानित लागत कितनी थी और उस पर कितना यथार्थ खर्च हुआ ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जिस मालगाड़ी में रेलवे मंत्री का सैलून लगा हुआ था वह पटना से निर्धारित समय से १ घंटा और ३२ मिनट पश्चात् रवाना हुई क्योंकि शंटिंग के समय जब मालगाड़ी को रेलवे मंत्री का सैलून जोड़ने के लिये साइडिंग में लाया जा रहा था तो गलत रूप से लगाये गये प्वाइंट में प्रवेश करने से वह फंस कर गलत लाइन पर चली गई ।

(ग) २५०० रुपये मंजूर किये गये थे । यथार्थ खर्च मालूम किया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

गाजियाबाद और दिल्ली के बीच माल गाड़ी का पटरी से उतरना

†१३८८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ अक्टूबर, १९५८ को गाजियाबाद में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी और गाजियाबाद और दिल्ली के बीच सम्पूर्ण यातायात अव्यवस्थित हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का क्या कारण है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें०वें० रामस्वामी)** : (क) १५ अक्टूबर १९५८ को लगभग १५.१० बजे शंटिंग क्रिया के दौरान गाजियाबाद स्टेशन यार्ड पर एक ब्रेकवान ध्वस्त हो गई और दूसरी वैगन पटरी से उतर गई ।

पटरी से उतरने की इस घटना के फलस्वरूप गाजियाबाद और दिल्ली के बीच सीधा यातायात २०.४५ बजे तक रुका रहा ।

(ख) इस घटना की जांच अभी चल रही है ।

हिमाचल प्रदेश में परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल

†१३८९. **श्री मोहन स्वरूप** : : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी परिवहन श्रमिक संघ (गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन) ने २० अक्टूबर, १९५८ को हड़ताल करने की धमकी दी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि १८ अक्टूबर, १९५८ को दो घंटे की सांकेतिक हड़ताल की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने क्या कदम उठाये ; और

(घ) कर्मचारियों की क्या शिकायतें हैं और क्या यूनियन तथा प्रशासन के बीच कोई वार्ता हो रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). हड़ताल का एक नोटिस जिस में निम्नलिखित मांगें दी गई थीं हिमाचल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन की ओर से ४ अक्टूबर १९५८ को हिमाचल प्रदेश प्रशासन को प्राप्त हुआ था :—

(१) यूनियन की मान्यता ।

(२) क्लीनर्स/कंडक्टर्स के वेतन क्रम की पुनरीक्षा ।

(३) तारादेवी स्थित सेन्ट्रल वर्कशाप के कर्मचारियों को धल्ली-शिमला में काम करने वाले व्यक्तियों के समान पहाड़ी प्रतिकर भत्ता ।

(४) तारादेवी के रोजमर्रा मजूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित प्रतिष्ठान में लिया जाये ।

(५) धल्ली, नाहन, चम्बा, बिलासपुर और मंडी में कर्मचारियों को पहाड़ी प्रतिकर भत्ता, मकान किराया भत्ता, रात्रि भत्ता दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(६) कार्य-संचालन की दिशा में नियोजित कर्मचारियों[1] को कानूनी सहायता का उपबन्ध ।

(७) कर्मचारियों पर न्यायालयों द्वारा किये गये जुर्माने की राशि का लौटाया जाना ।

(८) बिलासपुर के कर्मचारियों की विलय से पूर्व की सेवाओं को सम्मिलित करना ।

इस हड़ताल के २० अक्टूबर, १९५८ से प्रारम्भ होने की सम्भावना थी । १८ अक्टूबर, १९५८ को दो घंटे की सांकेतिक हड़ताल की धमकी भी दी गई थी । हड़ताल का नोटिस मिलने के तुरन्त बाद हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने समझौता वार्ता प्रारम्भ कर दी । हड़ताल क्रियान्वित होने की अवस्था में स्थिति का सामना करने के अभिप्राय से हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने अत्यावश्यक परिवहन सेवायें चालू रखने के लिये उपयुक्त व्यवस्था कर दी थी । ११ अक्टूबर, १९५८ को हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के जनरल मैनेजर और यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच एक मीटिंग हुई और यह तय किया गया कि जहां तक संभव हुआ कर्मचारियों की मांगें स्वीकार कर ली जायेंगी । तत्पश्चात् यूनियन ने बगैर किसी शर्त हड़ताल का नोटिस १४ अक्टूबर, १९५८ को वापस ले लिया ।

उड़ीसा में वैतरणी और सालन्दी नदियां

†१३९०. **श्री पाणिग्राही** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में वैतरणी और सालन्दी नदियों में बाढ़ नियंत्रण के लिये किन्हीं जलाशय योजनाओं की जांच की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का क्या ब्यौरा है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई —इन दोनों के लिये जलाशय योजनाओं की जांच उड़ीसा में वैतरणी और सालन्दी नदियों पर प्रारम्भ की गई है तथा वैतरणी में भीमकुंड और सालन्दी में हाडगढ़ जलाशय परियोजनाओं के लिये चुने गये हैं । इन में से सालन्दी की परियोजना मध्यम सिंचाई योजना के रूप में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है ।

नई रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण

†१३९१. **श्री मोहम्मद इमाम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१-५२ से १९५७-५८ तक कितनी नवीन रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण किया गया है अथवा किया जा रहा है ;

(ख) प्रत्येक लाइन की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) क्या सर्वेक्षण की गई कुछ लाइनों के निर्माण की मंजूरी दी गई और इस अवधि में उन का निर्माण प्रारम्भ किया गया है और यदि हां, तो वे लाइनें कौन-कौन सी हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हर वर्ष स्वीकृत की गई लाइनों के सर्वेक्षण तथा इन में से जिन का निर्माण प्रारम्भ किया गया है उन की जानकारी रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Operational staff.

गई वार्षिक रिपोर्ट के परिच्छेद ४, खण्ड १, में दी गई है, इसकी प्रतियां लोक सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। १९५१–५२ से १९५७–५८ की अवधि में कुल मिला कर ८४ सर्वेक्षण किये गये।

(ख) सर्वेक्षण की गई किन्तु जिनका निर्माण नहीं हुआ ऐसी लाइनों के निर्माण लागत के बारे में जानकारी सामान्यतया प्रकाशित नहीं की जाती है क्योंकि इन के निर्माण की स्वीकृति के समय व्याप्त कीमतों के स्तर के अनुसार प्राक्कलन में सदैव परिवर्तन होता रहता है।

(ग) जैसा संलग्न सूची में बताया गया है ३६ लाइनों का निर्माण किया गया। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३८]**

जठरान्त्र कोप[1]

†**१३९२. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में जठरान्त्रकोप (गैस्ट्रो–एन्टराईटिस) से १ जनवरी से ३० सितम्बर, १९५८ तक कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

राज्य का नाम	जठरान्त्रकोप से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या	अवधि	रिमार्क
१	२	३	४
आंध्र प्रदेश	९,७७२*		*जठरान्त्रकोप से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या राज्य के संक्रामक रोगों के आंकड़ों में अलग नहीं लिखी गई हैं। उन्हें पेचिस व दस्त और हैजा के कारण मरने वाले व्यक्तियों के रूप में लिखा गया है। उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत यथासंभव उपलब्ध जानकारी नीचे दी जाती है :—
			पेचिश व दस्त ५२९६ जनवरी से जून, १९५८
			हैजा ४४७६ जनवरी से अक्टूबर, १९५८
आसाम	१,८५६	१-१-५८ से १३ सितम्बर, १९५८	
बिहार	जानकारी प्राप्त नहीं हुई।		

†मूल अंग्रेजी में

[1]Gatro Enteritis.

१	२	३	४
बम्बई .	,,	,,	
केरल .	,,	,,	
मध्य प्रदेश .	७६	१-३-५८ से २४-११-५८	
मद्रास . .	२५,०४०	१-१-५८ से ३०-९-५८	इस आशय की रिपोर्ट मिली है कि जठरान्त्रशोथ के अन्तर्गत कई अन्य बीमारियां सम्मिलित हैं। हैजा और पेचिश व दस्त से मरने वाले व्यक्तियों के बारे में राज्य से प्राप्त आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :— पेचिश २३,१२८ १-१-५८ से व दस्त ३०-९-५८ हैजा १,९१२ ,,
मैसूर . .	जानकारी प्राप्त नहीं हुई ।		
उड़ीसा . .	४,४८९**	१-१-५८ से २५-१०-५८	**इसमें हैजे से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या भी सम्मिलित है ।
पंजाब . .	७५	१-१-५८ से ३०-११-५८	
राजस्थान .	३१	१-१-५८ से १५-११-५८	
उत्तर प्रदेश .	९,००२ %	१-१-५८ से १५-११-५८	%इसमें हैजे से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या भी सम्मिलित है ।
पश्चिम बंगाल .	जानकारी प्राप्त नहीं हुई ।		
जम्मू और काश्मीर	एक भी नहीं ।		
	संघ राज्य-क्षेत्र		
दिल्ली . .	१४९	१-१-५८ से ३१-१०-५८	
हिमाचल प्रदेश	३८	१-१-५८ से ३१-९-५८	
मनीपुर . .	३	१-१-५८ से ३१-१०-५८	
अन्दमान और निकोबार द्वीप	जानकारी प्राप्त नहीं हुई ।		
त्रिपुरा . .	११	१-१-५८ से ३१-१०-५८	
लक्कदीव, मिनीकाय और अमीनदीव द्वीप	एक भी नहीं ।		

उड़ीसा में नेशनल पार्क

†१३९३. { श्री प्र० के० देव :
श्री वि० च० प्रधान :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सिपली पाल पहाड़ियों में नेशनल पार्क को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ; और

(ख) उपरोक्त पार्क बनाने की दिशा में कितनी प्रगति ई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में अनुदान के रूप में अनुमानित केन्द्रीय सहायता १,३३,३५० पये है । योजना अवधि के पहले दो वर्षों में भारत सरकार ने सिपली पाल पहाड़ियों में राष्ट्रीय पार्क की स्थापना और टिक्करपाड़ा आरण्य क्षेत्र में सुधार करने के लिये अनुदान स्वरूप ५५,८०० पये स्वीकृत किये थे । १९५८–५९ में कोई रकम स्वीकार नहीं की गई ।

(ख) प्रगति इस प्रकार हुई है :—

नई सड़क का निर्माण	१४ मील
वर्तमान सड़क में सुधार	२१ मील २५ चैन
कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण . .	ग्यारह
विश्रांति गृह का निर्माण .	एक (आंशिक)
वाच टावर का निर्माण	चार
कुएं का निर्माण	एक और एक (आंशिक)
जीप की खरीदी	एक
विश्रांति घरों में सुधार	पांच

पार्क के लिये आवश्यक कर्मचारियों की मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है ।

जाली टिकटें

†१३९४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अभी तक नकली रेलवे टिकट के कितने मामले पकड़े गये हैं; और

(ख) नकली रेलवे टिकटों के कारण रेल की आमदनी में कितनी अनुमानित हानि है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) अक्टूबर, १९५८ तक दस मामले पकड़े गये हैं ।

(ख) यदि न दस मामलों का पता नहीं लगता तो रेलवे को लगभग ३०० रुपये की हानि होती । ऐसी नकली टिकटें जो प्रयुक्त की जाती हैं और जिनका पता नहीं लगा उनसे हुई हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

---

†भूल अंग्रेजी में

कर्मचारियों के पदों की समुन्नति

†१३९५. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने १० फरवरी, १९५७ को अपनी एक घोषणा में नॉन-गजेटेड कर्मचारियों के कुछ वर्गों के पदों को प्रतिशतता के आधार पर पदों को समुन्नत करने के सिद्धान्तों का उल्लेख किया था;

(ख) इस घोषणा की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस घोषणा की भारतीय रेलों में किस सीमा तक क्रियान्विति हुई है और इस विषय की नवीनतम प्रगति क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी नहीं। यह घोषणा उस उच्च वर्ग के अतिरिक्त पदों के बारे में थी जिन्हें प्रारम्भ करने का प्रस्ताव था।

(ख) इस घोषणा से पर्याप्त कर्मचारियों को लाभ आ। नॉन-गजेटेड की १३ बड़ी श्रेणियों में विगत १ अप्रैल, ५६ के प्रतिलक्षी प्रभाव[1] से तुरन्त वेतन वृद्धि या पदोन्नति के माध्यम से प्रगति के बेहतर अवसर का लाभ हुआ। ड्राइवरों, गार्डों और फायरमैन सरीखे गाड़ियों के साथ चलने वाले कर्मचारियों को रनिंग अलाउन्स की ऊंची दर प्राप्त हुई।

(ग) सब कुल मिला कर रेलों में इसकी ८० प्रतिशत क्रियान्विति हुई।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये गाड़ियां

†१३९६. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में सहायता देने के लिए अमरीका सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता प्रशासन द्वारा खरीदी गयी गाड़ियों में से भारत सरकार ने कितनी-कितनी गाड़ियां विभिन्न राज्यों को वितरित या आवंटित की हैं;

(ख) क्या ये गाड़ियां अब राज्यों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं; और

(ग) यदि नहीं तो क्यों ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) ६४० ट्रकें और १७५ जीपें प्राप्त हुई हैं। छः क्षेत्रीय एकीकरण संगठनों के लिये अलग रखी गयी १६ जीपों को छोड़ कर शेष सभी गाड़ियां विभिन्न राज्यों में बांट दी गयी हैं। ३६० ट्रकें और १११ जीपें वितरित की जा चुकी हैं और बाकी दी जा रही हैं।

(ख) स्थानिक यूनिटों के लिये जो १३९ गाड़ियां आयी थीं उन में से १२० का उपयोग होने लगा है। शेष १९ का उपयोग इस वर्ष बाद में होने लगेगा जब अन्य स्थानिक यूनिटें, जो इस समय कार्य आरम्भ नहीं कर पाई हैं, कार्य आरम्भ कर देंगी।

(ग) निम्न-आन्तरिक यूनिटों[2] के लिये जो ६६० गाड़ियां आयी हैं उनका उपयोग १९५९-६० में ही हो सकेगा क्योंकि ये यूनिटें तभी कार्य आरम्भ करेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Retrospective effect
[2] Hypoendemic Uuits

विमान परिवहन संघ की बैठक

†१३९७. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २७ अक्तूबर, १९५८ को नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ (इण्टरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन) की जिस बैठक का उद्घाटन हुआ था क्या वह एशिया में होने वाली इस ढंग की पहली बैठक थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में कितने देशों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी हां ।

(ख) ६२ विमान-कम्पनियों के १५१ प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया था ।

झूम पद्धति द्वारा खेती[1]

†१३९८. **श्री दशरथ देब :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के रक्षित वनों में झूम पद्धति द्वारा खेती करने के अपराध में १९५८ में झूमिया आदिम जाति के कितने व्यक्ति पकड़े गये और दोषी सिद्ध हुए;

(ख) क्या सरकार की नीति यह थी कि झूमियों के पुनर्वास से पहले झूम पद्धति से खेती करने पर रोक लगा दी जाय; और

(ग) यदि हां, तो जब त्रिपुरा में झूम पद्धति द्वारा खेती करने पर रोक लगा दी गई है तो फिर झूमियों के लिये उसके बदले किस व्यवसाय की व्यवस्था की गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) किसी को नहीं ।

(ख) जी नहीं । झूम पद्धति से खेती करने पर अप्रैल, १९५२ से ही रोक लगी हुई है, परन्तु यह केवल रक्षित वनों के बारे में ही है । लेकिन, संरक्षित वनों के अधीन ऐसा काफी बड़ा क्षेत्र मौजद है जहां मुख्य सड़क और नावों के जाने योग्य जल-धाराओं से आध-मील की जगह छोड़ कर शेष सारे भाग में झूम पद्धति से खेती करने की छूट है ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी समतल भूमि पर झूमिया आदिवासियों के पुनर्वास की योजनायें आरम्भ की गयी हैं और कुल २१,००० परिवारों में से ७,४१४ परिवारों को बसाया जा चुका है। यह आशा की जाती है कि २,००० और परिवारों को चालू वर्ष में बसा दिया जायेगा ।

धान के बीज

†१३९९. **श्री दशरथ देब :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक त्रिपुरा के प्रत्येक डिवीजन में कृषि विभाग ने धान के कुल कितने-कितने बीजों का संभरण किया है;

(ख) धान के बीजों के संभरण से कितनी कीमत वसूल हुई;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Jhuming

(ग) क्या कुछ बीज ऋण अथवा दान के रूप में पेशगी दे दिय गये थे; और

(घ) क्या यह सच है कि धान के बीजों की कमी के कारण धरती परती पड़ी रह गयी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). त्रिपुरा प्रशासन से यह जानकारी मांगी जा रही हैं और आते ही लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में वलय-कूप[1]

†**१४००. श्री दशरथ देब** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में त्रिपुरा प्रशासन ने आंशिक रूप से ईंटों की दीवार वाले जिन वलय-कूपों का निर्माण किया था वह उपयुक्त और उपयोगी नहीं सिद्ध हुए; और

(ख) यदि हां, तो इन वलय-कूपों के निर्माण के लिये कौन उत्तरदायी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हां । केवल कुछ ही कूप ऐसे निकले ।

(ख) ये कुएं त्रिपुरा प्रशासन के निश्चयानुसार बनाये गये थे ।

सूरतगढ़ फार्म

†**१४०१. श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सूरतगढ़ फार्म में कितने राजपत्रित कर्मचारी काम कर रहे हैं; और

(ख) उपर्युक्त फार्म में इस समय कार्य करने वाले अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) ६ ।

(ख) १८७ ।

सूरतगढ़ फार्म में ट्रैक्टर

†**१४०२. श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरतगढ़ फार्म में एक ट्रैक्टर का प्रति घंटे का संचालन व्यय कितना है ; और

(ख) उतनी ही अश्वशक्ति वाले निजी ट्रैक्टरों का औसत संचालन व्यय कितना होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Ring-wells.

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) सूरतगढ़ फार्म में कार्य करने वाले प्रत्येक किस्म के ट्रैक्टरों का प्राक्कलित संचालन व्यय नीचे दिया जाता है :—

किस्म	अश्व-शक्ति	संचालन व्यय रुपये
एस० ८० (क्रालर) . . .	८०	२९.०० प्रति घंटा
डी० टी० ५४ (,,) . .	५४	१८.८४ ,,
एम० टी० जेड (व्हील) . . .	३७	९.३१ ,,

(ख) इतनी ही अश्व-शक्ति वाले निजी ट्रैक्टरों का संचालन व्यय ज्ञात नहीं है ।

सिंचाई संबंधी क्षमता का उपयोग

†१४०३. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री पाणिग्रही :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात का पता लगाने के लिये कि देश की सिंचाई सम्बन्धी पूरी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है या नहीं केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारियों ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: मैसूर, केरल, मद्रास, उत्तर प्रदेश और पंजाब के पांच राज्यों में बड़ी और मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाओं से उत्पन्न सिंचाई क्षमता के उपयोग के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारियों के प्रतिवेदन आ गये हैं । इन प्रतिवेदनों पर विचार किया जा रहा है । अन्य राज्यों के प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

वर्षा के कारण गेहूं की लदानों को क्षति

†१४०४. **श्री साधन गुप्त** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १४ सितम्बर, १९५८ को आसनसोल में गेहूं की तीन लदानें उतार कर भारी वर्षा में रेलवे यार्ड में खुले में रखी गयी थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ;

(ग) इन लदानों में कुल कितना गेहूं था ;

(घ) लदान मंगाने वाले का क्या नाम था ;

(ङ) क्या वर्षा में खुले पड़े रहने के कारण कुछ गेहूं को क्षति पहुंची थी, और यदि हां, तो कितने गेहूं को; और

(च) क्षतिग्रस्त गेहूं की कीमत कितनी होगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें०रामस्वामी)**: (क) और (ख). १४-९-५८ को आसनसोल में गेहूं की तीन लदानें उतारी गयीं थीं । गुड्स शेड के साथ वाले प्लेट फार्म पर, जहां इस प्रकार की लदानें हटाने की आसानी के लिये आम तौर पर उतारी जाती हैं, उनकी थाक लगाकर उन पर तिरपाल ढक दिया गया था ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) लगभग २२,५०० मन ।

(घ) सहायक खाद्य निदेशक, केन्द्रीय स्टोरेज (भारत सरकार), आसनसोल ।

(ङ) लगभग ६७० मन ।

(च) लगभग ११,००० रुपये ।

दिल्ली में खाद्य उत्पादन

†१४०५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वय में देर होने के कारण दिल्ली में खाद्य उत्पादन की योजनायें निर्दिष्ट कार्यक्रम से पिछड़ गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है, ताकि खाद्य उत्पादन के लक्ष्य पूरे किये जा सकें ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां, आंशिक रूप से ।

(ख) जहां तक छोटी सिंचाई का सम्बन्ध है, मौजूदा कुओं में खुदाई और छिद्रण के लिये ऋण मंजूर करने के अलावा नलकूपों से सिंचाई करने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

भाड़े के शुल्क की हानि

†१४०६. **श्री कालिका सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजपथ वाले पुल के निर्माण के लिये जो शिला-खण्ड ले जाये गये थे वह वैगनों में लादे अधिक गये थे लेकिन उनका भाड़ा कम लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ;

(घ) यदि हां, तो क्या अतिरिक्त किराया वसूल कर लिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितना ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ). उत्तर रेलवे द्वारा की गयी जांच के फलस्वरूप यह पता चला है कि अयोध्या को उत्तर प्रदेश के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (निर्माण) के नाम बुक किये गये पत्थरों के वेगन में निर्धारित से अधिक पत्थर लदे थे । कितने पत्थर अधिक लादे गये थे और उनका क्या अतिरिक्त किराया वसूल करना होगा, इस बात का पता लगाने के लिये रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार इस मामले की संयुक्त रूप से जांच कर रहीं हैं ।

मनीपुर में हाथी

†१४०७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर प्रशासन के पास कितने हाथी हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) हाथियों के लिए इस समय कितना क्षेत्र रक्षित है तथा कितनी भूमि खेती के लिये छोड़ दी गई है ;

(ग) क्या मनीपुर में 'सामुसांग फोरेस्ट रिजर्व' के हाथी, उस क्षेत्र में खेती करने के उद्देश्य से वापस बुला लिए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या रिजर्व को बनाया रखा जायेगा और भूमिहीन किसानों को इस रिजर्व को देने का अब कोई विचार नहीं है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तीन

(ख) 'सामुसांग फोरेस्ट रिजर्व' में ३३० एकड़ जमीन हाथियों के लिए रक्षित है जिसमें से लगभग २०० एकड़ में खेती की जा सकती है । इस २०० एकड़ क्षेत्र में से लगभग ७० कड़ में खेती की जा रही है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जब तक हाथियों के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल जाता तब तक इस रिजर्व को बनाये रखा जायेगा । खेती करने के लिये इसका रक्षण समाप्त करने का इस समय कोई विचार नहीं है ।

आन्ध्र में कड़पा-करनूल नहर

†**१४०८. श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कड़पा-करनूल नहर तथा राजोलीबुन्दा योजना के विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सहायता के रूप में कितनी धनराशि स्वीकार की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां । आन्ध्र प्रदेश सरकार ने करनूल-कड़पा नहर के सुधार के लिए २ करोड़ रुपये तथा राजोलीबुन्दा योजना के लिए १.२७ करोड़ रुपये अतिरिक्त धनराशि मांगी है ।

(ख) योजना आयोग ने १९५८-५९ में ७४ लाख रुपये (४० लाख रुपया कड़पा-करनूल नहर के लिए तथा ३४ लाख रुपया राजोलिबुन्दा के लिए) के अतिरिक्त उपबन्ध की स्वीकृति दे दी है । इसमें से २४ लाख रुपया कड़पा-करनूल नहर के लिये तथा २०.४ लाख पया राजोलीबुन्दा योजना के लिये केन्द्रीय ऋण सहायता होगी परन्तु शर्त यह है कि शेष राशि राज्य सरकार दे ।

सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाने वाला कारखाना, पेराम्बूर

†**१४०९. श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेराम्बूर के सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाने वाले कारखाने में उसकी पूरी सामर्थ्य काम हो रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई में नई रेलवे लाइन

†१४१०. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई सरकार ने कौन-कौन सी नई रेलवे लाइनों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की सिफारिश की है ; और

(ख) क्या इन लाइनों का सर्वेक्षण कर लिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) एक विवरण सम्बद्ध है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३९]**

(ख) निम्नलिखित लाइनों के सर्वेक्षण किए गए हैं :—

१. तारापुर—भावनगर ।

२. दीवा—दर्सू गांव ।

३. उदयपुर—हिम्मत नगर ।

४. सामाखाली—मालिया ।

५. माहलि—भद्रन तथा सोजित्रा—ढोलका ।

डीजल कार

†१४११. **श्री मू० चं० जैन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के पानीपत-जींद तथा कुरुक्षेत्र-नरवाना सेक्शन पर डीज़ल कार चलाने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके प्रारम्भ करने की संभावित तिथि क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) रोहतक-पानीपत की टूटी लाइन के शेष भाग को बनाने के लिये क्या अभ्यावेदन मिले हैं ; **और**

(ङ) यदि हां, तो क्या अभ्यावेदन किया गया है तथा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) उत्तर रेलवे के पानीपत-जींद तथा कुरुक्षेत्र-नरवाना सेक्शन पर डीज़ल रेल कार सेवा चलाने का विचार है ।

(ख) और (ग). परीक्षण के लिये चलाने के परिणामों पर यह निर्भर करेगा कि ये डीज़ल कारें किस तारीख से चलाई जायेंगी ।

(घ) और (ङ). जी हां । अभ्यावेदनकर्ताओं को बता दिया गया है कि रोहतक-गोहाना-पानीपत की उखाड़ी गई लाइन के गोहाना-पानीपत सेक्शन को बनाने का काम द्वितीय योजना में शामिल नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, इस सेक्शन के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय करने से पूर्व सड़क प्रतिद्वन्द्विता पर तथा रोहतक-गोहाना के यातायात पर विचार करने का सरकार का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य की प्रति व्यक्ति खपत

†१४१२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में इस समय खाद्य की प्रति व्यक्ति खपत में असमानता है; और

(ख) अन्तिम जानकारी के अनुसार प्रत्येक राज्य में उपयुक्त खाद्य के आंकड़े (कैलीरीज में) क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). क्योंकि खाद्य के उत्पादन तथा खपत के बारे में सूचना प्राप्य नहीं है, इसलिये विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति खपत की असमानता के आंकड़े तथा प्रत्येक राज्य में उपयुक्त खाद्य के प्रति व्यक्ति आंकड़े (कैलीरीज में) बताना सम्भव नहीं है। विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति खपत के आंकड़े बताये जाने भी कठिन हैं क्योंकि रेल तथा सड़क के द्वारा राज्यों में पर्याप्त खाद्यान्नों का आवागमन होता है।

रेलवे मंत्री के साथ मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

†१४१३. { **श्री पाणिग्रही :**
श्री महन्ती :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही दिल्ली में रेलवे मंत्री तथा राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने रेलवे लाइनें, ऊपरी पुल, रेलवे क्रासिंग और राज्य में नई गाड़ियों को चलाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो विचार के लिये प्रस्तुत इन प्रस्तावों के ब्यौरे क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां। ७-११-५८ को।

(ख) जी हां।

(ग) एक विवरण संबद्ध है।

विवरण

१. कटक स्टेशन के उत्तर में नीचे के रेलवे पुल को चौड़ा करना तथा स्टेशन के दक्षिण में एक नीचे का पुल बनाने की व्यवस्था।

२. बराजामदा तथा बाराबिल के बीच शटल सर्विस चलाना।

३. निम्नलिखित रेलवे लाइनों का निर्माण :—

(क) सम्बलपुर—तीतलीगढ़

(ख) तालचर—हरकेला

(ग) रायगढ़—नवरंगपुर—जयपुर

(घ) बांगीरपोसी—बैटंगपुर, तथा

(ङ) रायगढ़—गनपुर

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर रेलवे पर नई लाइनों का सर्वेक्षण

†१४१४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर रेलवे पर किन लाइनों के सर्वेक्षण किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है तथा उनके ब्यौरे क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : एक विवरण सम्बद्ध है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४०]**

मनीपुर में पर्यटन

†१४१५. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में पर्यटन यातायात को बढ़ाने के सम्बन्ध में, डीमापुर-मनीपुर सड़क पर एक ब्यूरो खोलने के लिये मनीपुर प्रशासन कुछ गैर-सरकारी बंगलों का अर्जन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस अर्जन पर क्या व्यय होगा; और

(ग) मनीपुर प्रशासन द्वारा संघ क्षेत्र में पर्यटन यातायात बढ़ाने के अन्य प्रस्ताव क्या हैं?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) हाल में ही मनीपुर प्रशासन द्वारा पर्यटन यातायात बढ़ाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित अन्य प्रस्ताव हैं :—

१. इम्फाल में एक पर्यटन होस्टल का निर्माण।

२. उखरूल में एक डाक बंगले का निर्माण।

३. लाकेटक झील पर थांगा में एक डाक बंगले का निर्माण तथा नावों की व्यवस्था।

४. इम्फाल में पर्यटन ब्यूरो का भवन निर्माण।

५. कंगचुप पहाड़ी के ऊपर के डाक बंगले का सुधार।

इन पर ३ दिसम्बर, १९५८ की एक बैठक में विचार किया गया जिसमें मनीपुर के मुख्य आयुक्त, योजना आयोग, परिवहन तथा संचार मंत्रालय तथा लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित थे। पदाधिकारियों ने यह सिफारिश की कि १९५९-६० में मनीपुर प्रशासन को इम्फाल में पर्यटन होस्टल तथा उखरूल में डाक बंगले के निर्माण का काम प्रारम्भ कर देना चाहिये।

परिवार नियोजन

†१४१६. **श्री पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या अध्ययन की भारतीय संस्था के निदेशक को भारत सरकार ने चीन की जनसंख्या समस्या का अध्ययन करने को भेजा है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या पुरुषों को सन्तानोत्पत्ति के लिये अयोग्य बनाने की कोई योजना मद्रास में लागू की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी योजना के क्या ब्यौरे हैं; और

(घ) देश में जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिये जनसंख्या अध्ययन की भारतीय संस्था ने और क्या गवेषणा की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार मद्रास सरकार ने सन्तानोत्पत्ति के लिये अयोग्य बनाने की निम्नलिखित योजनायें लागू की हैं :—

(१) मद्रास नगर के कुछ गैर-सरकारी चिकित्सकों को एक वर्ष के लिये पुरुषों को सन्तानोत्पत्ति के लिये अयोग्य बनाने के औपरेशन के लिये धन की सहायता की योजना, योजना के अधीन स्वीकृत पहले औपरेशन की तिथि से १२ महीनों की अवधि तक प्रति औपरेशन २५ रुपये की दर से सहायता। इस दर का प्रति वर्ष पुनरीक्षण हो रहा है। यह सहायता उन्हीं व्यक्तियों के औपरेशन के लिये है जिनकी आय २०० रुपये प्रति माह अथवा उससे कम है।

योजना के अधीन, चार गैर-सरकारी चिकित्सक, जिन्हें औपरेशन करने का बड़ा अनुभव है तथा जिनके पास 'नर्सिंग होम' की सुविधायें हैं, नियुक्त किये गये हैं।

(२) प्रचारक तथा परिवार नियोजन के अध्यापक को, सरकारी अस्पतालों में अथवा स्वीकृत औपरेशन करने वालों के पास ऐसे सन्तानोत्पत्ति के लिये अयोग्य बनाये जाने वाले पुरुषों को भेजने के लिये औपरेशन के प्रत्येक मामले के लिये २ रुपये का विशेष पारिश्रमिक दिये जाने की योजना।

(३) परिवार नियोजन के शल्य चिकित्सा के तरीकों को अपनाने वाले मद्रास नगर के सरकारी कर्मचारियों को 'मद्रास नगर सरकारी कर्मचारी परिवार कल्याण योजना' के अन्तर्गत रियायत दी गई है। योजना के अधीन, मद्रास नगर के सरकारी कर्मचारी, जो पुरुष ३२ वर्ष तथा स्त्री २६ वर्ष की आयु की हो गई हो तथा जिनके कम से कम तीन जीवित बच्चे हों, योजना की रियायतों का उपयोग करने के अधिकारी हैं। योजना के अधीन सन्तानोत्पत्ति के लिये अयोग्य होने का औपरेशन कराने वाले पुरुषों को प्रत्येक पुरुष १५ रुपये तथा सन्तानोत्पत्ति के लिये अयोग्य होने का औपरेशन कराने वाली स्त्रियों को प्रत्येक स्त्री २५ रुपये दिये जायेंगे। इस योजना के अधीन पुरुष द्वारा सन्तानोत्पत्ति के अयोग्य होने का औपरेशन के लिए सरकार ने दो शल्य चिकित्सा दल स्थापित किये हैं। एक गवर्नमेंट जनरल अस्पताल तथा दूसरा गवर्नमेंट स्टैन्ले अस्पताल, मद्रास। क्योंकि स्त्रियों को सन्तानोत्पत्ति के अयोग्य बनाने का औपरेशन बच्चा होने के तुरन्त बाद किया जाता है इसलिये ऐसी चिकित्सा एकक में, जिन में बच्चा पैदा कराया जाता है, औपरेशन कराने की इच्छा वाली स्त्रियों का औपरेशन किया जाता है। स्त्रियों को सन्तानोत्पत्ति के अयोग्य बनाने के औपरेशन के लिये कोई अलग शल्य चिकित्सा एकक योजना के अधीन स्थापित नहीं किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) मद्रास नगर सरकारी कर्मचारी परिवार कल्याण योजना, जिसके लिये १,५०० रुपये का अनुदान स्वीकार किया गया है, के अधीन, पिताओं के रुख का सर्वेक्षण करने का निदेश, जनसंख्या अध्ययन की भारतीय संस्था, मद्रास, के निदेशक को दिया था। इस योजना के अधीन अब तक ११ ऑपरेशन किये जा चुके हैं।

(घ) मद्रास सरकार से जानकारी मंगाई है जो अभी मिली नहीं है।

उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार भवनों का निर्माण

१४१७. श्री भक्त दर्शन : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश परिमंडल के अन्तर्गत डाक तथा तार विभाग के भवनों के निर्माण में इस बीच और क्या प्रगति हुई है;

(ख) वर्ष १९५८-५९ में उक्त परिमण्डल में डाक तथा तार विभाग के भवन निर्माण का कौन सा कार्यक्रम निश्चित किया गया है;

(ग) उन भवनों में से प्रत्येक पर अनुमानतः कितना व्यय होगा; और

(घ) शेष निर्माण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से कौन-कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). जैसा कि अनुबन्ध 'क' में दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४१]**

(घ) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की गयी सामयिक बैठकों में भवन-निर्माण-कार्य की प्रगति का पुनरीक्षण किया जा रहा है। परिमण्डल-स्तर पर भी ऐसी बैठकें आयोजित की जाती हैं, एवं सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्माणकार्यों के निष्पादन में शीघ्रता लाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्राथमिक विपणन समितियां

†**१४१८. श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडियो में प्राथमिक विपणन समितियां बनाने का कार्यक्रम पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). द्वितीय पंच वर्षीय योजना विधि में १९०० विपणन समितियां संगठित की जानी है। इनमें से ७४९ समितियां पहले दो वर्षों में संगठित की गई थीं तथा आशा है कि शेष, बची हुई योजनावधि में संगठित हो जायेंगी।

त्रिपुरा में डाक सेवायें

†**१४१९. श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धर्मनगर त्रिपुरा में डाक पहुंचने में कम से कम ४, ५ दिन लग जाते हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वहां पर डाक पहुंचने की पद्धति में सुधार करने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) आसाम-अगरताला ट्रंक रोड पर डाक मोटर सेवा आरम्भ करने का विचार है जिससे धर्मनगर डाक पहुंच सके।

पंजाब के लिये खाद्यान्न

†१४२०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य स्थिति को ठीक रखने तथा राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में मूल्यों को स्थिर रखने के दृष्टिकोण से केन्द्रीय सरकार ने अब तक १९५८ में पंजाब राज्य को कितनी मात्रा में खाद्यान्न दिए हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: १९५८ में राज्य में खाद्यान्नों का आवेदन आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि पंजाब राज्य में गेहूं तथा चावल दोनों उसकी आवश्यकता से अधिक हैं। परन्तु राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में वितरण के लिए नवम्बर, १९५८ के अन्त तक केन्द्रीय सरकार ने लगभग ३,४०० टन गेहूं दिया था।

नजफ़गढ़ विकास खंड के लिये सिंचाई योजना

१४२१. { **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के नजफगढ़ विकास खण्ड के लिये कोई सिंचाई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितने एकड़ भमि में सिंचाई की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिये तीन प्रस्तावों पर परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) क्लचरेबिल कोमान्डेड एरिया के ४५,००० एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

लम्फाल में कृषि स्कूल

†१४२२. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में लम्फाल में कृषि स्कूल आरम्भ हो गया है ; और

(ख) क्या कर्मचारियों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जी नहीं।

दिल्ली में बिजली का संभरण

†१४२३. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली में बिजली का संभरण अपर्याप्त पाया गया है तथा पंजाब ने भाखड़ा बिजली घर से प्रत्येक वर्ष १०,००० किलोवाट बिजली देने से इन्कार कर दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : दिल्ली को पंजाब ग्रिड क भाखड़ा नंगल सिस्टम से २०,००० किलोवाट बिजली मिलने पर भी इस समय दिल्ली में बिजली की बहुत कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए पुराने दिल्ली राज्य विद्युत् बोर्ड (अब दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम) ने पंजाब सरकार को ४०,००० किलोवाट बिजली का अतिरिक्त संभरण, १९५९–६० से, जब कि पहला भाखड़ा यूनिट चालू हो जायेगा, १०,००० किलोवाट की किश्तों में, करने को लिखा था। हाल में ही राज्य सरकार ने दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम को बताया है कि १९५९ में दिल्ली को १०,००० किलोवाट अतिरिक्त बिजली नहीं दी जा सकती है क्योंकि पहले ही इससे बहुत अधिक बिजली ली जा रही है। परन्तु पंजाब सरकार १९६० में भाखड़ा बिजली घर बन जाने पर दिल्ली को बिजली देने के बारे में विचार कर रही है ?

शिल्प तथा कुटीर उद्योग

†**१४२५. श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में शिल्प तथा कुटीर उद्योग आरंभ करने के लिए ग्राम वासियों को प्रोत्साहन दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मनीपुर में ऐसे उद्योगों के विकास के लिए कितनी धनराशि अब तक आवंटित की गई है; और

(ग) मनीपुर के किन स्थानों पर कितनी औद्योगिक एकक तथा केन्द्र प्रारम्भ किए गए हैं ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री के सभा-सचिव (श्री ब० स० मूर्त्ति)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). मनीपुर प्रशासन से जानकारी मांगी जा रही है तथा मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सड़क दर्घटनायें

†**१४२६. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

१ जनवरी १९५७ से ३० नवम्बर १९५८ तक भारत में सड़क दुर्घटनाओं से कितने व्यक्ति मरे तथा घायल हुए ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तार जांच समिति का प्रतिवेदन

†**१४२७. चौ० रणबीर सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय तार यातायात कर्मचारी संघ, श्रेणी तीन, ने तार जांच समिति के प्रतिवेदन की एक अग्रिम प्रति मांगी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार का इरादा समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के बारे में यूनियन के विचार पता लगाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्रतिवेदन की जांच हो रही है। जांच के दौरान में निर्णय करने से पूर्व यूनियन के विचार पता लगाने के बारे में विचार किया जायेगा।

जम्मू तथा काश्मीर में डाक तथा तार भवन

†१४२८. **चौ० रणवीर सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा श्रीनगर में तार यातायात के लिए विभागीय भवन तथा कर्मचारी क्वार्टर बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो अपर्याप्त कार्यालय स्थान तथा कार्मचारियों की क्वार्टर की कठिनाइयों को दर करने के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). जम्मू तथा श्रीनगर में तार यातायात कार्यालय का भवन बनाने के किसी प्रस्ताव पर इस समय विचार नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों के क्वार्टर बनाने के लिए राज्य सरकार को ४०,००० वर्ग फुट भूमि श्रीनगर में तथा २६,७८० वर्ग फुट भूमि जम्मू में देने को लिखा है। अम्बाला के पोस्ट मास्टर जनरल राज्य सरकार प्राधिकारियों के साथ इस मामले पर लिखा पढ़ी कर रहे हैं।

चण्डीगढ़ में डाक तथा तार भवन

†१४२९. **चौ० रणवीर सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में डाक तथा तार कार्यालय के भवन का निर्माण करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि है, तो क्या चण्डीगढ़ राजधानी परियोजना प्राधिकारी ने भवन का नक्शा स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या पंजाब सरकार से खरीदे जाने वाले २०० क्वार्टर खरीद लिए गए हैं ; और

(ङ) चण्डीगढ़ की स्थिति देखते हुए क्या चण्डीगढ़ में कर्मचारियों के क्वार्टर बढ़ाने की कोई योजना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) योजना के लिए उनका परामर्श लिया जा रहा है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) अभी नहीं लिए गए हैं परन्तु शीघ्र ही लिए जायेंगे।

(ङ) २०० क्वार्टर खरीदे जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमृतसर सेंट्रल टेलीग्राफ आफिस के लिये इमारत

†१४३०. **चौ० रणबीर सिंह :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर में इस समय सेंट्रल टेलीग्राफ आफिस की जो इमारत है वह मूलतः १०/१२ अधिकारियों के रहने के लिये बनाई गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि अब यहां के कर्मचारियों की संख्या १५० तक बढ़ गई है और वे सभी इसी इमारत में काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या तारघर के लिये एक पृथक इमारत बनाने के बारे में कोई विचार किया गया है तथा उसकी स्वीकृति दी गई है ;

(घ) क्या अमृतसर में तार कर्मचारियों के लिये कोई क्वार्टर बनाने की भी योजना है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस का ब्योरा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जब यह कार्यालय खुला था तब इसमें काफी स्थान था। समय समय पर इसका आकार और बढ़ाया जाता रहा है। वर्तमान इमारत में ३,८५० वर्ग फुट जगह है और यह इमारत १३० आदमियों के लिये विभागीय स्टैण्डर्ड से पर्याप्त है।

(ख) समय समय पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ ही जगह का क्षेत्रफल भी। इस समय १७२ कर्मचारी हैं और ४,७७५ वर्ग फुट स्थान जब कि पहले केवल ३,८५० वर्ग फुट जगह थी।

(ग) केन्द्रीय डाक घर कार्यालय बनाने के लिये एक योजना पर विचार किया जा रहा है इस का नक्शा तथा प्रावकलन तैयार कर लिये गये हैं।

(घ) तथा (ङ). अमृतसर में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये रहने के लिये मकान बनाने के लिये ११.५४ लाख रुपये स्वीकार किये गये हैं। इस बस्ती में १५८ मकान बनाये जायेंगे। इस बस्ती के लिये जगह का चुनाव हो चुका है। जिलाधीश को यह जगह प्राप्त करने के लिये बातचीत चलाने के लिये कहा गया है।

बूट पालिश एकाधिकार ठेके

†१४३१. { **श्री पु० र० पटेल :** **श्री उ० क० परमार :** }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों में रेलवे प्लेटफार्मों तथा यार्डों पर जूते पालिश करने के लिये ठेके दिये जा चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये ठेके कितने ठेकेदारों को दिये गये हैं तथा इससे रेलवे को कितनी आमदनी होती है ; और

(ग) क्या यह सच है कि यह ठेकेदार उन निर्धन लोगों से जिन को कि यह स्टेशनों के अन्दर बूट पालिश करने की अनुमति देते हैं प्रति दिन १ १/२ रुपये लेते हैं ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां ।

(ख) ४० । इन से प्राप्त होने वाली लाइसेंस फीस ९,०५२ रुपये वार्षिक ।

(ग) जी नहीं ।

स्वचालित यातायात नियंत्रण सिगनल

१४३२ { श्री नवल प्रभाकर :
श्री भक्त दर्शन :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक दिल्ली में कितने चौराहों पर स्वचालित यातायात नियंत्रण सिगनल लगाये गये हैं ; और

(ख) वर्ष १९५८-५९ में किन स्थानों पर ये सिगनल लगाने का विचार है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ४ ।

(ख) दिल्ली यातायात पुलिस ने निम्नलिखित आठ जगहों पर हाथ से किये जाने वाले बिजली सिगनलों को स्वचालित सिगनलों में बदलने की सिफारिश की है :

(१) बाराखम्बा सरकस
(२) पंचकुंइयां रोड सरकस
(३) रामकृष्ण रोड
(४) जनपथ और राजपथ का चौराहा
(५) फ़ैज़ बाजार का नुक्कड़
(६) लालकिला चौराहा
(७) क्वीन्स रोड–छत्ता रेल
(८) गुरुद्वारा रोड और आर्य समाज रोड का चौराहा

इन के अलावा निम्नलिखित ६ चौराहों पर और स्वचालित सिगनल लगाने की सिफारिश की गई है :—

(१) राजपथ-ओल्डमिल रोड
(२) राजपथ-मानसिंह रोड
(३) पचकुंइयां रोड-बेयर्ड रोड
(४) लेडी हार्डिंग रोड-बेयर्ड रोड
(५) लोदी रोड-लोदी इस्टेट रोड नं० २
(६) पृथ्वीराज लेन-रटण्डन रोड ।

चौराहों पर बिजली के सिगनल लगाने की जिम्मेवारी स्थानीय संस्थायें दिल्ली नगर पालिका निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका की है जो इन कामों पर होने वाले खर्च की व्यवस्था करती हैं, इसलिये कितने स्वचालित सिगनल किन किन स्थानों पर इन संस्थाओं द्वारा १९५८-५९ में लगाये जायेंगे यह गिनाना सम्भव नहीं है ।

गंगा नदी पर पुल

१४३३. श्री सरजू पाण्डे : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजीपुर और वाराणसी के बीच गोमती नदी पर उस पुल के निर्माण में क्या प्रगति हुई जिसका सर्वेक्षण समाप्त हो चुका है ; और

(ख) उस पुल के निर्माण में देरी के क्या कारण हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पुल की रूपरेखा की ब्योरेवार जांच कर ली गई है और इसकी पहले की रूपरेखा और तख्मीने में कुछ संशोधन करने का निश्चय किया गया है ।

(ख) राज्य सरकार से संशोधित रूपरेखा और तख़मीने की मंजूरी मिलने पर ही पुल के बनाने का काम शुरू किया जा सकेगा ।

सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों के लिये शरद्कालीन वर्दी

†१४३४. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के कुछ कमचारियों को शरद्-कालीन वर्दियां दी जाती हैं ; और

(ख) क्या ये वर्दियां इसी वर्ष दी गई हैं या हर वर्ष दी जाती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख). दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले ड्राइवरों, हवलदारों तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को हर दूसरे वर्ष शरद्कालीन वर्दियां दी जाती हैं ।

चूहा विरोधी अभियान

१४३५. { **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में चूहा विरोधी अभियान आरम्भ करने की योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का विवरण क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) यह योजना रबी उत्पादन आन्दोलन के एक भाग के रूप में शुरू की जायेगी । खाद्यान्न को चूहों के द्वारा नुकसान होने की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिये काफी प्रचार के बाद और ब्लाक विकास अफसरों, ग्राम सेवकों आदि को प्राथमिक प्रशिक्षण देने के पश्चात् समस्त ३०० ग्रामों का सर्वेक्षण करने के लिये स्क्वेड्स बनाये जायेंगे, प्रत्येक स्क्वेड में कम से कम २० सदस्य होंगे । दिल्ली के केन्द्रीय प्रदेश में समस्त पांचों ब्लाकों में जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है, उस समय तक ये स्क्वेड्स ग्रामों के एक ब्लाक में कार्य करेंगे ।

पहले दिन, ये स्क्वेड्स ग्रामीणों को प्रशिक्षित करेंगे और कृषि क्षेत्रों और उनके आस पास की भूमियों में बिलों को ढूढ़ेंगे । दूसरे दिन ये बिल मिट्टी से भर दिये जायेंगे । चूहों द्वारा खोले गये बिलों का (जिसमें चूहे उस समय रहते हैं) पुनः निरीक्षण किया जायेगा और कुछ गेहूं या बाजरा उनमें फैंक दिया जायेगा, जिससे चूहे उस दाने के आदी हो जायेंगे । तीसरे दिन कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी और चूहों को उस दाने के खाने के लिये समय दिया जायेगा । चौथे दिन, जहर मिला हुआ गेहूं या बाजरा उन बिलों में, जहां चूहे रहते हैं, फैंका जायेगा और पांचवें दिन, मरे हुए चूहों को इक्ट्ठा किया जायेगा और गिना जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सब्जी और दालों के भाव

१४३६. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सब्जी और दालों के भाव आश्चर्यजनक रूप से बढ़ते जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इन बढ़ते हुये भावों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री अजित प्रसाद जैन) : (क) दिल्ली में कुछ दालों के भाव बढ़ गये हैं जैसा कि देश के अन्य भागों में हुआ है। दिल्ली में कुछ सब्जियों के भाव हाल ही में बढ़ गये हैं, जबकि दूसरों के कम हो गये हैं ।

(ख) दालों के भावों की बढ़ती हुई प्रवृति को रोकने के लिये, सरकार ने जुलाई, १९५८ से दालों के वायदा व्यापार को बन्द कर दिया है। दालों के बिना पर बैंन्कों से अग्रिम धन देने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं ।

कुछ सब्जियों के भावों में हाल का बढ़ाव मौसिम के कारण हो सकता है, और इसलिये सरकार को कोई कायवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

दानेदार चीनी का उत्पादन

†१४३७. **श्री जाधव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १८ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे छोटे कारखानों में दानेदार चीनी का उत्पादन करने की योजना को भारत के विभिन्न राज्यों में चालू किया जा रहा है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी ऐसे एकक चालू हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम ;

(घ) ऐसे एककों द्वारा १९५७-५८ में कुल कितनी चीनी उत्पादित हुई ;

(ङ) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य के कृषक सहकारी आधार पर ऐसे कारखाने चलाने को तैयार हैं ; और

(च) क्या उनको इसके लिये आवश्यक आज्ञा दी जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** केन्द्रीय सरकार ने ओपन पेन सिस्टम से परिमार्जित विधि तथा उपकरणों की सहायता से चीनी के उत्पादन के बारे में एक प्रविधिक पुस्तिका निकाली है। इसकी प्रतियां सभा के पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं। इस कार्य के लिये आवश्यक एककों की स्थापना का प्रश्न अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के जिम्मे है। ये आयोग राज्य

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार से परामर्श करके इनकी स्थापना कर रहा है। जिनको रुचि हो वह आयोग से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

(ख) तथा (ग). जी हां। पंजाब राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदेश।

(घ) अभी सूचना उपलब्ध नहीं हुई। कदाचित् अभी कोई ज्यादा उत्पादन नहीं हुआ।

(ङ) तथा (च). रजिस्ट्रार कोओपरेटिव सोसाइटीज़, बम्बई को शायद इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव मिला है। इस पर विचार किया जा रहा है।

मेडीकल कालेज

†१४३८. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में नये मेडिकल कालेज बनाने तथा वर्तमान कालेजों का विस्तार करने के लिये ६ $^{1}/_{2}$ करोड़ रुपये की जो राशि निश्चित की गई थी उसका बटवारा कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें से कितनी राशि,

(१) नये मेडिकल कालेजों, और

(२) वर्तमान कालेजों के विस्तार के लिये दी गई है ; और

(ग) अभी तक इनमें से प्रत्येक कालेज के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है तथा उसमें से कितनी राशि उसको दी गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). भारत सरकार द्वारा एक अनुमोदित नीति के अनुसार ही यह राशि दी जाती है। वह रीति यह है। आवर्ती व्ययों का ५० प्रतिशत तथा नावर्ती व्ययों का ७५ प्रतिशत। यह राशि भी सरकार द्वारा निश्चित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत दी जाती है। ये सीमायें इस प्रकार हैं :—

(क) नये मेडीकल कालेज की स्थापना के लिये :

(१) **अनावर्ती**—१०० विद्यार्थियों के दाखले के लिये ८० लाख रुपये, अर्थात्, प्रति विद्यार्थी ८०,००० रुपये। केन्द्रीय सरकार इस अधिकतम सीमा का ७५ प्रतिशत से अधिक नहीं देती।

(२) **आवर्ती**—प्रति विद्यार्थी ८,००० रुपये। इसमें केन्द्रीय सरकार ५० प्रतिशत से अधिक नहीं देती।

(ख) वर्तमान मेडीकल कालेजों का विस्तार :

(१) **अनावर्ती**—प्रति विद्यार्थी ६०,००० रुपये। केन्द्रीय सरकार इस राशि का ७५ प्रतिशत से अधिक नहीं देती।

(२) **आवर्ती**—प्रति विद्यार्थी ८,००० रुपये। केन्द्रीय सरकार इस का ५० प्रतिशत से अधिक नहीं देती।

सरकार किसी भी मेडिकल कालेज में १०० से अधिक विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता नहीं देती।

---

†मूल अंग्रेजी में

करनूल तथा बीकानेर में नये मेडिकल कालेज खोलने के लिये निम्नलिखित तदर्थ वित्तीय सहायता देने का निश्चय किया गया है :

मेडीकल कालेज, करनूल :

(१) उपकरण ख़रीदने के लिये १५ लाख रुपये,

(२) कालेज के आवर्ती व्यय के लिये योजना काल में अक्तूबर, १९५७ से मार्च १९६१ तक के लिये ५० प्रतिशत व्यय किन्तु ऐसी कुल सहायता ७ लाख रुपये से अधिक नहीं दी जायेगी ।

मेडीकल कालेज, बीकानेर :

भारत सरकार ने इस कालेज के तीन वर्ष में ४·८ लाख रुपये के सहायक अनुदान देने का निश्चय किया है । यह सहायता प्रति वर्ष ४० विद्यार्थियों के प्रवेश पर ५० प्रतिशत आधार पर, अर्थात्, प्रति विद्यार्थी ८,००० रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से दी जायेगी ।

पांडीचरी के मेडिकल कालेज का पूरा व्यय केन्द्रीय सरकार देती है ।

राज्य सरकारों को १९५६-५७, १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में नये मेडिकल कालेज खोलने तथा वर्तमान कालेजों का विस्तार करने के लिये निम्नलिखित अनुदान दिये गये हैं :—

वर्तमान मेडिकल कालेज विस्तार के लिये	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९
१	२	३	४
	रुपये	रुपये	रुपये
१. मेडिकल कालेज, मदुरै	७,००,०००	१०,४४,१११	—
२. मेडिकल कालेज, मैसूर	—	९४,४२५	—
३. मेडिकल कालेज, आगरा	१,००,०००	५१,०००	—
४. मेडिकल कालेज, गुंटूर	—	६,६६,३८२	—
५. मेडिकल कालेज, दिब्रूगढ़	—	४४,०००	—
६. मेडिकल कालेज, ग्वालियर	—	६५,९९४	—
७. मेडिकल कालेज, इन्दौर	—	७३,०००	—
८. मेडिकल कालेज, जयपुर	—	२,८५,८४९	—
९. मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम्	—	—	१,१२,७६७
१०. मेडिकल कालेज, दरभंगा	१,००,०००	—	—
११. एम० सी० बी० मेडिकल कालेज, कटक	२,००,०००	—	—
१२. मेडिकल कालेज, अमृतसर	—	—	—
१३. मेडिकल कालेज, बड़ौदा	—	—	—

१	२	३	४
	रुपये	रुपये	रुपये
नये मेडीकल कालेज :			
१. मेडिकल कालेज, कानपुर	१५,००,०००	१२,६२,१४८	—
२. मेडिकल कालेज, रांची	१५,००,०००	८,८२,४३२	—
३. मेडिकल कालेज, जामनगर .	१६,००,०००	१०,००,०००	—
४. मेडिकल कालेज, भोपाल .	—	५,७६,०००	—
५. मेडिकल कालेज, जबलपुर .	—	१०,००,०००	—
६. मेडिकल कालेज, हुबली .	—	५००,०००	—
७. मेडिकल कालेज, कोजीकोडे .	—	६,१८,८३६	—
८. मेडिकल कालेज, करनूल .	—	३,००,०००	—
९. मेडिकल कालेज, पांडेचरी . (दोनों आवर्ती तथा अनावर्ती)	२,०७,८५८	३,४२,७०५	—
कुल .	५९,०७,८५८	८८,०६,८८२	१,१२,७६७

१९५८–५९ के दौरान में, नयी प्रक्रिया के अनुसार, कुल केन्द्रीय सहायता का तीन चौथाई भाग वित्त मंत्रालय द्वारा ९ समान किस्तों में राज्य सरकार को दे दिया जायेगा । ये किस्तें मई, १९५८ से प्रारम्भ होंगी । अंतिम भुगतान, अनुदानों तथा मार्गोपायों के रूप में फरवरी १९५९ के अन्तिम दिनों में किया जायेगा ।

१९५८-५९ के दौरान में नये कालेज खोलने के लिये तथा वर्तमान कालेजों का विस्तार करने के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों को अस्थायी रूप से १४०·५ लाख रुपये अग्रिम दे दिये गये थे ।

१९५९–६० और १९६०-६१ के दौरान में राज्य सरकारों को ऊपर लिखे फारमूले के अनुसार धन दिया जायेगा ।

कृषि अर्थशास्त्रियों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

†१४३९. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त-सितम्बर, १९५८ में मैसूर में हुये कृषि अर्थशास्त्रियों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने क्या मुख्य-मुख्य सिफारिशें अथवा निश्चय किये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : सम्मेलन ने "कृषि तथा इसके व्यापार की शर्तें" विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है। सम्मेलन ने कोई सिफारिशें नहीं की हैं और न सिफारिशें करना आवश्यक ही था। इसकी कार्यवाही का पूर्ण विवरण सम्मेलन का सचिवालय यथासमय प्रकाशित करा देगा।

पर्यटक विकास परिषद्

†१४४०. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ अगस्त १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३२ के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटक विकास परिषद के निश्चयों के बारे में कोई विचार किया है ; **और**

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने इनको कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना संबंधी एक विवरण संलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४२]**

दिल्ली के बिजलीघर के लिये जल संभरण

†१४४१. **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न बिजलीघरों के लिये कितने जल की आवश्यकता है ; और

(ख) इसको कैसे पूरा किया जाता है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) राजघाट के बिजली घर के लिये :

	गैलन प्रति मिनिट
(१) 'ए' थर्मल प्लांट, कुल क्षमता ३३,००० किलोवाट	३३,०००
(२) 'बी' थर्मल प्लांट कुल क्षमता २०,००० किलोवाट	३,०००
(३) डीजल स्टेशन प्लांट कुल क्षमता ६,००० किलोवाट	२५,०००

(ख) इन बिजलीघरों की पानी की आवश्यक्ता को निम्नलिखित तरीकों से पूरा किया जाता है :

(१) **'ए' थर्मल स्टेशन**––इस स्टेशन को सीधे यमुना से दो नालियों द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। प्रयोग के पश्चात् यह पानी फिर यमुना में फेंक दिया जाता है।

(२) **'बी' थर्मल स्टेशन तथा 'डीजल' स्टेशन**–'बी' स्टेशन के लिये पहले से ही एक कूलिंग टावर है। एक तीसरी नाली से भी इस स्टेशन तथा डीजल स्टेशन को पानी पहुंचाया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में कृषि योजनाएं

†१४४२. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न कृषि योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये कितना रुपया दिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** इसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

	करोड़ रुपये
१९५६–५७	१·९७
१९५७–५८	३·०२
१९५८–५९	२·६१

लावारिस सामान[1]

†१४४३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के अन्तिम स्टेशनों (डेस्टीनेशन्स) पर १९५८ के दौरान में अब तक विभिन्न प्रकार का कितना लावारिस सामान मिला ; और

(ख) इसमें से कितना सामान नीलाम द्वारा बेचा गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) अक्तूबर १९५८ तक ५,२७० पैकेज ।

(ख) ४,६४१ पैकेज । इनमें ऐसे पैकेज भी शामिल हैं जो अप्रैल १९५८ से पहले 'लास्ट प्रापर्टी आफिस' में पहुंच चुके थे किन्तु जिनको अप्रैल से अक्तूबर १९५८ के बीच बेचा गया है ।

उत्तर रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक[2]

†१४४४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक उत्तर रेलवे में कितने नैमित्तिक श्रमिक भर्ती किये गये हैं ; और

(ख) इनमें से कितने श्रमिक अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) ६८, ३३३—३१-१०-५८ तक ।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है क्योंकि इस प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

हिमाचल प्रदेश में उचित मूल्य वाली दुकानें

†१४४५. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में इस समय प्रत्येक जिले में कितनी-कितनी उचित मूल्य वाली दुकानें हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

[1]Unclaimed luggage.
[2]Casual Labourers.

(ख) इन दुकानों पर किस भाव पर अनाज बिकता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : : (क)

महासु	३१
मंडी	११
चम्बा	१४
सिरमूर	७
बिलासपुर	१४

(ख) अभी इन दुकानों पर केवल गेहूं दी जाती है इसका मूल्य १५ रु० ३५ न० पै० से लेकर २६ रु० ५६ नं० पैसे प्रति मन तक है।

कल्याण रुई की फसल

†**१४४६. श्री पु० र० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के लिये कल्याण रुई की फसल का कितना अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) पछिले वर्ष इसका कितना उत्पादन हुआ था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) अभी तक यह अनुमान नहीं उपलब्ध हो सका है।

(ख) १,१०,००० गांठें ।

रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

†**१४४७. श्री कुम्भार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में १९५८ में अब तक रेलवे कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के कितने मामले पकड़े गये हैं तथा यात्रियों द्वारा ऐसे कितने मामलों की शिकायत की गई है ?

(ख) इनमें से कितने मामले लम्बित हैं ; और

(ग) ये अभी तक क्यों लम्बित पड़े हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ६४ ऐसे मामलों की रिपोर्ट मिली है जिसमें रेलवे कर्मचारी घूंसखोरी, गलत रिजर्वेशन तथा यात्रियों से अधिक भाड़ा लेने के मामलों में पकड़े गये हैं ।

(ख) २० ।

(ग) इनमें से ४ में अभी विभागीय कार्यवाही की जा रही है तथा शेष १६ की जांच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गाड़ी निरीक्षक

†१४४८. **श्री हाल्दर :**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) दक्षिण पूर्व, (२) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे तथा (३) मध्य रेलवे में ग्रेड 'सी', १५०—२२५ पये के ग्रेड, में कितने गाड़ी निरीक्षकों के स्थान रिक्त पड़े हैं ;

(ख) ३१ अक्तूबर, १९५८ तक इन रेलों में 'न्यू डील' के कारण कितने पदों को १५०—२२५ रुपये के ग्रेड में अपग्रेड किया गया ; और

(ग) इन पदों पर कितने डी ग्रेड १००—१८५ रुपये के ग्रेड के निरीक्षकों को पदोन्नति दी गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (ग).

रेलवे	(क)	(ख)	(ग)
दक्षिण पूर्व	५	११५	११०
पूर्वोत्तर सीमांत .	—	५२	५२
मध्य	४२	१४६	१०९

डाक व तार विभाग कर्मचारी

†१४४९. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में १ जनवरी १९५७ से १५ नवम्बर १९५८ तक डाक व तार सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के कितने-कितने व्यक्तियों को भर्ती किया गया है ; और

(ख) इस अवधि में भर्ती किये गये लोगों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित आदिम जातियों का क्या प्रतिशत है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). आसाम सर्कल के डाक व तार निर्देशक से अपेक्षित सूचना मांगी गई है और उपलब्ध होने पर यथासमय लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय राजपथ

†१४५०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक पंजाब राज्य में कुल कितने मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ बनाये गये हैं; और

(ख) शेष योजना अवधि में कितने मील लम्बे राजपथ बनाये जायेंगे ?

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) १३ मील, राष्ट्रीय राजपथ नगरों के बाहर से जाता है।

(ख) २ मील।

सहकारी चीनी कारखाने

†**१४५१. श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने राज्य में सहकारी चीनी कारखाने खोलने के लिए मशीनों के आयात के लिए केन्द्रीय सरकार से विदेशी विनिमय के रूप में कोई सहायता मांगी थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) पंजाब में चीनी के कारखानों की स्थापना के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन जिन पांच सहकारी संस्थाओं को लाइसेंस दिया गया है, उनमें से मुरिन्दा और बटाला की संस्थाओं को अभी मशीनों के आयात का लाइसेन्स देना है जिसके लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता है।

(ख) देश में सारे सहकारी चीनी के कारखानों के लिए जिनमें मुरिन्दा और बटाला की संस्थायें भी सम्मिलित हैं और जिन्हें अभी आयात का लाइसेन्स नहीं मिला है, मशीनें प्राप्त करने के प्रश्न पर हाल में ही विचार किया गया था तथा निर्णय किया गया है कि विदेशों से पूरी मशीनें आयात करने की बजाये ऐसे न्यूनतम अनिवार्य भाग व सामान, जो देश में प्राप्त न हो या न बनाया जा सके, आयात करके चीनी के संयंत्र बनाये जायें। ऐसी मशीनों के निर्माण के लिए विदेशी विनिमय का प्रश्न विचाराधीन है।

स्टेशनों पर बिजली लगाना

†**१४५२. श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर रेलवे के कितने स्टेशनों पर बिजली लगाई गई;

(ख) बिजली लगाने के लिए कितने स्टेशनों का सर्वेक्षण किया गया; और

(ग) इन स्टेशनों पर कब तक कार्य आरम्भ होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) ३०–११–५८ तक ६९ स्टेशनों पर।

(ख) तथा (ग) : १९५८–५९ में ६५ स्टेशनों पर बिजली लगाने का प्रोग्राम था। ३०–११–५८ तक इनमें से २२ स्टेशनों पर बिजली लग गई है। आशा है मार्च १९५९ तक २८ और स्टेशनों पर बिजली लग जायेगी। बाकी १५ स्टेशनों पर कार्य चालू वित्तीय वर्ष में आरम्भ होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में चावल

†१४५३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ नवम्बर, १९५८ को पंजाब में स्थित केन्द्रीय डिपों में कितना चावल था; और

(ख) पिछले एक वर्ष में इनसे कितना चावल राज्य के बाहर गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) लगभग १,९०० टन।

(ख) पंजाब में प्राप्त कुल चावल में से लगभग ८९,७५० टन चावल ३१–१०–५८ के समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य से बाहर भेजा गया।

ट्रंक काल

१४५४. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर के टेलीफोन एक्सचेंज में जनता द्वारा बुक किये जाने वाले बहुत से ट्रंक काल प्रति मास रद्द किये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें रद्द करने के क्या कारण हैं और ३१ अक्तूबर, १९५८ तक कितने ट्रंक काल रद्द किये गये; और

(ग) इन ट्रंक कालों को रद्द करने के कारण विभाग को कितनी हानि हुई ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, औसतन ३० प्रतिशत काल बुक किये जाते हैं।

(ख) निम्नलिखित कुछ–एक कारणों से काल निष्फल हो जाते हैं ;

(१) बुलायी गयी पार्टी के न मिलने पर।

(२) काल बुक कराने के बाद अभिदाताओं द्वारा अपना विचार बदल लेना और उन्हें रद्द करा देना।

(३) सुदूर-स्थानीय ऐसी कालें, जिन्हें कई-एक अन्तर्वर्ती स्टेशनों में से गुजरने पर देरी हो जाती है।

(४) भारत में सुदूरवर्ती टेलीफोन व्यवस्था सामान्य संकटों के अधीन है, जैसेकि तांबें की तारों की चोरी, आंधी या मान्सून आदि, एवं लाइनों के अन्य दोषों के कारण विघ्नों का आ पड़ना।

(५) परियात का आदान-प्रदान करने के लिये परिपथों का पर्याप्त न मिलना।

अक्तूबर, १९५८ में कानपुर टेलीफोन केन्द्र से बुक की गयी ३२,२५४ कालों में से ९,८४७ कालें निष्फल थीं।

(ग) उन्हीं कालों के कारण आय में हानि होती है, जोकि देरी या विघ्नों के न होने के कारण निष्पन्न हो जातीं। ऐसी कालों की संख्या का अन्दाज़ा लगाना असम्भव है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में केन्द्रीय गोदाम

†१४५५. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : राजस्थान में जिलावार केन्द्रीय गोदामों में खाद्यान्न की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : यह बताना जनता के हित में नहीं है।

स्टेशन

†१४५६. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च १९५८ तक उत्तर रेलवे के भूतपूर्व—बीकानेर डिवीजन पर कितने स्टेशनों पर बिजली लग गई थी; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शेष काल में उत्तर रेलवे के उपरोक्त खंड के किन-किन स्टेशनों पर बिजली लगाने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) २१ ।

(ख) १. नपसार
२. श्री डूंगरगढ़
३. बड़ीवाला
४. महिन्दरगढ़ ।

डाकखानों से गायब रकम

†१४५७. **श्री कुम्भार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ से १९५८ में अब तक उड़ीसा सर्किल के डाकखानों से कितनी रकम के गायब होने की सूचना मिली; और

(ख) ऐसी हानियां रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) १३,७०९.७३ रु०।

(ख) ऐसी हानियों को रोकने के लिए पहिले ही बहुत से अनुदेश, नियम तथा आदेश हैं। उन्हें और बढ़ाना आवश्यक नहीं है। यदि कोई नई अनियमित बात पैदा होती है, तो यथोचित नियम आदि बनाये जाते हैं।

त्रिपुरा में "बोन डाइजेस्टर"

†१४५८. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विभाग ने त्रिपुरा में कितने "बोन डाइजेस्टर" लगाये हैं ;

(ख) उन पर कुल कितना व्यय हुआ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन बोन डाइजेस्टरों से प्रति वर्ष कुल कितनी बोन डस्ट के उत्पादन का लक्ष्य है; और

(घ) वास्तविक वार्षिक उत्पादन क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्ति पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उर्वरक

†१४५९. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७, १९५७–५८ तथा १९५८–५९ में अब तक त्रिपुरा के कृषि विभाग ने कुल कितना अमोनियम सल्फेट क्रय किया;

(ख) इसका मूल्य क्या है ;

(ग) कुल कितना बेचा गया या बांटा गया;

(घ) कुल कितना रुपया मिला; और

(ङ) क्या पर्याप्त गोदाम न होने के कारण कुछ बरबादी भी हुई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्ति पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिपुरा में सिंचाई के छोटे कार्य

†१४६०. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा प्रशासन को १९५७–५८ और १९५८–५९ में खोरनी व सदेर खंडों से सिंचाई के छोटे कार्यों के लिए बंद बनाने के लिए कुल कितनी याचिकायें मिलीं;

(ख) ऐसे बंद बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) इनसे कुल कितनी सिंचाई हुई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) से (ग). जानकारी त्रिपुरा प्रशासन से मांगी गई है तथा प्राप्ति पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

माल डिब्बों का काटना

†१४६१. **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जून से ३१ अक्टूबर १९५८ तक निम्न खंडों के लिये पूर्व रेलवे पर तेज चलने वाली विशेष मालगाड़ियों में से कितने माल डिब्बे धुरी गर्म होने के कारण काटे गये :

(१) आसनसोल खंड,

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) हावड़ा खंड,

(३) दीनापुर खंड, और

(४) सियालदह खंड ; और

(ख) इन खंडों में (खंडवार) उस काल में कुल कितने रेल परीक्षकों को दंड मिला ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क)

	(१) आसनसोल	१,१७३
	(२) हावड़ा	३८६
	(३) दीनापुर	७३५
	(४) सियालदह	२७
(ख)	(१) आसनसोल	१९
	(२) हावड़ा	शून्य
	(३) दीनापुर	४
	(४) सियालदह	शून्य

सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रारों का सम्मेलन

†१४६२. **श्री वासुदेवन् नायर :**
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों की सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रारों का सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य बातों पर चर्चा हुई और क्या मुख्य निर्णय किये गये ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) हां ।

(ख) सम्मेलन मूल रूप से उस प्रगति पर विचार करने के लिये बुलाया गया था कि जो द्वितीय योजना के प्रथम तीन वर्ष में सहकारी विकास की योजनाओं की कार्यान्विति में हुई । इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य सामान्य रुचि की बातों पर विचार विमर्श करना था । सभा की तारीखें राष्ट्रीय विकास परिषद् के संकल्प के पारित होने से काफी पहले निश्चित हो गई थी । फिर भी, सम्मेलन के समय सहकारी नीति सम्बन्धी संकल्प, जो राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अपनी पिछली बैठक में पारित किया था, उपलब्ध हो गया था । यह विचार किया गया कि इस संकल्प पर विचार विमर्श में रजिस्ट्रारों की उपस्थिति से लाभ उठाया जाये । सम्मेलन में बहुत-सी बातों की चर्चा हुई, जैसे पंचायत की अपेक्षा ग्राम सहकारी संस्था का आकार, सहकारी संस्था की सदस्यता, ग्राम सहकारी संस्था की प्रकृति व कार्य, क्या सहकारी संस्था का दायित्व सीमित हो या असीमित, खाद्यान्न में राज्य व्यापार के सम्बन्ध में ग्राम सहकारी संस्था का विपणन संस्था से सम्बन्ध, कितनी सहायता राज्य से मिले जिसमें अंश पूंजी में राज्य का भाग भी सम्मिलित हो, तकावी ऋणों का सहकारी ऋणों से एकीकरण, नई सहकारी नीति की कार्यान्विति के लिये गठनात्मक आवश्यकतायें, आदि, आदि । इन तथा अन्य बातों पर कार्यकर्ता मंडल, जो राष्ट्रीय विकास परिषद् के संकल्प को लागू करने का विवरण तैयार करने के लिये बनाया गया था, विचार कर रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†१४६३. **श्री बं० च० मलिक** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** १२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कटरा बल्लामल वार्ड नम्बर ६, दिल्ली में प्रस्तावित सुविधायें अभी तक नहीं दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कार्य के पुर्ण होने में और कितना समय लगेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) मालिक ने आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा दी गई पुंर्व सूचना का आंशिक रूप में पालन किया है। उसने अभी तक सारे काम नहीं किये हैं जिनके लिये उससे कहा गया था।

(ख) विलम्ब के कारण निम्न हैं :

(१) सम्बन्धित स्थानीय अधिकारियों ने बिजली और पानी के कनेक्शनों के लिये अभी आवश्यक आज्ञा नही दी है ? दिल्ली विकास प्राधिकरण इस पर आगे कार्यवाही कर रहा है

(२) मालिक ने सुधार की जो योजनायें निगम को प्रस्तुत की थी वे उसने ठुकरा दी हैं। इन में मालिक ने नई टट्रियां भी सम्मिलित की थीं और इनके निर्माण पर निगम ने आपत्ति की है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकार ने २४ नवम्बर, १९५८ को मालिक को नोटिस दिया है कि वह ७ दिसम्बर, १९५८ तक सुधार-कार्य आरम्भ कर दे। क्योंकि ८ दिसम्बर, १९५८ तक मालिक ने इस नोटिस का पालन नहीं किया, अब दिल्ली विकास प्राधिकार अनेकों कार्य केन्द्रीय निर्माण विभाग से करा रहा है और व्यय मालिक का हो रहा है। आशा है कि सारे कार्य ४ मास में पूरे हो जायेंगे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: मैं दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ३ पांचवां स , १९५८
[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४३]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या १२ चौथा सत्र, १९५८
[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४४]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १४ तीसरा स १९५७
[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४५]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १८ दूसरा स , १९५७
[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४६]

---

†मूल अंग्रेजी में।

विशेषाधिकार समिति

छठा और सातवां प्रतिवेदन

†**श्री हुक्म सिंह (भटिंडा)** : मैं विशेषाधिकार समिति का छठा और सातवां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश प्राप्त हुआ है :

> "मुझे लोक-सभा को यह बताना है कि राज्य-सभा ने १० दिसम्बर, १९५८ को हुई अपनी बैठक में संलग्न प्रस्ताव को पारित किया है जो लागत और निर्माण लेखापाल विधेयक, १९५८ को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में है और मुझे यह प्रार्थना करनी है कि उक्त प्रस्ताव में लोक-सभा की सहमति और उक्त प्रवर समिति में नियुक्त किये जाने वाले लोक-सभा के सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित किये जायें ।"

प्रस्ताव

"कि लागत तथा निर्माण लेखापालों के व्यवसाय के विनियमन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की तीस सदस्यों की संयुक्त समिति को, जिसमें इस सभा के १० सदस्य, अर्थात्:—

१. श्री सन्तोष कुमार बसु
२. श्री टी० एस० पट्टाभिरामन्
३. श्री बाबू भाई एम० चिनाई
४. श्री पी० टी० ल्यूवा
५. श्री त्रिलोचन दत्त
६. सरदार रघुबीर सिंह पजंहजारी
७. श्री वी० के० ढगे
८. श्री जे० वी० के० वल्लभ राव
९. श्री रोहित एम० दवे
१०. श्री एम० पी० भार्गव

और सभा के २० सदस्य हों, सौंपा जा ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या की क-तिहाई होगी ;

कि अन्य मामलों में प्रवर समितियों से सम्बन्धित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो सभापति द्वारा किये जायें ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कि यह सभा लोक-सभा से सिफारिश करती है कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक-सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किे जाने वाले सदस्यों के नाम स सभा को बताये ; और

कि समिति स सभा को अगले सत्र के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन देगी ।

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: आपकी अनुमति से मैं १५ दिसम्बर, १९५८ प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में इस सभा में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं जो इस प्रकार होगा :—

(१) वर्ष १९५८–५९ के लिये अनुपुरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान ।

(२) दिल्ली किराया नियं ण विधेयक, १९५८ पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, आगे विचार तथा उसको पारित करना ।

(३) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित करना :—

(क) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५८

(ख) चलचित्र (संशोधन) विधेयक, १९५८

(ग) कामगार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९५८, राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में ।

(४) लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक, १९५८ को संयुक्त समिति को सौंपने के लिये सहमति के प्रस्ताव पर विचार ।

(५) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित करना :—

(क) अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक, १९५८, राज्य-सभा द्वारा पारित किे गये रूप में ।

(ख) उड़ीसा बाट और माप (दिल्ली निरसन) विधेयक ।

(६) श्री अरुण चन्द्र गुह तथा अन्य सदस्यों द्वारा नियम १९३ के अन्तर्गत रेलवे बोर्ड के सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों की गैर-सरकारी कम्पनियों में नियुक्ति के बारे में बुधवार, १७ दिसम्बर, १९५८ को ४–०० म० प० बजे उठाई जाने वाली चर्चा ।

विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक*

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

* भारत के असाधारण गजट, भाग २, अनुभाग २, दिनांक १२–१२–५८ में प्रकाशित

†**अध्यक्ष महोदय :** श्न यह है :

"कि विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं विधेयक को पुरस्थापित** करता हूं ।

चलचित्र (संशोधन) विधेयक*

†**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** मैं प्रस्ताव करता हूं कि चलचित्र अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि चलचि अधिनियम, १९५२ में अग्रेतर संशो न करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दो जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**डा० केसकर :** मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के कुल भागों में किराये तथा निष्काषन के नियंत्रण तथा सरकार द्वारा खाली मकानों का पट्टा लेने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

विधेयक उपस्थापित करने के पश्चात् से हमने किरायेदारों के हित में इसमें कई सुधार किये हैं तत्पश्चात् जब यह मामला संयुक्त समिति को गया । उन्होंने भी विशेषत: किरायेदारों के हित में इसमें कई सुधार करने का प्रयत्न किया । इस प्रकार इस विधेयक में पर्याप्त संशोधन हो गये हैं ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

इस विधेयक में सात विमति टिप्पण लगाये गये हैं तथापि उनमें भी यह कहा गया है कि संयुक्त समिति ने मूल विधेयक पर बहुत सुधार किये हैं । माननीय सदस्यों ने विधेयक के सुधरे हुये रूप के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है मैं उसकी कुछ बातों का उल्लेख करूंगा ।

दूसरे विमति टिप्पण में यह कहा गया है कि दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक १९५८ में संयुक्त समिति ने प्रयाप्त सुधार किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

* भारत के असा ारण गजट, भाग २, अनुभाग २, दिनांक १२-१२-५८ में प्रकाशित ।

** राष्ट्रपति की अनुमति से पुरस्थापित ।

खंड ६ पर विमति टिप्पण में हस्ताक्षर करने वाले माननीय सदस्य श्री राज बहादुर गौड़, श्री परूलकर, श्री वें० पे० नायर तथा अन्य सदस्यों ने यह कहा है कि हम स्वीकार करते हैं कि वर्तमान योजना पहिली योजना की अपेक्षा बहुत सुधरी हुई है। उदाहरणार्थ रिहायशी और व्यापार के योग्य मकानों पर भुगतान किये जाने वाले किराये में अन्तर रखा गया है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि खंड ६ सबसे महत्वपूर्ण खंड है क्योंकि यह प्रामाणिक किराये को निश्चित करने के प्रश्न से संबंध रखता है। अपने विमति टिप्पण में श्री सुबिमन घोष ने लिखा है कि इस खंड का संशोधन हो जाने से मुझे प्रसन्नता हुई है। अन्य सदस्यों ने भी यही मत व्यक्त किया है। इन सुधारों की चर्चा करने के पश्चात् मैं उन प्रश्नों को लेता हूं जिन्हें माननीय सदस्यों ने अपने विमति टिप्पण में उठाया है।

प्रामाणिक किराया निश्चित करने का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिये खंड ६ की सारी योजना का पुनरीक्षण किया गया है। वस्तुतः इस खंड का रूप बिल्कुल बदल गया है। विधेयक पुरःस्थापित करते समय उसमें मूल किराया था अर्थात् वह किराया जो १९४४ से पहिले निश्चित किया गया था अथवा जो १–११–१९३९ को लिया जाता था। उसे मूल किराया माना गया है। तत्पश्चात् कुछ परिवर्तन किये गये और आनुशंगिक अधिनियमों के अधीन कुछ वृद्धि की गई। फलस्वरूप मूल किराया १२.५ प्रतिशत से लेकर २५ प्रतिशत तक बढ़ गया। यह वृद्धि विभिन्न प्रकार के मकानों में भिन्न भिन्न थी। इसे बुनियादी किराया भी कहते थे यह किराया १९४४ के पहिले का था।

इसके पश्चात् यह प्रश्न उठा कि क्या किराये पर पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिये। बुनियादी किराया निश्चित हुये बहुत समय हो चुका है और तब से बहुत परिवर्तन हो गये हैं। एक ओर मकानों को पर्याप्त मरम्मत की आवश्यकता होती है दूसरी ओर दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी के लिये मकानों की आवश्यकता भी पूरी करनी है। ऐसी स्थिति में सरकार को कोई ऐसा रास्ता निकालना था जिससे कि मकान मालिकों के अधिकारों पर भी आघात न हों और गरीब किरायेदारों के प्रति भी अन्याय हो।

इस लिये मूल योजना में बुनियादी किराये पर १० प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। जहां ऐसा कोई बुनियादी किराया निश्चित नहीं हुआ था वहां मकान या जमीन की लागत का ८ प्रतिशत मंजूर किया गया। मूल विधेयक में उसको दोनों सदनों में पुरस्थापित करते समय यह सिद्धांत निर्धारित किया गया था।

संयुक्त समिति ने इस सिद्धांत पर बहुत सहानुभूति से विचार किया। उन्होंने इस प्रश्न पर विचार करते समय दो तीन बुनियादी बातों को ध्यान में रखा। पहिला यद्यपि कुछ मामलों में किराये पर वृद्धि हुई है तथापि यथा सम्भव गरीब वर्गों को रियायत दी जानी चाहिये। दूसरा यह कि ऐसे मकान जो रहने के लिये प्रयुक्त नहीं होते हैं उनके लिये दूसरा सिद्धांत अपनाया जा सकता है क्योंकि इस मामले में किराया कम रखने की उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी कि गरीब वर्गों के मकानों के लिये है। सरकार तथा संयुक्त समिति ने मकानों के लिये आवश्यक मरम्मत को भी ध्यान में रखा। इस संबंध में हम १९३९ से बहुत पहिले निर्मित हुये मकानों पर पर विचार कर रहे थे। कई मामलों में मकानों की बिल्कुल भी मरम्मत नहीं हुई थी और किरायेदारों के हित में यह आवश्यक है कि मकान की आवश्यक मरम्मत होती रहे।

उक्त सिद्धांतों के आधार पर २ जून १९४४, अर्थात् जब यह कानून लागू हुये थे, के पूर्व किराये पर दिये गये मकानों और २ जून १९४४ के बाद दिये गये मकानों का अग्रेतर वर्गीकरण किया गया। इसमें भी आवास और आवास के अतिरिक्त मकानों का अग्रेतर वर्गीकरण किया गया।

[श्री दातार]

२ जून, १९४४ के पूर्व किराये पर दिये गये मकानों पर जिनका बुनियादी किराया ६०० रु० वार्षिक से कम था, उनके किराये पर कोई वृद्धि नहीं की गई है। उनके बुनियादी किराये को ही दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक के प्रयोजन के लिये प्रामाणिक किराया मान लिया गया है। इससे अधिक के किराये वाले मकानों में बुनियादी किराये पर १० प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुमति दी गई है और उसे प्रामाणिक किराया मान लिया गया है। १९४४ के पश्चात् किराये पर दिये गये मकानों में भी १,२०० रु० वार्षिक किराये तक के मकानों में बुनियादी किराये पर कोई वृद्धि नहीं की गई है। और यही बुनियादी किराया प्रामाणिक किराया मान लिया जायेगा। वस्तुतः हमने किरायेदार की स्थिति और किरायेदार के किराये को ध्यान में रखा है।

इसका तात्पर्य यह है कि १९४४ के पूर्व दिये गये पट्टों पर ६०० रु० किराये की वह सीमा मानी गई है जिस सीमा तक किराये में कोई वृद्धि नहीं की गई है उनका बुनियादी किराया ही प्रामाणिक किराया मान लिया जायेगा। लेकिन १९४४ के बाद के मकानों में युद्ध इत्यादि के कारण किराया बढ़ गया था। इसके संबंध में संयुक्त समिति ने यह निर्धारित किया है कि १,२०० रु० वार्षिक किराये तक के मकानों पर कोई वृद्धि नहीं होगी। इससे गरीब वर्ग के लोगों को लाभ हुआ है। १,२०० रु० वार्षिक किराये से अधिक किराये के मकानों में १० प्रतिशत वृद्धि की गई है। उक्त १० प्रतिशत वृद्धि सामान्यतः किराये पर होगी और जहां किराया निश्चित न हुआ हो वहां कुछ प्रतिशत तक वृद्धि करने की अनुमति दी गई है।

इस संबंध में संयुक्त समिति ने यह सिद्धांत स्थिर किया है कि ऐसे मकान जिन का किराया निश्चित नहीं हुआ है अथवा मकान मालिक या किरायेदार दोनों में से कोई भी मूल किराये या बुनियादी किराये को निश्चय करने के निमित्त न्यायालय में नहीं गया है तो ऐसी दशा में १,२०० रु० वार्षिक किराये से कम के मकानों में निर्माण की लागत तथा बाजार मूल्य इत्यादि को जोड़ कर कुल मूल्य का ७½ प्रतिशत किराया निश्चित करने की अनुमति दी है। १,२०० रु० वार्षिक किराये से अधिक किराये वाले मकानों में ८½ प्रतिशत की अनुमति दी गई है। उक्त सिद्धांत रिहायश के मकानों के लिये है।

इस बात पर सभी सदस्य सहमत थे कि जो मकान रहने के लिये प्रयुक्त नहीं होते उनमें रहने के मकानों को दी गई रियायतें लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वे मकान, दुकान या व्यापार के प्रयोग में आयेंगे जिसके किरायेदार कुछ न कुछ लाभ उठाने में अवश्य समर्थ होंगे। इन मकानों के संबंध में संयुक्त समिति में विभिन्न मत व्यक्त किये गये। इस सम्बन्ध में भी दो वर्ग किये गये हैं। १९४४ के पूर्व और १९४४ के पश्चात् के मकान। १९४४ के पूर्व किराये पर दिये गये ऐसे मकानों के सम्बन्ध में जिनका किराया १,२०० रु० से कम है बुनियादी किराये पर १० प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुमति दी गई है। १२०० रु० से अधिक किराये वाले मकानों में १५ प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकती है। १९४४ के पश्चात् गैर-रिहायशी मकानों का किराया १९४७ या १९५२ के अधिनियम के आधार पर निश्चत किया गया था तथापि यह उचित समझा गया कि गरीब व्यक्तियों को कुछ और रियायत या छूट प्रदान की जाय। इसलिये संयुक्त समिति ने यह निश्चय किया कि जहां गैर रिहायशी मकानों का किराया १,२०० रु० या इससे कम है उसमें कोई वृद्धि न की जावे। इसलिये बुनियादी किराया या जो भी किराया था वही इस विधेयक के प्रयोजनों के लिये प्रामाणिक किराया मान लिया गया। १,२०० रु० से अधिक होने पर उसमें ८½ प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी गई है।

इसलिये इस पहिली बात पर, जिस पर दोनों सभाओं में रियायत करने के पक्ष में जोरदार मत व्यक्त किया गया था, संयुक्त समिति ने उसे ध्यान में रखा है और उन्होंने उपलिखित सिद्धांतों पर किराया निश्चित किया है।

अब मैं उन बातों को लेता हूं जिनके संबंध में बहुमूल्य सुधार किये गये हैं। खंड ७ में यह स्पष्ट लिख दिया गया है कि मकान में किराये बढ़ाने/या उसकी शान में वृद्धि करने के प्रयोजन/से कोई मरम्मत नहीं की जा सकती है। यह सिद्धांत उल्लिखित किया गया है कि जब कोई किरायेदार मकान में रह रहा है तो उसकी अनुमति से ही मकान की मरम्मत हो सकती है। यदि यथोचित कारण होने से किरायेदार अपनी अनुमति नहीं देता है तो ठीक है। लेकिन यदि वह उपयुक्त कारण न होने पर भी अपनी सहमति प्रगट नहीं करता है तो उसके लिये किराया नियंत्रक की शरण ली जा सकती है। वह दोनों ओर के तर्कों को सुनने के उपरांत यह निश्चय करेगा कि क्या मरम्मत करना आवश्यक है यदि हां तो किस सीमा तक। इस प्रकार मकान मालिक मरम्मत इत्यादि कर सकेगा।

एक और सिद्धांत उल्लिखित किया गया है। सभी मामलों में, मरम्मत और सुधार होने के बावजूद भी किराया ७½ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार केवल उपयुक्त मामलों में सुधार या मरम्मत की जा सकती है और उसके आधार पर किरायेदार को नहीं हटाया जा सकता है। संयुक्त समिति विधेयकों के प्रस्तावों से मनमाने किराये की वसूली करने के सिद्धांत से सहमत हो गई है। पहिले विधेयक में उल्लिखित दो मामलों के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उनमें से एक खंड ६(२) (क) के संबंध में है। उसके अनुसार जो मकान २-६-५१ और ९-६-५५ के बीच निर्मित हुआ है उसका प्रामाणिक किराया अगले सात वर्षों तक वही किराया माना जायेगा जो दोनों पक्षों के बीच में तय हुआ है अथवा जो किराया मार्च १९५८ में था या जो भी किराया सब से अन्त में निश्चित हुआ था इसे ही मनमाने किराये की छूट कहा गया है। कई माननीय सदस्यों ने अपने विमति टिप्पण में इस सिद्धांत तथा इससे संबंधित अन्य बातों पर आपत्ति की है। स संबं में हमें यह भी ध्यान रखना है कि नये मकानों का निर्माण भी आवश्यक है। इस सभा तथा राज्य सभा में भी विधेयक पर चर्चा के समय यह कहा गया था दिल्ली में मकानों की कठिनाई और बढ़ती हुई आबा ी को देखते हुये सरकार को चाहि कि मकानों की समस्या अपने हाथ में ले ले और उन्हें स्वयं किराये पर उठाये। इस कार्य के लिये करोड़ों रुपयों की आवश्यकता होगी। जिन व्यक्ति ों के पास मकान नहीं है उन सभी व्यक्तियों के लिये मकानों की व्यवस्था करने के लि कम से कम २००० करो रुपयों की आवश्यकता होगी। सी स्थिति में जब कि सरकार कुछ वर्गों के लिये मकानों का प्रबन्ध करने का प्रयत्न कर रही है, वह इस संबंध में यथाशक्ति अधिकाि क मकानों की व्यवस्था करने का प्रबन्ध करेगी तथापि इस सं ध में हमें पर्याप्त रूप से गैर-सरकारी व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस लिये उन्हें कुछ ोत्साहन देना आवश्यक है। जब तक कोई ोत्साहन न ीं होगा तब तक गैर-सरकारी व्यक्ति किरायेदारों के लिये मकानों का निर्माण नहीं करेंगे। वस्तुत: यह भी पया लगाने का एक तरीका है। इसलिये सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक समझा गया कि मनमाना किराया लेने की छूट दी जाय। यह एक अनिवार्य रूप से आवश्यक प्रोत्साहन है।

सी खंड के अधीन दूसरी व्यवस्था यह की गई है कि ९-६-१९५५ या इस अधिनियम के लागू होने के बाद से बने ये कोई भी मकान जब भी पहिले पहल किराये पर दिये जायेंगे तो उनका वही किराया आगामी पांच वर्षों के लि ामाणिक किराया समझा जायेगा।

[श्री दातार]

उक्त दोनों उपबन्ध मकान मालिकों को प्रोत्साहन देने के लिये रखे गये हैं जिससे कि वह अधिक मकान बनायें और मकानों के निर्माण में अपना पया लगायें। जिससे कु तो सरकार द्वारा किये गये कार्यों और कुछ इस व्यवस्था के प्रोत्साहन से मकान मालिक जो मकान बनायेंगे उससे मकानों की ी की यह गहन समस्या कुछ अंशों तक हल होगी।

स बात पर भी पर्याप्त चर्चा ई थी कि क्या समझौते के अनुसार भी कर देने का दायित्व किरा ेदार पर हो सकता है। स सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट करते हुये यह कहा गया है कि मकान कर को देने का दायित्व पूर्ण रूप से मकान मालिक का है वह इस दायित्व से समझौते के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकता है। उप-किरायेदारी के प्रश्न पर भी विधेयक में काफी सु ार किया गया है। बहुत से किरायेदार दूसरे लोगों को भी मकान में रहने देते और उनसे काफी मुनाफा कमाते हैं। निस्सन्देह उस मुनाफे को वै नहीं कहा जा सकता है। यह प्रश्न बड़ा जटिल था और संयुक्त समिति ने स सारे प्रश्न पर विचार किया। इस संबंध में हमने एक खंड यह शामिल किया है कि अगर उप-किरायेदारी के लिये लिखित शर्तनामा हो तो उसे स्वीकार किया जायेगा। सलिये ९-६-५२ के पूर्व जो ी मकान उप-किरायेदारी पर दिये गये थे उन्हें विनियमित करार दिया गया है। लेकिन ९-६-५२ के पश्चात् दिये उपकिरायेदारी के लिये लिखित शर्तनामा अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये उपकिरा ेदारी का आ ार जो किरायेदारों ो हटाने का एक प्रमुख आ ार था उसका बहुत अंशों तक निराकरण कर दिया गया है।

किरायेदारों की बेदखली से सं रखने वाले अध्याय का शीर्षक ी "किरा ेदारों की बेदख ी का नियंत्रण" रखा गया है। सका यह तात्प है कि जहां क ीं भी उपयुक्त और समन्याय आ ार पर बेदखली रोकना संभव होगा ेदखली रोकी जायेगी। और किराया नियंत्रक बेदखली नहीं करेगा। इसलिये यदि ९-६-५२ के बाद यदि किरायेदार ने बिना मकान मालिक की लिखित इजाजत से मकान किराये पर दिया हो तभी उस आधार पर बेदखली की जा सकती है। हमने यह भी उपबन्ध किया है कि कु मामलों में उप-किरायेदार मकान मालिक से सी ा समझौता भी कर सकते हैं।

मूल विधेयक में पगड़ी लेने पर न केवल तिबन्ध ही लगाया गया है अपितु पगड़ी लेने पर दंड की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन ऐसे भी मामले हैं जहां किरायेदा ों ने उप-किरायेदारों से अत्याधिक किराया लेकर मकान किरा पर उठाये हैं। यह उल्लिखित किया गया है कि प्रामाणिक किराया निश्चित करने का जो सिद्धांत किरा ेदारों पर लागू होगा वही सिद्धांत उप-किरायेदारों पर ी लागू होगा। आगे यह भी उल्लिखित किया गया है कि ९-६-५२ के पश्चात् किरायेदार कानूनी रूप से जो भी उप-किरायेदार रखेंगे उस पर भी ामाणिक किराया निश्चित करने के सभी सिद्धांत लागू होंगे। इस प्रकार किरायेदार उपकिरा ेदार से अ िक किराया वसूल नहीं कर पायेगा। क्योंकि वही सिद्धांत और प्रतिबन्ध उस पर ी लागू हों । इसलिये किरायेदार द्वारा मकान किराये पर लगाये जाने के विरुद्ध एक उप ोगी सिद्धांत का तिपादन किया है और क जटिल समस्या को बहुत संतोषजनक रूप से हल कर दिया है।

यदि कोई किरायेदार मकान को हानि पहुंचाता है ो कु मामलों में मकान मालिक उस पर अपना कब्जा कर सकता है। तथापि यदि वह ेदखली के पू संतोषजनक रूप से मरम्मत कर देता है या उसका तिकर अदा कर देता है तो उसे बेदखल नहीं किया जा ेगा।

जहां तक किराया अदा न किये जाने का संबंध है यह संशोधित खंड में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि कानू ी रूप से स्वीकृत किराया ही वसूल किया जा सकेगा यदि मकान मालिक

को अपने अथवा अपने आश्रितों के उपयोग के लिये उस मकान की आवश्यकता है जिस पर किरायेदार रह रहा है, तो इस संबन्ध में यह कहा गया था कि केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिये ही मकान मालिक मकान को खाली करवा सकता है। इस संबंध में संयुक्त समिति को मकान मालिकों अथवा किरायेदारों के कुछ संगठनों द्वारा ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुये, या ऐसे साक्ष्य दिये गये कि जहां एक व्यक्ति ने अपनी अविवाहित अवस्था में मकान किराये पर दिया था तत्पश्चात् उसका विवाह हो गया तथापि मूल विधेयक के अनुसार वह अपने बाल-बच्चों के लिये भी उस मकान का कब्जा हासिल नहीं कर सकता था। तब यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि वहां परिवार शब्द क्यों न रख दिया जाय तथापि परिवार शब्द के व्यापक अर्थों के अन्दर सात पीढ़ियों तक के संबन्धी आ जाते हैं। इस कठिनायी को दूर करने के लिये तथा अपने रिश्तेदारों के लिये मकान मालिक को मकान खाली कराने से रोकने के लिये यह उल्लिखित किया गया है कि वह अपने परिवार के आश्रित व्यक्तियों के लिये मकान का कब्जा वापस ले सकता है। एक दूसरी शर्त यह भी रखी गई है कि यदि वह अन्यत्र रह रहा है तो वह कब्जा वापस नहीं ले सकता है। इस कारण बेदखली वहीं पर की जा सकती है जहां पर वह पूर्णतः न्यायोचित हो।

मकान मालिक विधेयक को परास्त करने के लिये दो बहाने बना सकता है, पहिला यह कि वह एक किरायेदार से कब्जा लेकर दूसरे को पट्टेदारी में दे सकता है। इस पर रोक लगा दी गई है। मकान मालिक कोई बहाना बना कर उस सम्पत्ति को दूसरे के नाम हस्तानान्तरण कर सकता है। और वह दूसरा मालिक मकान मालिक बन कर कब्जे का अधिकारी हो सकता है। इस संबंध में हमने यह व्यवस्था की है कि ऐसे हस्तान्तरण के पश्चात् भी दूसरा व्यक्ति उक्त सम्पत्ति पर अपना कब्जा नहीं कर सकता है। उद्देश्य यही है कि कब्जा पुरानी का कब्जा रहे और उपयुक्त मामलों पर ही जब किराया नियंत्रक के मत से सदाशयता से सम्पत्ति का हस्तानान्तरण किया गया है तभी बेदखली की जा सकती है। सम्पत्ति या कब्जे का कोई भी हस्तानान्तरण तब तक संदिग्ध समझा जायेगा जब तक कि यह सिद्ध न हो कि वह किरायेदार को बेदखल करने के उद्देश्य से नहीं किया गया है।

नोटिस देने के पश्चात् किराये की अदायगी के लिये दो महीने का समय दिया गया है। प्रामाणिक किराया निश्चित करने के लिये दो वर्ष का समय निश्चित किया गया है। किराया जमा करने के लिये २१ दिन निश्चित किये गये हैं। जब कि पहिले यह अवधि इससे कम थी।

नियंत्रक के कार्य एवं शक्तियों के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन किया गया है। पहिले नियंत्रक के पद पर नियुक्ति के लिये पांच वर्ष के न्यायिक अनुभव की शर्त रखी गई थी अब यह लिखा गया है कि ७ वर्ष के अनुभवी वकील लोग भी किराया नियंत्रक नियुक्त हो सकते हैं।

यह भी उल्लिखित किया गया है कि मरम्मत करने का दायित्व मकान मालिक का होगा। यदि मकान मालिक मरम्मत नहीं करता है और मरम्मत अत्यन्त आवश्यक है तो किरायेदार छः महीने तक के किराये की रकम मरम्मत में व्यय कर सकता है। इससे अधिक रकम व्यय करने के लिये उसे किराया नियंत्रक की अनुमति लेनी होगी।

मकान मालिक किरायेदार को परेशान करने के लिये आवश्यक सेवाओं को हटा सकता है। यदि मकान मालिक पानी या बिजली कर नहीं देगा तो प्राधिकारी बिजली या पानी बन्द कर सकते हैं इससे किरायेदारों को नुकसान पहुंचेगा। ऐसी बातों पर न केवल रोक लगाई गई है अपितु यदि वह जानबूझ कर ऐसी बात करेगा तो उस पर अपराध न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है।

[श्री दातार]

१९५६ के अन्तरिम कालीन अधिनियम के अधीन कुछ आज्ञप्तियां जारी की गई थीं। तथापि इस प्रकार के विधेयक के पारित होने तक उनकी कार्यवाही रोक दी गई थी। जब कार्यवाही करने के लिये ये मामले किराया नियंत्रक के समक्ष लाये जायेंगे तो कुछ मामलों में किरायेदार को यह अधिकार दिया गया है कि वह प्राधिकारियों से उस मामले की पुनः जांच के लिये कह सकता है और ऐसी जांच मूल अधिनियम या सम्पत्ति हस्तानान्तरण अधिनियम के अधीन न होकर वर्तमान विधेयक के अधीन होगी।

उक्त अधिनियम की अवधि केवल फरवरी १९५८ तक थी। तथापि इस आपत्ति के कारण कि प्रेमिसेज (भूगृहादि) के अधीन खाली भूमि भी आती है या नहीं इस बात पर अग्रेतर विचार किया। इसलिये यह निश्चय किया गया कि १९५६ वाले अन्तरिम अधिनियम की अवधि को फरवरी १९५८ के स्थान पर फरवरी १९५९ तक बढ़ा दिया जाय, जिससे सम्बद्ध पक्षों को कोई नुकसान न हो। इस बीच सरकार इस सारे प्रश्न पर विचार करेगी और या तो एक संशोधन अधिनियम प्रस्तुत करेगी अथवा एक पृथक विधान प्रस्तुत करेगी। इस अधिनियम के अधीन अपराधों के संबंध में कहीं उनकी अवधि बढ़ा दी गई है और कहीं व्यवस्था को अधिक कड़ी बना दिया गया है।

अधिनियम में एक सामान्य उपबन्ध यह था कि वह अनुसूची १ पर लागू होगा। जिन क्षेत्रों पर विधेयक तत्काल लागू होगा वे क्षेत्र पहिली अनुसूची के मद १ से ६ के अन्दर उल्लिखित हैं। एक खंड में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि सरकार विधेयक के उपबन्धों को अन्य क्षेत्रों पर भी लागू कर सकती है। अथवा कुछ क्षेत्रों को हटा सकती है। संयुक्त समिति के सामने इस बात की पुरजोर सिफारिश की गई कि दक्षिण दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी क्षेत्र और नोटिफाइड एरिया कमेटी महरौली को भी इस विधेयक में शामिल कर लिया जाय। उन दोनों क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया है।

विमति टिप्पण में दो आपत्तियां की गई हैं। पहिली यह कि मनमाने किराये की छूट नहीं दी जानी चाहिये। इसका उत्तर मैं पहिले ही दे चुका हूँ। मनमाने किराये की छूट मकान मालिकों को प्रोत्साहन देने के लिये ही दी गई है। यह छूट केवल दो मामलों में और विशेष अवधि तक के लिये दी गई है। हमने आगे यह भी उल्लिखित किया है कि किराया वही रहेगा जो दोनों पक्षों द्वारा निश्चय किया गया था।

दूसरी आपत्ति इस बात पर की गई कि किराया नियंत्रण अधिनियम सरकारी मकानों या सम्पत्ति पर लागू नहीं होता है। कई सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि यह अधिनियम सरकारी मकानों पर भी लागू होना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों के समक्ष यह आदरपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी सम्पत्ति के संबंध में मकान मालिक और किरायेदार का संबंध लागू नहीं होता है। यह तर्क दिया गया कि सरकार भी किराया बढ़ाती है। यह सही है तथापि यह वृद्धि सदैव उचित होती है और यह आय भी जनता के कल्याण में व्यय होती है। अधिकांश मामलों में सरकारी सम्पत्ति के कब्जाधारी सरकारी कर्मचारी ही हैं। केवल थोड़े ही व्यक्ति ऐसे हैं जो सरकारी नौकर नहीं हैं। अतः मकान मालिक और किरायेदार का सिद्धांत सरकार पर लागू करना ठीक नहीं है न सरकारी सम्पत्ति के कब्जाधारियों को वे अधिकार या दायित्व देना ही उचित है जो अन्य किरायेदारों के होते हैं।

किरायेदारों के हक में मकान मालिक पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने अनिवार्य हैं। तथापि सरकार यदि कुछ करेगी तो उसे माननीय सदस्यों के सम्मुख अपने कार्य का औचित्य सिद्ध करना होगा। सरकार के प्रत्येक कार्य की संसद् में आलोचना की जा सकती है और इसलिये सरकार सदैव कुछ सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करती ह। सरकार को अपनी सम्पत्ति के लेन देन में जो भी लाभ होता है वह अनन्ततः जनता के कल्याण में व्यय होता है। इसलिये यह कहना बुनियादी तौर से गलत हैं कि मकान मालिक और किरयेदार वाला सिद्धांत या यह अधिनियम सरकार तथा उसकी सम्पत्ति के किरायेदारों पर लागू होना चाहिये।

इसलिये मेरे विचार से माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई दोनों आपत्तियां निराधार हैं। अन्य आपत्तियों का उत्तर मैं खंडवार चर्चा के समय यथावसर देने का प्रयत्न करूँगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस विधेयक पर पाँच घंटे सामान्य चर्चा के लिये और पाँच घंटे खंडवार चर्चा और तृतीय वाचन के लिये नियत किये जाते हैं।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश): मैंने माननीय मंत्री का भाषण बहुत ध्यान से सुना। वह शायद यह समझते हैं कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद किरायेदारों के अधिकार बिल्कुल सुरक्षित हो जायेगें। संयुक्त समिति से जिस रूप में विधेयक वापस आया है, उस रूप में मैं उसकी आलोचना इन आधारों पर करूंगा; प्रामाणिक किराया, किरायेदार द्वारा मकान किराये पर दिया जाना, सुविधायें रोकने का प्रश्न, मरम्मत का प्रश्न, मनमाने किराये की समस्या तथा सरकार द्वारा अपने किरायेदारों को किराया नियंत्रण काननों से अलग रखना आदि।

जहां तक प्रामाणिक किराये का प्रश्न है, संयुक्त समिति ने उसमें बहुत अच्छे सुधार किये हैं। छोटे-छोटे किरायेदारों के किरायों में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। इस प्रकार नियोजकों तथा गरीब जनता के हितों का समुचित संतुलन रखा गया है। किरायेदारों द्वारा किरायेदार रखने की बात पर मुझे संतोष नहीं है। उप-किरायेदारों के हितों को संरक्षण नहीं दिया गया है। सरकार ने १९५२ के पूर्व से रहने वाले उप-किरायेदारों के संबंध में उपबन्ध किया है कि उनको वैध किरायेदार माना जायेगा। पर इस संबंध में भी लोग एक आपत्ति उठा सकते हैं कि १९५२ के पूर्व से रहने वाला उप-किरायेदार किरायेदार की इच्छा मात्र से रह रहा था, अतः उसे इस अधिनियम का संरक्षण न दिया जाय।

मकानों की समस्या तो तभी हल हो सकती है जब सरकार यह उपबन्ध कर दे कि किरायेदार उप-किरायेदार रख सकता है यदि वह—चाहे वह मकान मालिक की आज्ञा न भी प्राप्त करे—मकान मालिक को इसकी सूचना दे दे और किराया नियंत्रक को उस सूचना की एक प्रति भेज दे। साथ ही प्रत्येक उप-किरायेदार के रखे जाने पर मकान मालिक को १० प्रतिशत या १२½ प्रतिशत अधिक किराया मिलेगा। बम्बई में आज यह हो रहा है कि किरायेदार स्वयं उपकिरायेदारों से एक-एक कमरे का १०० या १२५ रु० किराया लेते हैं और कहते हैं कि अमुक व्यक्ति को मैंने अपनी इच्छा से रख लिया है। अतः उप-किरायेदार को सब प्रकार का संरक्षण दिया जाना चाहिए।

साझेदारी के संबंध में, मैं समझता हूँ कि सरकार कोई समुचित मार्ग नहीं निकाल पाई है। संयुक्त समिति ने ठीक ही कहा है कि साझेदारी के झूठे मामले होंगे। मैं समझता

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरुचा]

हूँ कि किरायेदारी का स्वतंत्र हस्तान्तरण होने दिया जाये और मकान मालिक को १२½ प्रतिशत से २५ प्रतिशत तक किराया बढ़ा दिया जाये। इससे झूठे हस्तान्तरण नहीं होंगे। अतः इस सम्बन्ध में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है।

तत्पश्चात् किरायेदार को बेदखल करने का प्रश्न है। यह एक जटिल समस्या है। किराये की अदायगी न होने पर किरायेदार को बेदखल नहीं किया जायेगा। खण्ड १४ में कहा गया है जिस काम के लिए मकान या स्थान दिया जायेगा उसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने पर मकान मालिक उसे खाली करा सकेगा। पर इसमें कई कठिनाइयां होंगी—कोई वकील या बढ़ई या दर्जी अपने रहने के मकान में यदि अपना काम करेगा या मशीन आदि रखेगा तो इस बहाने मकान मालिक मकान खाली करवाने की कार्यवाही कर सकेगा। अतः यह बात भी स्पष्ट कर दी जानी चाहिए अन्यथा इन व्यक्तियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना होगा। ६ महीने तक मकान खाली पड़े रहने के आधार पर बेदखल करने की मांग समुचित है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि मकान मालिक अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकता के लिए भी मकान खाली करवा सकता है। ठीक है पर २ कमरे की आवश्यकता होने पर ६ या ८ कमरे को खाली करवाने का अधिकार उसे नहीं दिया जाना चाहिए। अतः इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया जाना चाहिए कि उचित आवश्यकता के अनुसार मकान खाली करवा सकेगा।

असुरक्षित मकानों को गिराने की बात को लीजिए। पुरानी दिल्ली में बहुत पुराने-पुराने मकान हैं जिनमें बहुत से किरायेदार रहते हैं। मेरा निवेदन है कि जब तक नगरपालिका पदाधिकारी इस बात को प्रमाणित न करें कि अमुक मकान रहने के लिए योग्य व सुरक्षित नहीं है तब तक उसे गिराने की आज्ञा न दी जाये। अन्यथा कोई भी मकान मालिक किसी भी इंजीनियर का प्रमाण पत्र दे देगा कि उसका मकान रहने योग्य नहीं है अतः उसे गिराने की अनुमति दे दी जाये। इस प्रकार गरीब किरायेदारों को बहुत तकलीफ हो जायेगी।

यह भी कहा गया है कि मकान मालिक अपने व अपने परिवार के सदस्यों तथा अपने ऊपर निर्भर लोगों के लिए मकान खाली करा सकेगा। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि परिवार की परिभाषा स्पष्ट कर दी जाये और निर्भर व्यक्तियों के संबंध में कुछ कसौटी निर्धारित कर दी जाये। इस सम्बन्ध से तो मकान मालिकों को मकान खाली कराने का अच्छा अवसर मिल जायेगा।

मकान आदि को फिर से बनवाने या उसमें बड़ा परिवर्तन कराने के लिए मकान खाली करवाने की बात के संबंध में मुझे यह कहना है कि मरम्मत या परिवर्तन के बाद वह मकान उन्हीं किरायेदारों को उन्हीं शर्तों पर मिल जाने चाहियें। यदि उन्हीं शर्तों की बात न होगी तो मकान मालिक बहुत ज्यादा किराया मांगेंगे। मकान मालिक कई बार मकानों की मरम्मत आदि के बहाने बिजली आदि बन्द करा देते हैं। मैं चाहता हूं कि यह व्यवस्था कर दी जाये कि यदि किरायेदार एक निर्धारित प्रतिभूति जमा कर दे तो बिजली आदि मकान में न्यायालय के आदेश द्वारा उसे दे दी जाये। अन्यथा १० या १५ दिन तक किरायेदार को बिजली, पानी आदि के बिना बड़ी कठिनाई होगी और वह मकान छोड़ने के लिए मजबूर हो जायेगा।

मकान की मरम्मत के संबन्ध में मेरा निवेदन है कि किरायेदारों को मकान की मरम्मत कराने का अधिकार होना चाहिए और यदि मकान मालिक मरम्मत कराये तो उसे १०% तक

व्यय दिया जाये। इस प्रयोजन के लिए नगरपालिका में एक विभाग खोला जाना चाहिए जो, यदि मकान मालिक मरम्मत न कराये तो, मरम्मत करा दे और मकान के किराये से अपना खर्च वसूल कर ले।

मनमाने किराये की व्यवस्था करके आपने मकान मालिकों को बहुत बड़ी छूट दे दी है। वे किरायेदारों का शोषण करें। मैं यह बात मान सकता हूँ कि नये मकान मालिकों को १० प्रतिशत या २० प्रतिशत अधिक किराया लेने की छूट हो। पर किरायेदारों का शोषित करने का अधिकार उन्हें न हो।

अन्त में मुझे इस बात पर आपत्ति है कि सरकारी भवनों में इस विधान के उपबन्धों से मुक्त रखा जाये। ऐसा क्यों? सरकार पर भी यह उपबन्ध लागू होने चाहिये। वैसे मैं संयुक्त समिति द्वारा किये गये सुधारों से सहमत हूँ पर अभी भी अनेक त्रुटियां है, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए।

†**श्री परूलकर** (थाना): यद्यपि संयुक्त समिति ने विधेयक में अनेक सुधार किये हैं पर अभी भी विधेयक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। इस विधेयक की उपयुक्तता की समुचित कसौटी यही है कि किरायेदारों को समुचित किराया देना पडे तथा मकान मालिकों को समुचित लाभ हो।

इस विधेयक में सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि इसके द्वारा भूमि के मूल्यों में होने वाली वृद्धि को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। भूमि के मूल्य में वृद्धि होने से किराये भी अवश्य बढ़ेंगे। अतः प्रामाणिक किराये के निर्धारण के मामले में यह बात क बहुत बड़ी कावट है। जमीनों का मूल्य बढ़ने से किराये की समस्या और भी भीषण होती जायेगी। लोग अधिक-से-अधिक भूमि इकट्ठा करेंगे और मकानों पर उनका एकाधिकार हो जायेगा। आप देखते हैं, कि अनेक पुराने मकान हैं, जिनकी मरम्मत उनके मकान मालिक नहीं कराते। मकान मालिक तो चाहते हैं कि ये मकान जल्दी से जल्दी गिर जायें, क्योंकि मकान गिरने पर वे भूमि को अधिक दामों पर बेच सकेंगे या नया मकान बनावाकर उसे अधिक किराये पर उठा सकेंगे। इसी लाभ के दृष्टिकोण से वे पुराने मकानों की मरम्मत नहीं कराते। इस सम्बन्ध में भूमि का मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार को चाहिये कि वह रोक थाम करे। पर सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार खुद लाभ कमा रही है। नई दिल्ली में उसने चार या पांच रुपये गज जो जमीन खरीदी थी, आज उसे वह दो सौ रुपये गज पर बेच रही है। इस प्रकार मकानों के कमी की समस्या कदाचित हल नहीं हो सकती।

विधेयक में खण्ड ३ के अन्तर्गत सरकारी मकानों की विधेयक के उपबन्धों से मुक्त रखा गया है। मैं समझता हूं कि इसका कोई औचित्य नहीं है। किरायेदारों को इससे क्या मतलब कि उनका मकान मालक कोई गैर-सरकारी आदमी है या सरकारी। फिर इस मुक्ति का क्या मतलब है क्या सरकार चाहती है कि वह मनमाना किराया वसूल कर सके? शायद सरकार यही करना चाहती है नई दिल्ली में लगभग एक-तिहाई मकान सरकार के हैं और उसमें से ९० प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों के पास है और उनका किराया प्रमाणित किराये से भी कम है, यह तो एक अच्छी बात है। फिर भी सरकार यह अधिकार अपने हाथ में क्यों लेती है कि वह मनमाना किराया वसूल करे, इस बात में कोई भी तर्क नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री परुलकर]

जहां तक इस उपबन्ध का सवाल है कि १९५१ से १९५५ के बीच बने हुए मकानों को सात वर्षों तक मनमाना किराया लेने का अधिकार होगा और १९५५ के बाद बने हुए मकानों को ५ वर्ष तक मनमाना किराया लेने का हक होगा, इस सम्बन्ध में सरकार ने कहा है कि मकान बनवाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए यह उपबन्ध दिया गया है। पर यह बात तो विधेयक के मूल आधार के विरुद्ध है इस प्रकार तो मकान मालिकों को पूरी छूट मिल जायेगी कि वे गरीब किरायेदारों का शोषण करके खूब लाभ कमायें।

मैं मानता हूं कि सरकार के पास धन की बहुत अधिकता नहीं है और इस समस्या को हल करने के लिए हमें अन्य रास्ते अपनाने होंगे। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सरकार ने जिस मूल्य पर भूमि खरीदी है, उसी मूल्य पर ३००-३०० गज के टुकड़े लोगों को दे और उन्हें मकान बनवाने की आज्ञा दे। इस प्रकार लोगों को प्रेरणा मिल सकती है।

अब प्रमाणित किराये सम्बन्धी खण्ड ६ के उपबन्ध को लीजिए, मकानों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, (१) रहने वाले (२) रहने के अतिरिक्त अन्य कामों में इस्तेमाल किये जाने वाले। दूसरी श्रेणी के मकानों के लिए अधिक किराया रखा गया है, यह ठीक भी है और मैं इससे सहमत भी हूं। रहने वाले मकानों को भी कई श्रेणियों में बांटा गया है और कुछ श्रेणियों के लिए किराये में १० प्रतिशत की वृद्धि की छूट दी गई है पर यह वृद्धि बहुत ज्यादा होगी क्योंकि वर्तमान किराये वैसे ही बहुत ज्यादा है। प्रमाणिक किराये के सम्बन्ध में भी जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये था, उनका ध्यान नहीं रखा गया है।

अन्त में, मैं उप-किरायेदारों की बात को लूंगा। विधेयक में कहा गया है कि ९ जून, १९५२ के पहले के उप-किरायेदारों को वैध माना जायेगा और बाद के लोगों को नहीं। इस सम्बन्ध में १००० रुपये के जुर्माने आदि की भी व्यवस्था है। बाद के उप-किरायेदारों को वैध करने के लिए भी व्यवस्था है पर इस प्रकार मकान मालिकों को गरीब किरायेदारों के शोषण का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आगे के सम्बन्ध में भी यही कहा गया है कि मकान मालिक की लिखित अनुमति के बिना उप-किरायेदार रखना वैध नहीं होगा।

वसे मैं स्वयं उप-किरायेदारी के पक्ष में नहीं हूं। पर, क्या किया जाय? मकानों की कमी है अतः करना ही पड़ेगा। यदि मेरी बातों पर ध्यान रख कर विधेयक का सुधार किया जायेगा तो विधेयक बहुत लाभदायक--किरायेदारों के लिए-सिद्ध होगा।

श्री राधारमण (चांदनी चौक): उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक प्रवर समिति से हो कर यहां पर आया है उसके सम्बन्ध में हमने अभी अपने दो माननीय मित्रों के विचार सुने हैं और हमारे गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री जी ने भी इस बिल के बारे में अपने विचार यहां पर प्रस्तुत किये हैं और जो सेलिग्रेंट फीचर्स (मुख्य विशेषतायें) इस बिल के हैं उनका वर्णन किया है।

मैं सबसे पहले यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस शक्ल में यह बिल ज्वाइंट कमेटी के सुपुर्द किया गया था उससे काफी परिवर्तित रूप में अब यह हमारे सामने प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह बात हमारे माननीय मित्रों ने जो अभी बोल चुके हैं, भी मंजूर की है। उन्होंने माना है कि इसमें काफी संशोधन हुए हैं और साथ-साथ उन्होंने अपने नये विचार भी इस सदन के सामने रखे हैं। उनका विचार है कि उन विचारों को इस बिल में डाल देने से इस बिल की जो शक्ल है और जो सूरत है वह और भी ज्यादा अच्छी हो

जाएगी। इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा सा आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात जिस पर कि काफी आपत्ति प्रवर समिति में माननीय सदस्यों द्वारा की गई थी और इस सदन के अन्दर भी नजर आती है वह दो तीन चीजों पर है।

पहली बात तो यह है कि हमने जो फार्मुला, (सूत्र) या प्रवर समिति ने जो फार्मुला इस बिल में रखा है स्टैंडर्ड रेंट (प्रामाणिक किराया) का, वह यह है कि जो किरायेदार ५० रुपये माहवार के हिसाब से या उससे कम किराया अदा करते हैं, उनके लिए वही स्टैंडर्ड रेंट फिक्स हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी किरायेदार हैं जो कि १२०० रुपया साल तक अदा करते हैं उनको किरायेदार तसलीम करके स्टैंडर्ड रेंट का फैसला करने का भी एक तरीका हमने तसलीम किया है। जहां तक उन किरायेदारों का ताल्लुक है जो कि ५० रुपये या उससे कम माहवार किराया अदा करते हैं उनके बारे में प्रवर समिति ने कहा है कि उनके किरायों में इजाफा करने की इजाजत मालिक मकानों को नहीं होनी चाहिये। लेकिन इस किराये से ऊपर किराया देने वालों के बारे में प्रवर समिति ने किराये में इजाफा करने की कुछ छूट दी है और उसमें यह भेद किया गया है कि एक वह किरायेदार है जो कि खुद अपने लिये मकान चाहता है और एक वह है जो कि अपने रहने के लिए नहीं चाहता है, या बिजिनेस के लिए चाहता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बावजूद इसके कि तमाम शहादतों को लेकर तथा देख कर और दिल्ली के तमाम हालात को देख कर प्रवर समिति ने इस बात का फैसला किया है कि इस किस्म की केटेग्राइजेशन (वर्गीकरण) हो और उनके किरायों के मुताबिक किरायों में छूट या किरायों को न बढ़ने देना या किरायों को बढ़ाना, इनके बारे में इस बिल में व्यवस्था होनी चाहिये।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज भी हमारे नगर में, हमारे शहर में यह खयाल पाया जाता है कि तमाम उन किरायेदारों को छूट मिलनी चाहिये जो कि पहले से ही किरायेदार हैं, या जो पहले से ही किरायेदार चले आते हैं और उन पर किसी किस्म का इज़ाफा नहीं होना चाहिये। लेकिन मैं आपका ध्यान एक दूसरे ही पहलू की तरफ खींचना चाहता हूं। हम सब को खुशी हो सकती है अगर हम यह फैसला कर दें कि जो पहले से ही आबाद हैं या पहले से ही किरायेदार चले आते हैं, उनको हम राहत पहुंचायें, उनको हम आराम पहुंचायें। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। मैं अपने तजुर्बे की बिना पर कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली में बहुत से ऐसे मकान हैं जिनका किराया ४० या ५० रुपया माहवार या उससे कम है और उसके अन्दर वे लोग रहते हैं जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा है और जिनके मालिक कोई प्रापर्टी ओनर नहीं हैं बड़े अमीर नहीं हैं बल्कि मिडिल क्लास के हैं या लोअर मिडिल क्लास के हैं। इसके साथ ही साथ ऐसे भी बहुत सारे मालिक मकान हैं जो शायद बेवायें हैं या जिनका सब कुछ यह प्रापर्टी ही है या जो रिटायर हो चुके हैं और उनकी आमदनी का ज़रिया केवल यह किराया ही होता है और इसी पर निर्भर करके वे अपना गुज़र बसर करते हैं। आज अगर हम यह कहते हैं कि हमें किरायेदारों को बिल्कुल छूट दे देनी चाहिये तो इसका मतलब यह है कि हम हर किरायेदार को यह मान कर चलते हैं कि वह ग़रीब है, वह इतना किराया नहीं दे सकता है और अगर ऐसी बात है तो हमें ईमानदारी के साथ उन्हें छूट भी दे देनी चाहिये। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि हम हकीकत से गुरेज़ करते हैं, सदाकत से मुंह मोड़ते हैं। आज सूरत यह है कि जितने किरायेदार दिल्ली में आबाद हैं उनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो कि ५० रुपये से भी ज्यादा दे सकते हैं और साथ-साथ बहुत से ऐसे भी हैं जो ५० रुपया महीना किराया भी नहीं दे सकते हैं। इसलिये प्रवर समिति ने इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बहुत से मकान ऐसे हैं लोगों के भी हैं कि जिनका गुज़ारा उन पर ही चलता है और उनका एक ही मकान है, इस वास्ते इसके बारे में कोई अलग चीज़ तजवीज़ इस कानून

[श्री राधारमण]

में कर दी जाय और ऐसे आदमियों को छांट दिया जाये और उनके साथ कानून दूसरे तरीके से व्यवहार करे या उनके बारे में कानून अलग से ही लागू किया जाये और जिनका एक-एक मकान नहीं और जो उन्हीं मकानों पर निर्भर नहीं करते हैं, उन पर ही अपना गुज़र बसर नहीं करते हैं, उनकी अलग कैटेगरी रख दी जाये, ऐसी कोई बात नहीं की है और चूंकि ऐसी कोई बात नहीं की गई है इसलिये एक बैलेंस स्ट्राइक किया गया है और उसको समिति ने मुनासिब समझा है। समिति ने यह मुनासिब समझा है कि जो किरायेदार ऐसे हैं कि जो ५० रुपया माहवार देते हैं, वाकई में उनकी कैपेसिटी (क्षमता) उनकी ताकत ज्यादा न होगी और वे छोटे किरायेदार हैं इसलिये उनको किसी किस्म का किराया ज्यादा देने की इजाज़त न दी जाये। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग हैं कि जो शायद ६०० से १२०० रुपया सालाना देते हैं और समिति की राय में हो सकता है कि वे बेहतर हालत में होंगे इसलिये उनको जो थोड़ा सा ज्यादा किराया देने की बात कही है वह दूसरों की निसबत कम कही गई है यानी यह कहा गया है कि उनको सवा छः परसेंट तक की इजाज़त दी जाये कि वे किराया बढ़ा सकते हैं। उनके ऊपर के जो लोग हैं या उनसे अधिक जो किराया देते हैं उनको यह तसलीम करके चला गया है कि वे और भी अच्छी हालत में हैं आसूदा हालत में हैं और उनका सवाल हुकूमत के सामने नहीं आता है, वे अपनी बात आपस में तय कर सकते हैं लेकिन उनके ऊपर भी एक सीलिंग रख दी गई है कि साढ़े सात परसेंट से ज्यादा नहीं लिया जा सकता है।

इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि रहने के मकान हैं और जो बिजिनेस के मकान हैं उनमें भी फर्क कर दिया जाये। मेरे माननीय मित्र जो अभी बोल चुके हैं और जिनके बहुत ही एक्सट्रीम व्यूज़ हैं और जो एक मुखालिफ पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी इस बात को तसलीम किया है कि यह जो फर्क किया गया है, मुनासिब तौर पर ही किया गया है। एक आदमी जो सन् १९३९ में एक होटल रन करता था और उस वक्त वह ५०० या १००० रुपया कमाता था और आज ५००० या १०,००० या ५०,००० साल रुपया कमाता है, उसको क्यों मजबूर न किया जाये कि वह मुनाफे में से कुछ हिस्सा मालिक मकान को न दे। आखिर मालिक मकान को भी टूट फूट जो होती है उसकी मरम्मत करनी पड़ती है जो बढ़े हुये टैक्स हैं वे देने पड़ते हैं और जस्टिस और फेयरनेस नज़र नहीं आती जब यह कहा जाता है कि उसको भी अधिक किराया देने पर मजबूर न किया जाये। इस तरह से प्रवर समिति ने इस सारी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया है और अगर इस माननीय सदन का कोई माननीय सदस्य कोई और सुझाव दे जो कि जायज़ प्रतीत हो, जिसमें कि दोनों पलड़े मुनासिब तौर पर झुकें जो कि दोनों के हित में हो और साथ ही साथ इन सुझावों से वे बेहतर हों तो हमें उसको मंजूर कर लेना चाहिये। मगर यह नहीं होना चाहिये कि एक पलड़े को हम इस तरह से झुका दें कि दूसरे के साथ बिल्कुल ही बेइंसाफी से काम लिया जाये।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज पुरानी दिल्ली में हजारों मकान ऐसे हैं जो कि बोसीदा हालत में हैं और अगर उनकी मरम्मत न कराई जाये तो वे एक साल तक भी कायम नहीं रह सकेंगे। उनके बारे में अगर आप मालिक मकान को मजबूर करें कि वे उनको अच्छी हालत में रखें और साथ-साथ यह कहें कि सन् १९३९ में जो उनका किराया था और जिसमें मामूली सी बढ़ोतरी एक दो बार हुई और किराया भी न बढ़ाया जाये तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह कैसे मुम्किन हो सकता है। आज सूरत यह है कि अगर उस मकान की रिपेयर की जाये तो जितने रुपये सन् १९३९ में असली उस मकान को बनाने में लगते थे उससे ऊपर ही खर्च होंगे, उससे कम नहीं। मैं नहीं कहता कि किरायेदारों को जो आराम मिलना चाहिये या आजकल जो हमारी

नीति है, उसके मुताबिक उनको जिस तरह से हमको देखना चाहिये, उस तरह से हम उनकी ओर न देखें या वह आराम उनको न मिले। लेकिन यह भी गलत चीज़ होगी कि आप एक पलड़े को भारी कर दें और दूसरी तरफ का खयाल ही न रखें। नतीजा यह होगा कि जो मकसद आपका है उससे आप बिल्कुल दूर हो जायेंगे

दूसरी बात जो कि बहुत आपत्तिजनक हैं वह रेंट हालिडे की है। यह बहुत अच्छा लफ्ज निकला है और मैं इसका हामी हूं कि नये मकान बनाने वालों को रेंट हालिडे मिलनी चाहिये और प्रवर समिति ने भी तमाम शहादतों को इस बारे में सुना है और उन पर गौर किया है। वहां पर भी इस तरह के सजेशन दिये गये और यहां पर भी दिये जायेंगे कि अगर रेंट हालिडे देनी है तो एक सीलिंग मुकर्रर कीजिये। जो नया मकान बनाये उसके लिये आप यह सीलिंग मुकर्रर कर सकते हैं कि वह १५ परसेंट तक ले सकता है जब कि पुराने मकानों के लिये आपने ६¼ परसेंट से ८½ परसेंट तक ही रखा है। यह नहीं हो सकता कि जो नया मकान बनाये वह सौ फीसदी ले-ले और गरीब आदमी को मौका ही न मिले। यह इस तरह की रेंट हालिडे बिल्कुल बेजा मालूम होती है।

आप इस चीज़ को एक और नज़र से भी देखें। कुछ माननीय सदस्यों ने उस बारे में बहुत कुछ कहा है और मैं भी उनसे इत्तिफाक करता हूं। वह चीज़ यह है कि दिल्ली में जो जमीन का स्पेकुलेशन (सट्टा) हो रहा है उसको रोका जाये। मैं बहुत पसन्द करूंगा अगर हुकूमत इसको बन्द करने के उसूल को मान ले। आज हम देखते हैं कि दिल्ली में जमीन का बड़ा जबरदस्त स्पेकुलेशन हो रहा है। मैं समझता हूं कि जितने भी व्यापारी लोग हैं उनका कुछ न कुछ रुपया जमीन पर जरूर लगा हुआ है। उसकी वजह यह है कि जो जमीन वह आज खरीदते हैं वह कल दुगने दाम की हो जाती है और इसी तरह से उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। मैं चाहता हूं कि हुकूमत कोई ऐसी तजवीज़ लाये कि जिससे यह स्पेकुलेशन रोका जा सके। ऐसा वह छोटी कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिये कर सकता है और लोगों को इजाजत दे कि वे सिर्फ अपने रहने के लिये मकान बना सकें। लो इनकम हाउसिंग स्कीम में से उनको लोन दिया जाये या कोई हाउसिंग बोर्ड बनाया जाये। अगर हुकूमत ऐसा करती है तब तो शायद इस मसले को हल कर सकती है। लेकिन आप कहते हैं कि हालिडे रखी जाये, इस पर थोड़ी सीलिंग भी न रहे। आप बम्बई का मुकाबला दिल्ली से न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप असली हालत की तरफ नहीं जा सकेंगे। बम्बई नेचुरल ग्रोथ में है। लेकिन दिल्ली की ग्रोथ अननेचुरल हो रही है। जिस शहर में पहले सात आठ लाख आदमी रहते थे उसमें एक दम ३० लाख हो गये और अब २५ लाख हो जायेंगे और हर साल साठ सत्तर हजार नये आदमी आ कर यहां बसते हैं। दिल्ली का एट्रेक्शन भी बढ़ रहा है और हम देखते हैं कि बड़े-बड़े बिजनेसमैन यहां आकर अपने दफ्तर खोल रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर आप स्पेकुलेशन जारी रखेंगे और छट नहीं देंगे तो मकान कम बनेंगे। यह मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको जिन लोगों की दरअस्ल फिक्र है वे भी अपने मकान नहीं बना सकते या किराये के मकानों में रह सकते अगर आप स्पेकुलेशन जारी रखते हैं। चाहे उस हालत में आप छूट न भी दें तो उन लोगों का मसला हल नहीं हो सकता। आप देखें कि गवर्नमेंट ने खुद अंधा मुगल में और झिलमिल ताहरपुर में मकान बनाये जिनका किराया १२ और १५ रुपया महीना था। लेकिन जिन लोगों को सरकार वहां बसाना चाहती थी वह ६ रुपये माहवारी भी नहीं दे सकते थे। यह बात नहीं है कि वे देना नहीं चाहते थे, बल्कि बात यह है कि उनकी कैपिसिटी ही नहीं है। अगर आपको इन लोगों के मसले को हल करना है तो आप इनकी कैपिसिटी को बढ़ाइये। और फिर आप छूट दें या न दें तो कुछ अच्छा बुरा नतीजा निकल सकता है। अगर सरकार यह करे कि जो नये मकान बनाये जायें उन पर ३ परसेंट से ज्यादा रिटर्न न लिया जाये

[श्री राधारमण]

जो कि बैंक का भी रेट है, तो भी गरीब आदमी मुश्किल से किराया दे सकते हैं। आप देखें कि सरकार के सबसीडाइज्ड मकानों की क्या हालत है। जैसा कि मैंने ऊपर कहा सरकार ने जो मकान अन्धा मुगल और झिलमिल ताहरपुर में बनाये हैं उनमें वह उन लोगों को नहीं बसा सकी जिनको कि बसाना चाहती थी। नतीजा यह हुआ कि उन मकानों में वे लोग जाकर बस गये जो कि ज्यादा किराया दे सकते थे और जो कि शहर में भी किराये पर रह सकते थे। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नये मकानों को आप खुली छट न दें और उन पर भी कुछ सीलिंग लगावें। अगर आप छूट देंगे तो कोई वजह नहीं है कि जो आदमी ५००० लगाये वह एक ही साल में पगड़ी वगैरह से ५००० क्यों न पैदा कर ले। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हुकूमत छट न दे तो किसी कदर यह मसला हल हो सकता है। हालांकि अगर हुकूमत १५ परसेंट या २० परसेंट सीलिंग मुकर्रर करती है तो भी मिडिल क्लास वाले और लोअर मिडिल क्लास वाले इन मकानों को नहीं ले सकेंगे। आजकल कोई छोटा सा भी मकान २५ या ३० हजार से कम में नहीं बन सकता। अगर आप इस पर साढ़े·६ पर सेंट भी रिटर्न रखेंगे तो जो लोग कि आज गलियों और कूचों में सड़ रहेहैं वे उन मकानों का किराया नहीं दे सकेंगे। तो सरकार को इस मामले पर भी गौर करना चाहिये कि कितनी सीलिंग रखी जाये। आप छट न दे कर और सीलिंग मुकर्रर करके तजुर्बा कर सकते हैं।

तीसरी बात जो हमारे सामने आती है वह इविक्शन की है। इस के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और कहा जायेगा। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि किरायेदार को इविक्ट न किया जाये और इसके लिये जितनी भी रुकावटें डाली जा सकें डाली जायें। इस विषय पर प्रवर समिति ने दोनों पक्षों की शहादतें सुनी और इस मामले पर अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा लगाया था। मद्रास, बम्बई और दूसरी जगहों के ऐक्टों को भी अपने सामने रखा था। हम सब को यह फिक्र है कि किसी किरायेदार को नाजायाज तौर पर न निकाला जा सके। सन् १९५२ के बाद के जो सब-टिनेन्ट हैं उनकी तरफ से बहुत सी शिकायतें आनी शुरू हो गयी हैं। वजह यह है कि यहां मकानों की कमी है। ऐसा बहुत जगह हुआ है कि लोगों ने आपस में यह फैसला कर लिया है कि चलो एक कमरा हम रखते हैं एक कमरा तुम ले लो और इस तरह दूसरे आदमी को एक हिस्सा दे दिया। अब वे लोग अगर लैंड लार्ड के पास इजाजत के लिये जायेंगे तो वह कब इजाजत देगा। वह तो दुगना और तिगुना किराया मांगेगा। तो इस तरह से सन् ५२ के बाद के सब-टिनेन्ट्स को परेशानी होगी।

लेकिन जहां हमको और आपको एक तरफ यह देखना है कि किरायेदार को बेजा तकलीफ न पहुंचे, वहां हमें दूसरी तरफ मकान मालिकों का ध्यान भी रखना है। आज हम देखते हैं कि बहुत से किरायेदार सब-टिनेन्ट्स का मकान मालिकों से ज्यादा एक्सप्लायटेशन कर रहे हैं। यहां पर आज कहा जाता है कि पार्लियामेंट के मेम्बर अपने मकानों को किराये पर दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : शेम।

श्री राधा मरण: जब यह बात साबित हो जाये तभी आप "शेम" कहें। यह बात कही जाती है मैं नहीं जानता कि सही है या गलत है।

तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अगर कोई किरायेदार सब-टिनेन्ट से फायदा उठा रहा है तो वह लैंडलार्ड से बदतर है। उस किरायेदार के खिलाफ सब-टिनेन्ट को प्रोटेक्शन मिलना चाहिये। अक्सर ऐसा हो रहा है कि जितना रुपया किरायेदार मकान मालिक को देता है उससे ज्यादा सब-टिनेन्ट से ले रहा है और वह उसको रसीद भी नहीं देता ताकि उसके खिलाफ कचहरी म कुछ कार्यवाही न की जा सके। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाये।

मुझे इस बिल में दो तीन खामियां नजर आती हैं। आज नई दिल्ली में जितनी भी जमीने हैं, जितनी भी जायदादे हैं वे सब सरकार की जमीनें हैं। उनका पट्टा हर २५ साल बाद बदला जाता है। मैं आपके सामने यह चीज़ रखना चाहता हूं कि अब बहुत सारे लैंडलार्ड्स को नई दिल्ली में यह नोटिस दिया गया है कि जिस जमीन का तुम ५००० का ग्राउंड रेंट देते थे उसका ५०,००० का रिवाइज्ड रेंट लगेगा। उसको पांच से पचास हजार किया जा रहा है और मकान मालिक से यह उम्मीद की जाती है कि अगर वह किसी मकान का सौ रुपया किराया लेता है तो उसको न बढ़ाये। जो इन्सीडेंस आफ टेक्सेशन (कर का भार) और इन्क्रीज़ इन ग्राउंड रेंट लैंड-लार्ड पर पड़ता है, उससे यह काम इमप्रक्टिकल हो जाता है। आपको सोचना चाहिये कि इसको कैसे हल किया जाये और इसको कैसे इस बिल में प्रोवाइड किया जाय। आप पहाड़गंज की तमाम जायदादों को देखें। जब १९३९ में वे बनी थीं, तो उस वक्त वे दो दो हजार रुपये में ली गई थीं और पट्टे की कीमत सात रुपये महीना थी। दस पन्द्रह बरस बाद वह पट्टा खत्म हो गया। अब दो तीन हजार रुपये प्रीमियम मांगा जाता है, जब कि किराया उसको २-८-० रुपये मिलता है। प्रीमियम का ब्याज भी बहुत ज्यादा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस लकुना की तरफ ध्यान दिया जाय और जरूरी अमेंडमेंट की जाये। गवर्नमेंट की जो जमीनें और जायदादें पट्टे पर हैं, उनका हर पच्चीस बरस के बाद रिविजन किया जाता है—वह रिविजन चाहे कितना ही फेबुलस और फेबुलस क्यों न हो। मैं यह नहीं कहता कि वह गलत है । यह बात ठीक है कि आज से पच्चीस बरस पहले जिस जमीन की कीमत पांच रुपया थी, आज उस की कीमत पांच सौ रुपये है। लेकिन अगर यह उम्मीद की जाय कि लैंड-लार्ड उसको अदा करें, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह एक इमप्रक्टिकल बात है। इससे बेहतर तो यह है कि गवर्नमेंट तमाम लैंड को नेशनलाइज कर ले और उसका जो चाहे किराया वसूल करे, लेकिन लैंडलार्ड से यह उम्मीद करना मुनासिब नहीं होगा और न ही प्रक्टिकल होगा। इसमें कई काम्प्लीकेशन्ज़ आयेंगी, जिनको आप को देखना है।

एविक्शन के काज़िज़ में और पुरानी चीज़ें तो रखी गई हैं और उनमें सुधार भी किया गया है, लेकिन उनमें से न्युसेंस का वर्ड हटा दिया गया है। मुझे पहले शायद यह स्ट्राइक नहीं हुआ। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान, इंगलैंड या दूसरे मुल्कों के इस बारे में जितने भी कानून हैं, उन सब में न्युसेंस जरूर एविक्शन का कारण बनता है। मैं यह पूछता हूं कि आप यह कैसे पसन्द करेंगे कि आप पड़ौस में रहते हैं और कोई किरायेदार रात-दिन छिलके फैकता रहे, गाली-गलोज करता रहे, या कोई ऐसा काम करता रहे, जो कि मुनासिब न हो, जिसको कि आप वाकई और बोना-फाइडी तरीके से न्युसेंस मानते हैं, लेकिन आपको उस किरायेदार को एविक्ट करने का अधिकार न हो ? ऐसी हालत में न सिर्फ मालिक-मकान को बल्कि किरायेदार को भी तक्लीफ होती है। जब यह वर्ड उन तमाम एक्ट्स में मौजूद है, जो कि हिन्दुस्तान में पास किये गये हैं, तो इस बिल से इसको हटाना नामुनासिब होगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस शब्द पर फिर गौर किया जाय।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : यह पहले एक्ट में भी था।

श्री राधा रमण: इसको आप कड़ा बेशक कर दें, लेकिन इस वर्ड को जरूर रखें। इससे दिल्ली में न सिर्फ मालिक-मकान को बल्कि किरायेदारों को किरायेदारों से तकलीफ होती है। अगर आप चाहते हैं की यहां कि जिन्दगी अच्छी और सेहतयाफ्ता हो और किरायेदारों में झगड़े और सिर-फुटौव्वल न हो और कोई किरायेदार वाकई न्युसेंस पैदा करके दूसरों को न भगा सके, तो इस वर्ड को जरूर रखना चाहिये।

[श्री राधा रमण]

इसके बाद मुझे यह अर्ज करना है——मैंने प्रवर समिति के सामने भी यह कहा था——कि इस बिल में आपने प्रेमिसिज़ का जो डेफीनीशन किया है, उसमें आपने लैंड का कोई जिक्र नहीं किया है। दिल्ली में हजारों मकान ऐसे हैं, जो कि अमलेदारों के हैं। आज से सौ बरस पहले किसी साहब की जमीन थी——एक हजार या पांच सौ एकड़ जमीन थी। उस ने आठ आने या बारह आने महीना के हिसाब से वह जमीन दे दी और इजाजत दे दी कि आप इस पर अमला बनायें। उन्होंने उन जमीनों पर स्ट्रक्चर खड़े कर लिये। आज कोई पचास बरस पहले का स्ट्रक्चर है, कोई सत्तर अस्सी बरस पहले का स्ट्रक्चर है और कोई कोई सौ बरस पहले का स्ट्रक्चर भी है। इस डेफीनीशन की रू से वे हजारों किरायेदार, जो कि उन जमीनों पर रहते हैं, जिन्हें हम अमलेदार भी कह सकते हैं और एक तरह से किरायेदार भी कह सकते हैं, इस बिल की जद में नहीं आ सकते हैं। जो फैसले अदालतों ने किये हैं, उनके बल पर यह कहा जाता है कि वे अब तक पास किये गये किसी कानून के अन्दर नहीं आते। वे अमलेदार बड़े अनहल्दी सर्कमस्टांसिज़ (अस्वास्थ्यकर स्थिति) में रह रहे हैं। उन के पास कोई एमिनिटीज़ नहीं है। वहां न पाखाने का कोई इन्तजाम है और न बिजली, सेहन या नालियों का। इन हालात में भी वे वहां रहते हैं। उन्होंने किसी तरह के मकान खड़े किये हुये हैं। अगर हम इस कानून में प्रेमिसिज़ की डेफीनीशन में अमलेदारों को नहीं डालेंगे, तो उसका नतीजा यह होगा कि कोई कानून उनकी परवरिश नहीं कर सकेगा, उनको नहीं बचा सकेगा। यह हो सकता है कि कोई जज ह्यूमनिटेरियन व्यू ले ले, लेकिन जहां तक कानून का ताल्लुक है, वे उससे कवर नहीं होते हैं। इस पर फिर से गौर किया जाना चाहिये।

लैंड की स्पकुलेशन के बारे में मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। मैं चाहता हूं कि इस तरफ ज्यादा तवज्जह दी जाय। जो लोग थोड़े दामों पर लैंड ले लेते हैं और ज्यादा दाम पर बेचते हैं, जिसकी वजह से मकानों की लागत बढ़ जाती है और किराये भी बढ़ जाते हैं, उन लोगों के लिये अगर कोई प्राविजन रखा जा सके, तो ठीक है। गवर्नमेंट खुद भी इसको डिसकरेज करे। ज्यादातर स्माल एंड बिग कोआपरेटिव सोसायटीज़ को इस सिलसिले में मदद दी जानी चाहिये। ऐसी सोसायटीज की यह एक लाज़िमी शर्त रखी जानी चाहिये कि ऐसा कोई आदमी उसका मेम्बर नहीं हो सकेगा, जिसकी और कोई जायदाद हो और कोई अपने मकान को किराये पर नहीं दे सकेगा और वह सिर्फ अपने लिये मकान बना सकेगा। इस किस्म की कैदें लगा कर कुछ रुपया दिया जा सकता है। हमारे पास लो इनकम हाउसिंग स्कीम के मातहत कुछ फंड्स एवेलेबल हैं। जिन गरीब आदमियों को वाकई मकान नहीं मिलते हैं, जिनकी कपेसिटी बहुत कम है, जो कि दो, चार या छः रुपये से ज्यादा किराया किसी सूरत में नहीं दे सकते हैं, उनके लिये शहर के गिर्दो-नवाह में ऐसे इलाकों में, जहां कि उनको ले जाकर बसाया जा सके, मकान अगर बनाये जायें, तो मैं समझता हूं कि इस शहर की एक बहुत बड़ी दिक्कत को हल किया जा सकता है, जिसको कि यहां के हर एक शख्स महसूस करता है।

मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि प्रवर समिति ने जो संशोधित बिल रखा है, वह बहुत काफी सुधार के साथ हमारे सामने आया है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत गुंजायश है। लैंडलार्ड के साथ जो बेइन्साफी हो सकती है, उसे भी हटाया जाय और किरायेदार के साथ जो बेइन्साफ़ी हो सकती है, उसको भी हटाया जाय और हम एक ऐसा बिल सामने ला सकें, जो न सिर्फ दिल्ली के लिये आराम और राहत देने वाला हो बल्कि दूसरे राज्यों के लिये भी आराम देने वाला बन सके। इस बिल को लाने में हमारा मकसद यह है कि दिल्ली के किरायेदारों को तकलीफ से बचाया जाय और दिल्ली के लैंडलार्ड्स को उन हकूक से डिप्राइव न किया जाय, जो कि उनको आईन में दिये गये हैं। अगर आप चाहते हैं कि लैंडलार्ड न रहें, तो आप उसका भी हक रखते हैं, यह सदन उसका

हक रखता है। लेकिन जब तक वे मौजूद हैं, तब तक अगर ऐसे कानून बनायेंगे, जिन पर अमल वे न कर सकें, तो इससे बड़ा करप्शन पैदा होगा और इस तरह आप लोगों को गलत रास्ते पर ले जायेंगे। कानून ऐसा होना चाहिये जो कि दोनों के लिये जायज और मुनासिब हों और हमारे आईन के मुताबिक टिकता हो। तब अच्छे नतीजे निकल सकते हैं।

मैं जनाब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रवर समिति ने इस विधेयक में काफ़ी सुधार किया है, लेकिन मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति ने जितना सुधार किया है, उस से अधिक सुधार की अभी इस विधेयक में गुंजायश है। मेरे मित्रों ने कुछ बातें कही हैं और मैं समझता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर इस सदन में शायद मतभेद नहीं है।

पहली बात जो इस विधेयक में आपत्तिजनक है, वह यह है कि सरकार को इस विधेयक के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखा गया है। दिल्ली में और नई दिल्ली में अगर सब से बड़ा कोई मकान-मालिक है, तो वह हमारी सरकार है। वह मकान भी किराये पर देती है और दुकानें भी किराये पर देती है। किन्तु इस विधेयक के अन्तर्गत सरकार को इन नियमों से बांधा नहीं गया है, जो किसी अन्य मकान-मालिक या उस से सम्बन्धित किरायेदार पर लागू किये जायेंगे। मैं समझता हूं कि यह स्थिति ठीक नहीं है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र में एक माडल एम्पलायर के रूप में काम करना चाहिये वैसे ही मकान किराये पर देते समय सरकार एक आदर्श मालिक मकान की तरह से व्यवहार करे। लेकिन अनुभव यह बताता है कि सरकार मुनाफाखोरी करती है। किराया वसूल करने में, ज़मीन चबेने में तथा दूसरी बातों में, मुनाफाखोरी से काम लिया जाता है। ज़मीन बेचने में तो आपने यह किया है कि जो ज़मीन चार आने फी गज़ खरीदी गई थी वह ३०० और ४०० रुपये फी गज़ के हिसाब से बेची गई। दिल्ली में ऐसे भी उदाहरण हैं कि जिन दुकान के लिए एक व्यक्तिगत मकान मालिक को ११ रुपया किराया मिलता था सरकार ने जब दुकान का स्वामित्व अपने हाथ में लिया तो उसी दुकान का किराया बढ़ा कर डेढ़ सौ रुपया प्रति मास हो गया, इस तरह के उदाहरण भी प्रस्तुत किये गये हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार के लिये और विशेषत: ऐसी सरकार के लिए जो अपने को समाजवादी आदर्शों से अनुप्राणित होने का दावा करती है, इस प्रकार का व्यवहार शोभा नहीं देता। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को भी इस विधेयक के क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाये और जो नियम या प्रतिबन्ध मकान मालिकों पर लागू होते हैं, सरकार उनके प्रति भी अपने दायित्वों का पालन करने के लिये तैयार हो।

ज़मीन की कीमत बढ़ाने की बात अभी कही गई है। मैसूर में जो हाउसिंग मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस हुई थी उसने इस तरह की सिफारिश की थी कि ज़मीन की कीमतों को फ्रीज़ कर देना चाहिये, उनको आगे बढ़ाने से रोक देना चाहिये। इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है, इसको कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है और नतीजा यह है कि ज़मीन की कीमतें आसमान पर चढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति में मकानों की संख्या बढ़ाने का हमारा जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो सकता और जब तक मकानों की संख्या नहीं बढ़ेगी, मकान मालिकों और किरायेदारों में जो संघर्ष चल रहा है और जो बढ रहा है और जिस को कम करने का, घटाने का इस कानून के द्वारा हम प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें हम पूरी तरह सफल नहीं हो सकेंगे। समस्या यह है कि दिल्ली में मकानों की कमी है और जिन को निश्चित आय है, जिनको महीने में बंधी बंधाई तनख्वाह मिलती है, कम तनख्वाह वाले जो लोग हैं उनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं और उनके बारे में भी कुछ सोचा जाता। होना तो यह चाहिये था कि सरकार ऐसी आमदनी वाले वर्ग के लिए बहुत बड़ी संख्या में मकान बनाने की योजना अपने हाथ में

[श्री वाजपेयी]

लेती और अगर सरकार चाहे तो दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन को सहायता दे कर उसे इस बात के लिएप्रेरित कर सकती है कि वह दिल्ली और नई दिल्ली में कम से कम १०,००० मकान बनाने की योजना अपने हाथ में ले ताकि छोटी आमदनी वाले लोगों के लिए मकान सुलभ हो सकें। लेकिन ऐसी कोई योजना हाथ में नहीं है। मकानों का अभाव है, रहने वालों की संख्या अधिक है और इसका परिणाम है संघर्ष। वैसे मकान मालिकों और किरायेदारों में वर्ग संघर्ष हो इससे मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, परस्पर विरोधी नहीं। मगर स्थिति कुछ ऐसी बिगड़ रही है कि उनके सम्बन्धों में वर्गवाद आ रहा है और वे एक दूसरे से परेशान हो रहे हैं। होना यह चाहिये कि हम उस सम्बन्ध को ठीक आधार पर स्थित करें लेकिन इसके लिए जो उपाय इस विधेयक के अन्तर्गत अपनाया गया है, मैं समझता हूं कि वह पर्याप्त नहीं है।

एक बात जिसकी ओर मेरे मित्रों ने ध्यान खींचा है वह यह है कि मकान मालिकों को रेंट हालिडे दिया जा रहा है। मालिक मकानों को किराये के मामले में जो छूट्टी दी जा रही है इसका नतीजा यह होगा कि किरायेदारों को मकानों से ही छुट्टी हो जायेगी। जो भी मकान मालिक हैं और यह पिछले वर्षों का अनुभव बताता है, वे बड़े मकान बनाते हैं, ऊंचे व अच्छे अच्छे मकान बनाते हैं जो साधारण व्यक्ति की पहुंच के बाहर होते हैं। नई दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में बने हुए मकान इसका जीता जागता प्रमाण हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की हालिडे देने का कोई औचित्य नहीं है और अगर देने पर सरकार तुली ही हुई है और चाहती है कि उनके साथ उदारता बरती जाये तो मेरा निबेदन है कि जो मकान मालिक लो इनकम ग्रुप के लिए मकान बनाने का वचन दें उन्हीं को छूट दी जाये, अन्य मालिक मकानों को नहीं। मैं समझता हूं कि यह सुझाव सरकार को मान्य होगा। अगर बस्तुतः इस हालिडे देने का हमारा उद्देश्य यह है कि मकान अधिक सख्या में बनें और ऐसे मकान अधिक संख्या में बने जो साधारण व्यक्ति की पहुच के अन्दर हों तो मैं समझता हूं कि हर एक मकान-मालिक को चाहे वह कैसे मकान भी बनाये छूट देने की आवश्यकता नहीं है, उसमें मर्यादा होनी चाहिये, कोई सीमा का निर्धारण होना चाहिये। मुझे विश्वास है कि सरकार इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करेगी।

जहां तक किरायेदारों को बेदखल करने का सवाल है मैं समझता हूंकि इस विधेयक में सब से बड़ी खामी यह है कि इसे रिट्रास्पैक्टिव ईफैक्ट दिया जा रहा है। जिन किरायेदारों ने सब-टेनेंट रखे हुए हैं उन्होंने मजबूरी से रखे हुए हैं, वे अधिक किराया नहीं दे सकते हैं, इसलिये रखे हुए हैं। दूसरे की मुसीबत देख कर के, क्योंकि उसे मकान नहीं मिलता था तथा देश के विभाजन के कारण वह पीड़ित था उसे अपने घर में बसाया, स्वयं को कष्ट का निमंत्रण दे कर। अब यह कानून बनाया जा रहा है कि ९ जून, १९५२ के बाद के जो भी सब-टेनेंट हैं अगर यह कानून बन गया—मैं तो आशा करता हूं कि नहीं बनेगा, सरकार समझदारी से काम लेगी, लेकिन अगर बन गया—तो लाखों व्यक्ति बेघरबार हो जायेंगे। इस सवाल पर केवल कानूनी दृष्टि से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से विचार किये जाने की आवश्यकता है। लाखों लोग जो कि पहले तो राजनीतिक कारणों से बेघरबार हुए, अब स्वतंत्रता और विभाजन के ११ वर्ष व्यतीत होने के बाद इस कानून के फलस्वरूप बेघरबार हो जायेंगे। मैं समझता हूं कि उनके प्रति यह बड़ा अन्याय होगा और अगर यह कानून बन गया तो यह सदन उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। मुझे आशा है कि सरकार इस कानून को रिट्रास्पैक्टिव ईफैक्ट से लागू करने के सम्बध में जो भी व्यवस्था की गई है, उसमें संशोधन स्वीकार करेगी। बेदखल करने का काम इस कानून के लागू होने के बाद से होना चाहिये और उसमें भी अगर किसी ने सब-टेनेंट रखा है और मकान मालिक को आपत्ति नहीं है या उस ने एक साल के भीतर आपत्ति नहीं की है तो उस टेनेंट को सब-टेनेंट रखने का अधिकार होना चाहिये। लेकिन ९ जून, १९५२ मेरी समझ में नहीं आया है कि यह तिथि किस पंचांग के अनुसार निर्धारित की गई है। इसके पीछे तर्क क्या है

और ९ जून पर हम कैसे पहुंच गये। सन् १९५२ तो मेरी समझ में आ सकता है लेकिन ९ जून को क्यों छांटा गया है और किस गणित से हम इस तिथि पर पहुंचे हैं यह मेरे लिये एक रहस्य ही है। मैं आशा करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा अंधेरा दूर हो और रोशनी आये।

इस विधेयक में यह भी व्यवस्था है कि . . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अभी माननीय सदस्य बहुत कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री बाजपेयी : थोड़ा तो जरूर कहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर सोमवार को सही ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन से, जो कि इस सभा में १० दिसम्बर, १९५८ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।'

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री बाजपेयी** (बलरामपुर) : श्रीमान्, मैंने हिन्दी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के बारे में एक विधेयक प्रस्तुत करने की सूचना दी थी । किन्तु मेरा विधेयक इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है कि मैंने इसी विषय का एक संकल्प रखने की भी सूचना दी है । मैं समझता हूं यह कोई उचित युक्ति नहीं है । इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस रिपोर्ट को इस विशेष संशोधन के साथ स्वीकार किया जाये कि मुझे इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह रिपोर्ट कल सभा में प्रस्तुत की गई थी । यदि किसी सदस्य को कोई संशोधन प्रस्तुत करना था तो उसकी नियमित रूप से सूचना देनी चाहिये थी । अभी तक मेरे पास किसी संशोधन की सूचना नहीं पहुंची । इसलिये अब ऐसा करना कठिन है । अगले सत्र में आप इसके लिये प्रयत्न करें ।

श्री वें० प० नायर (क्विलोन) : श्रीमान् मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि यदि कोई सदस्य किसी विधेयक की सूचना देता है तथा फिर उसी विषय पर एक संकल्प प्रस्तुत करने की भी सूचना देता है तो क्या यह आवश्यक है कि उसका विधेयक स्वीकार न किया जाये ? विधेयक तथा संकल्प दोनों का पृथक् पृथक् उद्देश्य है संकल्प की स्वीकृति से देश के विधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इससे कोई नई विधि नहीं बनती । वह केवल सभा की इच्छा मात्र व्यक्त करता है । क्या समिति ने इस अन्तर पर ध्यान नहीं दिया . . . . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : समिति ने इन दोनों के अन्तर पर ध्यान दिया है। किन्तु जब समिति के पास यह विधेयक पहुंचा तब माननीय सदस्य का इसी विषय पर एक संकल्प ग्रहीत हो चुका था। इसलिये समिति ने उस विधेयक को रोक लेना उचित समझा। संकल्प पर चर्चा के समय समिति समझ सकेगी कि उनके सुझाव को कितना समर्थन प्राप्त है। और फिर वह सोचेगी कि उन्हें विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये या नहीं। अब मैं मतदान के लिये प्रस्ताव रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन से, जोकि इस सभा में १० दिसम्बर, १६५८ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

(धारा १५ का संशोधन)

†**श्री रामकृष्ण** (महेन्द्रगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री रामकृष्ण** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

जांच आयोग (संशोधन) विधेयक*

(धारा ८ का संशोधन)

†**श्री रामकृष्ण** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जांच आयोग अधिनियम, १६५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि जांच आयोग अधिनियम, १६५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री रामकृष्ण** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

* भारत सरकार के असाधारण गजट—भाग २, अनुभाग २, दिनांक १२-१२-५८ में प्रकाशित।

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक*

अनुसूचि का संशोधन

†**श्री रामकृष्ण** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री राम कृष्ण** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक*

प्रस्तावना का संमोधन तथा अनुच्छेद ३८ का प्रतिस्थापन

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री राजेन्द्र सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद १३६, २२६, २२७, २२८, और २२९ का संशोधन)

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

*भारत सरकार के साधारण गजट भाग २, अनुभाग २ दिनांक १२-१२-५८ में प्रकाशित

सिख गुरुद्वारा विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा सरदार अमरसिंह सहगल द्वारा २८ नवम्बर, १९५८ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :—

"कि भारत संघ के विभिन्न राज्यों में स्थित सिख गुरुद्वारों के सुसंचालन तथा तत्सम्बन्धी मामलों की जांच का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर ३० मार्च, १९५९ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये।"

सरदार अमरसिंह सहगल अपना भाषण जारी रखें।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेंद्रम) : श्रीमान् मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस विधेयक में भारत की संचित निधि से व्यय होने का उपबन्ध है। इसलिये माननीय सदस्य को संविधान के अनुच्छेद ११७(३) के अनुसार पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी चाहिये थी। दूसरी बात यह है कि प्रक्रिया नियमों के नियम संख्या ६९ के अनुसार इस विधेयक के साथ एक वित्तीय व्यय सम्बन्धी ज्ञापन भी लगाना चाहिये था।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह विधेयक धन विधेयक नहीं है। इसलिये ११७(१) के अधीन सिफारिश की आवश्यकता नहीं। रही अनुच्छेद ११७(३) के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति की बात। यह अनुमति विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव के लिये चाहिये। जनमत जानने के लिये विधेयक का परिचालन करने के प्रस्ताव के लिये अनुच्छेद ११७(३) के अन्तर्गत अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यह बात पहले भी कई बार कही जा चुकी है। और फिर विधेयक के खंड ७५(४) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस विधेयक में उपबन्धित सभी व्यय सामान्य बोर्ड निधि में से किये जायेंगे, उनका भार भारत की संचित निधि पर नहीं पड़ेगा। इसलिये यह आपत्ति कोई महत्व नहीं रखती। सरदार अमरसिंह सहगल अपना भाषण जारी रखें।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : श्रीमान् मैं कल यह बता रहा था कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह की सल्तनत के साथ साथ गुरुद्वारों की मान प्रतिष्ठा बढ़ी और उनके राज्य के पतन के साथ ही गुरुद्वारों की देखरेख का स्तर फिर से गिर गया। ब्रिटिशर ाज्य की स्थापना के बाद गुरुद्वारों के प्रबन्ध की दशा और भी शोचनीय हो गई। महन्त अथवा ग्रन्थी गुरुद्वारों के स्वतन्त्र मालिक से बन गये। वह उनकी आय को जैसे चाहते व्यय कर सकते थे। धीरे धीरे सरकारी समर्थन और चालों के फलस्वरूप गुरुद्वारों पर सरकार का प्रभुत्व जमता गया। अमृतसर, तरन तारन और ननकाना साहब के एतिहासिक गुरुद्वारों के प्रबन्धक तथा ग्रन्थी भी अपने आपको सिख संगत की अपेक्षा सरकार के हाथों में अधिक सुरक्षित समझने लगे। दूसरे गुरुद्वारों ने इन शिरोमणि गुरुद्वारों का अनुकरण किया। इससे स्थिति पतन की पराकाष्ठा पर पहुंच गई।

(**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए)

तब गुरुद्वारा सुधार आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। मुख्य खालसा दीवान ने गुरुद्वारों के प्रबन्ध में सुधार करने के लिये एक उपसमिति नियुक्त की। किन्तु पुजारियों ने दीवान का कड़ा विरोध किया। 'खालसा' और 'पन्थ सेवक' सिख अखबारों ने सुधार चाहने वालों का साथ दिया। १९१९ के जलियां वाला बाग के निर्मम हत्याकाण्ड के बाद देश की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया। इसका सिखों तथा उनकी संस्थाओं पर भी काफी प्रभाव पड़ा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ईश्वर अय्यर** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के ब्यौरे में यह बताया गया है कि यह विधेयक सिखों द्वारा विभिन्न गुरुद्वारों में की जाने वाली धार्मिक संस्कारों में भेद भाव मिटाने के लिये रखा जा रहा है। मैं समझता हूं कि वर्तमान विधेयक संविधान के अनुच्छेद २५ का उल्लंघन करता है। मैं इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता को इसलिये यह सूचना देना चाहता हूं ताकि बाद में इस विधेयक को शक्ति परस्तात् न करार दिया जा सके।

†**श्री नौशीर** भरूचा (पूर्व खानदेश) : विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों का ववतव्य विधेयक का भाग नहीं होता है। मैं समझता हूं इस विधेयक में कोई एसी बात नहीं जो अनुच्छेद २५ का उल्लंघन करती हो। हम केवल संस्कारों में एकरूपता लाना चाहते हैं। हम किसी की धार्मिक आजादी में बाधा नहीं डालना चाहते। इस औचित्य प्रश्न में कोई सार नहीं है।

†**श्री ईश्वर अय्यर** : मैं अपना औचित्य प्रश्न वापस लेता हूं।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : नव स्थापित सिख लीग का पहला सेशन १९१९ में अमृतसर में हुआ इस में यह मांग रखी गई कि 'स्वर्ण मन्दिर' का प्रबन्ध सरकार के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति के हाथ से लेकर सिखों की किसी प्रतिनिधि जमायत के हाथ सौंपा जाये। विदेशों से भी सिख संस्थाओं ने 'दरबार साहब' का इन्तजाम सरकारी हाथों से लेने के संकल्प भेजे। १३ मार्च, १९२० को पंजाब परिषद में दरबार साहब के बारे में विचार हुआ। तत्कालीन पुजारियों के व्यवहार तथा रवैये के खिलाफ लोगो ने बड़ा विरोध प्रदर्शित किया। इस प्रकार सुधार आन्दोलन जोर पकड़ता गया।

१५ नवम्बर, सन् १९३० को 'अकाल तख्त' पर से सिखों का एक बड़ा भारी आह्वान किया गया कि वह अपनी कोई प्रतिनिधि संस्था बनायें जो कि पन्थ के मामलों तथा गुरुद्वारों की देख भाल करने का कार्य करे। सरकार ने ऐसी मीटिंग होने से पहले ही ३६ सदस्यों की एक समिति बना दी। इसके मुकाबले में सिखों ने १५–१६ नवम्बर को 'अकाल तख्त' पर एक बड़ा भारी जलसा किया और उसमें उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी नामक संस्था की नींव डाली। इस के १७५ सदस्य थे। इस में सभी वर्गों के सिख प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इसकी प्रथम मीटिंग १२ दिसम्बर, १९२० को हुई और उसमें इसके पदाधिकारी चुने गये। 'दरबार साहब' का 'दस्तूर-उल-अमाल' तैयार करने के लिये एक उप समिति बनाई गई। इसके बाद १९२१ में ननकाना साहब में सारे पन्थ का एक एतिहासिक दीवान बुलाया गया जो कि अपनी एक भयानक दुःखान्त घटना के लिये, जिसमें कि सैंकड़ों सिखों को बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया था, बड़ा प्रसिद्ध है। इसमें सिखों में बड़ा रोष भड़क उठा।

१९२१ तक केन्द्रीय शिरोमणि समिति के उत्तरदायित्व तथा अधिकार में बड़ी वृद्धि हो गई। तब पंजाब सरकार ने १६ फरवरी, १९२१ को यह घोषणा की कि वह सिख गुरुद्वारा तथा मन्दिरों की दशा जानने के लिये एक जांच समिति नियुक्त कर रही है।

इस के बाद २० मार्च, १९२१ को फिर 'अकाल तख्त' पर सिखों का एक बड़ा भारी इकट्ठ किया गया। इसमें सरकार की गुरुद्वारों सम्बन्धी नीति तथा तत्सम्बन्धी विधियों पर विचार किया गया। इसमें उन सब सिखों को तुरन्त छोड़ने की मांग की गई जिनको कि गुरुद्वारा सुधार आन्दोलन में कैद किया गया था। किन्तु सरकार ने इसके बदले और अधिक लीडर पकड़ लिये। ८ अप्रैल को प्रवर समिति द्वारा सिख गुरुद्वारा तथा मन्दिर विधेयक पास किया गया था। इसमें २० खंड थे। यह विधेयक बिल्कुल निकम्मा विधेयक था। इस से कोई भी सिख खुश नहीं हुआ। ११ मई को शिरोमणि

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० सि०·सहगल]

गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने इस विधेयक का विरोध करने का निश्चय किया ७ नवम्बर को एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस के दस्ते को साथ ले कर इसके प्रेसीडेंट से 'स्वर्ण मन्दिर' की ५३ चाबियां ले लीं। इसके बाद सिख नेताओं की अंधाधुंध गिरफ्तारी शुरू कर दी गई और उन पर झूठे अभियोग चलाये गये। किन्तु इस सारे जुल्म और जबर ने सिखों को और भी दृढ़ तथा संगठित बना दिया। वह पंथ में सुधार करने के निश्चय पर अडिग रहे। अंत में सरकार को घुटने टेकने पड़े। और उसने १७ जनवरी, १६२२ को सब नेताओं को छोड़ दिया। मगर कुछ दिनों बाद फिर स्थानीय महन्तों के बहाकावे में आकर सरकार ने पंथ के नेताओं को तंग करना शुरू कर दिया। गुरू का बाग गुरुद्वारा कांड में मिस्टर बेरी ने सिखों पर बड़े निर्मम अत्याचार किये। लगभग १४५० लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा गया जो कि इस गुरुद्वारे को सरकारी चुंगल से मुक्त कराने के लिये एकत्रित हुए थे, इस कांड की पंडित मदन मोहन मालवीय, हकीम अजमल खां, मोती लाल नेहरू तथा सी० एफ० एन्ड्रूस प्रभृति नेताओं ने बड़े कड़े शब्दों में भर्त्सना की थी।

क्योंकि यह विधेयक सुधारवादियों की किसी भी आकांक्षा की पूर्ति नहीं करता था। इसलिये उन्होंने इसको पूर्ण रूपेण अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार यह एक मृतक विधान बना रहा। इस प्रकार इन बलिदानों ने सिद्ध कर दिया कि सिख जाति कुरबानी करने में किसी से पीछे नहीं रह सकती।

१६२५ में फिर से नई बातचीत का दौर प्रारम्भ हुआ। पंजाब विधान सभा में ७ मई १६२५ को सिख गुरुद्वारा विधेयक नामक एक नया विधेयक प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक २५ नवम्बर को अधिनियम बना। उस समय सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय बोर्ड की अनुमति तथा सहमति के बिना वह गुरुद्वारों के बारे में कोई अधिनियम नहीं बनायेगी या संशोधन नहीं करेगी। इस केन्द्रीय बोर्ड को अपना नाम स्वयं रखने का अवसर दिया गया। इस ने धारा ४२(२) के अन्तर्गत अपना नाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति रखा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के नियम तथा उपनियम १६२७ में बने।

१६४४ में उक्त अधिनियम में संशोधन किये गये। नये संशोधन विधेयक द्वारा पहली बार अमृतधारी सिख तथा पतित सिख की परिभाषा की गई। इसमें यह भी उपबन्धित किया गया कि जब तक कोई सिख केशधारी सिख के अलावा अमृतधारी सिख नहीं होगा वह प्रबन्धक समिति के लिये चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इसी प्रकार धारा ५ का संशोधन करके अमृतसर, लाहौर, तरनतारन तथा ननकाना साहब, मुक्तसर, पंजा साहब व आनन्दपुर साहब के गुरुद्वारों पर भी समिति का क्षेत्राधिकार स्वीकार कर लिया गया। समिति को गुरुद्वारों के प्रबन्ध के लिये योजनायें बनाने का भी अधिकार दे दिया गया। इस सब से गुरुद्वारों पर सिख सम्प्रदाय का सामूहिक नियंत्रण हो गया।

सिखों के गुरुद्वारे तथा धार्मिक स्थान भारत के सब भागों में फैले हुए हैं। वे सिखों के लिये एतिहासिक महत्व के तीर्थ स्थान हैं। हजारों सिख इन स्थानों पर गुरुओं को श्रद्धांजलियां अर्पित करने जाते हैं। इनका उचित प्रबन्ध होना बड़ा आवश्यक है। किन्तु हमारे देश में एक समान विधियां न होने के कारण प्रत्येक स्थान के व्यवस्था तथा प्रबन्ध के लिये भिन्न-भिन्न सिद्धान्त तथा नियम बने हुए हैं। १६२५ का अधिनियम केवल पंजाब के गुरुद्वारों पर ही लागू होता है। भारत के शेष गुरुद्वारों पर अब भी स्थानीय लोगों का प्रभुत्व छाया हुआ है। इससे इन धार्मिक स्थानों पर बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं। सिख देशभक्तों को इनकी दशा देख कर बड़ी ठेस पहुंचती है। इनके बारे में लगातार शिकायतें आती रहती हैं इन सब त्रुटियों को दूर करने के लिये हमें एक अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम बनाने की बड़ी आवश्यकता है। इनसे सिखों में एकता की भावना उत्पन्न होगी

और वे अपने को एक दूसरे के अधिक निकट अनुभव करने लगेंगे। गुरुद्वारों पर किसी व्यक्ति का अधिकार न हो कर सिख पंथ की मर्यादा के अनुसार 'संगत' का ही प्रभुत्व रहना बड़ा अनिवार्य है।

प्रस्तावित अखिल भारतीय विधेयक में इन विषयों को रखा गया है (१) सिख गुरुद्वारों का उत्तम प्रबन्ध करना (२) पंजाब से बाहर के सिख तीर्थ स्थानों को उचित रूप से अधिसूचित धार्मिक स्थान घोषित करना (३) गुरुद्वारों से संबंधित सम्पत्ति का निश्चय करना (४) विधानिक परिवर्तनों के कारण गुरुद्वारों से संबंधित वर्तमान व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा (५) केन्द्रीय सभा का गुरुद्वारों की स्थानीय प्रबन्धक समितियों पर सम्यक नियंत्रण तथा अधीक्षण रखने की व्यवस्था करना (६) गुरुद्वारों के प्रशासन में विधान त्रुटियों तथा दोषों को दूर करना (७) सारी सिख जाति के धार्मिक हितों का उचित रीति से संरक्षण करना।

मैं आशा करता हूं कि गुरुद्वारों से संबंधित सभी व्यक्ति तथा पंथरक्षक इस विधेयक के पीछे निहित भावना की प्रशंसा करेंगे तथा इस विधेयक के सिद्धान्तों को भली भांति समझने का प्रयास करेंगे वे सिद्धान्त संक्षेप में ये हैं। एक, कि किसी भी धार्मिक स्थान या मन्दिर के प्रबन्धकों को अपने आप को मन्दिर की सम्पत्ति का स्वामी नहीं प्रत्युत न्यासी अथवा सेवक समझना चाहिये। दूसरा, धार्मिक मामले में किसी एक व्यक्ति के आदेशों पर न चल कर सभी श्रद्धालू लोगों की सामूहिक चेतना तथा भावनाओं के अनुरूप काम किया जाना चाहिये। तीसरा, इन सब स्थानों की आय का नियमित लेखा रखा जाना चाहिये तथा इन की आय का उचित रीति से उपयोग किया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक स्थान की आय का कम से कम १५ प्रतिशत धन शिक्षा कार्य में, २५ प्रतिशत औद्योगिक कार्यों में जरूर लगाया जाना चाहिये। इस प्रकार यह ४० प्रतिशत आय जाति अथवा सम्प्रदाय की सामूहिक भलाई में लगनी जरूरी है।

मैं आशा करता हूं कि गुरुद्वारों से संबंधित सभी व्यक्ति मेरी इन भावनाओं से सहमत होंगे तथा इस विधेयक को संसद् के दोनों सदनों का सर्व सम्मति से अनुमोदन प्राप्त होगा।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डा० राम सुभग सिंह (सहसराम): सभापति महोदय, सरदार अ० सि० सहगल जी ने इस सिख गुरुद्वारा विधेयक को यहां प्रस्तुत करते समय जो वृहद् भाषण दिया है, इस का हम सभों पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। सिखों ने सिख गुरुद्वारों और धर्मशालाओं के बारे में जो त्याग और कुर्बानियां की हैं उन्हों ने इस का जो इतिहास प्रस्तुत किया है वह बहुत सुन्दर था और इस के लिये मैं उन को मुबारकबाद देता हूं। वस्तुतः इस इतिहास से मैं खुद इतना परिचित नहीं था और न ही इन सब बातों की जानकारी मुझे थी। इस को सीखने का मुझे अच्छा मौका मिला है।

सिख मजहब के प्रति मेरी प्रगाढ़ निष्ठा है और जितना बलिदान सिखों द्वारा किया गया—यदि मैं सिखों का नाम न लूं तो भी उचित है क्योंकि वे लोग भी बाकी लोगों की तरह से भारत के निवासी हैं—उस की सभी प्रशंसा करते हैं। मगर सिखों में एक खूबी है जिस का मैं जिक्र किये बगैर नहीं रह सकता। वे हर कार्य में अगली कतार में रहते हैं और जब जब देश को उन की सेवाओं की जरूरत हुई, वे पीछे नहीं रहे और जो भी कदम उन्हों ने उठाया उस का देश पर खासा अच्छा प्रभाव पड़ा और देश के हित के कार्यों में इन लोगों ने बराबर हाथ बटाया।

गुरु नानक ने जो एक सामंजस्य का सिद्धान्त चलाया और प्रेम, सहिष्णुता तथा मानवता का पाठ पढ़ाया और उपदेश दिया चाहे हिन्दुस्तान को और चाहे दुनिया को, उस के प्रति सब का मस्तक

†मूल अंग्रेजी में

झुकता है। इस मज़हब के आदिप्रवर्तक ऐसे एक महागुरु थे जिन की शिक्षा या जिन के द्वारा दिये गये उपदेशों की आज भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि उस समय हो सकती थी। आज भी हमारे देश में चाहे वैमनस्य की भावना हो और चाहे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखने की भावना हो वह ज्यों की त्यों बरकरार है और ऐसी हालत में दसों गुरुओं द्वारा दिये गये उपदेशों पर चलने की आज सब से ज्यादा आवश्यकता है।

हम लोगों को एक और भी इस से ज्यादा अच्छा और गहरा सम्बन्ध स्थापित करने का मौका मिलता है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी जोकि दसवें गुरु थे, उन का जन्म बिहार में ही हुआ था। पटना में उन की शिक्षा दीक्षा हुई। लेकिन उस से केवल बिहार में ही नहीं जैसा कार्य आज वहां होता है तथा जो प्राचीन काल से होता आया है—मैं उसे अभिमान की बात नहीं मानता हूं—लेकिन यह कह बगैर नहीं रह सकता कि वहां से ही प्रकाश सब को मिलता है। गुरु गोविन्द सिंह जी ने पटना में जो बाल क्रीड़ा की और आप के सूबे में सभापति महोदय, जो उन्हों ने जौहर दिखाये, उस से सभी परिचित हैं और जैसा मैं ने कहा इन सब बातों की तरफ हमारे देशवासियों का मस्तक झुकता है।

जो परिस्थितियां उस समय थीं वे बहुत ही कठोर थीं। उस समय जिस तरह से लोगों को उन्हों ने संगठित किया वह प्रशंसनीय है। आज संगठन करना एक तरह से आसान है क्योंकि आज स्थिति अच्छी है। उस वक्त बहुत विकट परिस्थितियां थीं। ऐसे हालात में जिस तरह के राज्य की उन्हों ने स्थापना की उस से हम सब को सबक लेना चाहिये। साथ ही साथ गुरुद्वारे उन स्थानों पर स्थापित किये गये जहां कि गुरुओं ने या तो त्याग और कुर्बानियां कीं या उन जगहों पर स्थापित किये गये हैं जहां पर कि उन का जन्म हुआ था या उन जगहों पर स्थापित किये गये जहां से उन्हों ने अपना उपदेश दिया था। इन स्थानों से सभी को ज्योति मिलती है, केवल सिखों को ही नहीं। सिख मज़हब ऐसा मज़हब है जहां सब लोग इकट्ठे होते हैं और जहां जैसे मैं ने कहा प्रेम, सहिष्णुता इत्यादि का पाठ पढ़ाया जाता है।

एक और भी अच्छी चीज़ सिख मज़हब में है। दूसरे मज़हबों में चाहे वह हिन्दू मज़हब हो चाहे मुस्लिम हो—खास तौर पर हिन्दू मज़हब में—तीर्थ स्थानों में बहुत ज्यादा धक्के वगैरह दिये जाते हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ी रहती है, कोई दिमाग से सोचने की वहां बात नहीं की जाती है। यह सिखों का गुरुद्वारा तो एक सुधार की जगह है। यहां पर वे लोग एकत्र हो कर सब विषयों पर सोचते हैं। पुराने जमाने में तो वहां से बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती थीं। उस समय युद्ध किसी को सताने के लिये नहीं होता था, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिये होता था, और ऐसा युद्ध होना चाहिये। हमें गुरुद्वारों से य पाठ मिलता है। हम को चाहिये कि हम ऐसे स्थानों पर साथ साथ बैठ कर अच्छी चीज़ें सीखें और जो हमारी रूढ़ियां हैं उन से ऊपर उठें। असल में तो हिन्दू धर्म में जो रूढ़ियां पैदा हो गई थीं उन को निकाल फैंकने के लिये शिष्यों ने बीड़ा उठाया था। वे कोई भेदभाव नहीं करते थे। जैसाकि मैं ने पहले कहा सिख गुरुद्वारे, धर्मशालायें और उन के तीर्थ स्थान वैसे सभी के हैं। पुराने जमाने में जो दूसरों को सताने के कार्य होते थे उन के खिलाफ सिखों ने आवाज़ उठायी थी। हम को इस से यह शिक्षा मिलती है कि जो कार्य अच्छे हों उन के बारे में सब को सोचना चाहिये और वैसे कार्य करना चाहिये।

आज सरदार जी ने यह बिल सदन के सामने प्रस्तुत कर के हमें यह मौका दिया है कि हम अपने गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। और देश के सामने यह मांग रखें कि केवल अमृतसर और आनन्दपुर साहब का ही सवाल नहीं है लेकिन मुल्क में जो अनेक छोटे छोटे गुरुद्वारे हैं उन का भी ठीक प्रकार से संगठन किया जाये। हमारा निर्वाचन क्षेत्र तो पंजाब से ६०० मील दूर है और

वहां सिख भी बहुत कम हैं फिर भी लोगों ने मिल कर अच्छे गुरुद्वारों की स्थापना की है और आज वहां काफी कीर्तन आदि होता है। कुछ छोटे छोटे स्कूल भी स्थापित हो गये हैं, धर्मशालायें बन गई हैं। मैं चाहता हूं कि जितने धार्मिक स्थान हैं, चाहे गुरुद्वारे हों, या मन्दिर हों या मस्जिदें हों, उन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। उन के पैसे से स्कूल खोले जायें और इस बेकारी के जमाने में उन के पैसे से किसी उद्योग धंधे की स्थापना की जाये ताकि लोग लिखना पढ़ना भी सीख सकें और उन को काम भी मिल सके। हमारे यहां बहुत से मन्दिरों की आय गुरुद्वारों की आय से बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि यह आय देश के गरीबों की भलाई के लिये खर्च की जाये तो यह एक अच्छी चीज़ होगी और इसी नाते मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

केवल पंजाब में या गुरु गोविन्द सिह के जन्म स्थान पटना या नन्देई में ही गुरुद्वारे नहीं, आजकल तो कलकत्ता आदि स्थानों में भी गुरुद्वारे बन रहे हैं और आज सिखों की एक ताकत है। वे अपने हाथ से काम करते हैं, उन की अपने धर्म पर निष्ठा है। सिखों ने देश के लिये बहुत त्याग किये हैं। कांग्रेस के आने से पहले गदर पार्टी आदि के रूप में उन्हों ने बहुत काम किया है। हमें उन के कार्यों का अनुकरण करना चाहिये। आजकल पंजाब में भाषा आदि के नाम पर पैंतरेबाजी हो रही है। मैं तो मानता हूं कि गुरुमुखी भी हमारी भाषा है। हम लोग तो दूर के हैं लेकिन फिर भी हम गुरुमुखी को अपनी भाषा मानते हैं और समझते हैं कि उस को सीखने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिये। लेकिन मैं चाहूंगा कि सिखों को भी ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिये कि लोग समझें कि वे उन को मजबूर कर के अपनी भाषा सिखाना चाहते हैं और उन पर हावी होना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि सिखों की भाषा हमारी अपनी भाषा है। हम तो उस में तनिक भी भेद नहीं मानते। और हमारी जो भाषा है वह भी सिखों की भाषा है उस में उन को भी तनिक भेद नहीं करना चाहिये। मैं समझता हूं कि सब लोगों को और खास कर सिखों को तो गुरु नानक का प्रेम का सिद्धान्त अक्षरशः पालन करना चाहिये ।

हमारे देश में जो बड़े बड़े गुरु हुए हैं, जैसे महात्मा बुद्ध हुए हैं, महात्मा गांधी हुए हैं, गुरु नानक हुए हैं और गुरु गोविन्द सिंह हुए हैं। इन्होंने हमारे देश को बड़ी देन दी है। सिख गुरुओं की देन एक बड़ी अद्भुत देन है और हम को उसे बरकरार रखना चाहिये। हम केवल उन सिद्धान्तों को बरकरार रखने का ही प्रयत्न न करें बल्कि उन की उन्नति के लिये ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करें। हमें चाहिये कि हम सिख गुरुद्वारों के साथ साथ देश के अन्य धार्मिक स्थानों का भी ठीक प्रबन्ध कराने का प्रयत्न करें। और यह काम केवल धर्म प्रचार के लिये ही न हो, हां धर्म प्रचार हो, लेकिन इन स्थानों के रुपये से देश की जनता की भलाई भी करें ताकि धर्म का असली मकसद सिद्ध हो। नानक जी और दूसरे गुरु लोग देश भर में घूमते थे और सब की भलाई के कार्य करते थे।

आज सरदार जी जो बिल लाये हैं मैं उस से सहमत हूं। यह पंजाब की गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के सुधार के लिये है। यह भी आवश्यक है कि जो छोटी छोटी जगहों में गुरुद्वारे स्थापित किये गये हैं उन सब की उन्नति के लिये भी कानून बने और वह कानून लोगों के हाथ में हो। यानी यह न हो कि उस में केवल पार्लियामेंट के सदस्य ही रहें और सारी देखरेख करें। सरदार जी ने अपनी स्पीच के अन्त में कहा है कि जो लोग दसों गुरुओं को मानते हैं और गुरु ग्रन्थ साहब के प्रति जिन की श्रद्धा है उन में से बालिग लोगों को यह सुधार कार्य देना चाहिये। वे अपने मन के मुताबिक कमेटी बनावें और इस कार्य को आगे चलावें और जो एक एक पैसा आवे वह गुरुद्वारों की उन्नति के लिये और देश की भलाई के काम में लगे। इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

†श्री **अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : मैं सरदार अमर सिंह सहगल को इस विधेयक को प्रस्तुत करने और इसे जनमत के लिए परिचालित करने के संबंध में प्रस्ताव लाने के लिए मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने यह सिख पंथ की ही सेवा नहीं की प्रत्युत धार्मिक स्थानों के प्रशासन का सुधार करने की ओर भी एक पग उठाया है। इस विधेयक के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रथम यह कि सिख सम्प्रदाय में काफी समय से जो यह चर्चा चली आ रही थी कि अखिल भारतीय स्तर पर गुरुद्वारों के नियन्त्रण के बारे में कोई विधान हो वह इससे कार्यान्वित होगी। दूसरे सरकार ने भी इस दिशा में सुधार करने सम्बन्धी जो आश्वासन दिये हुये हैं, उन्हें भी वह इसके द्वारा कार्यान्वित कर सकेगी। तीसरे यह कि इससे समस्त भारत के गुरुद्वारों के प्रशासन के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित बोर्ड की स्थापना हो जायेगी, जिसे खर्च इत्यादि के भी सभी अधिकार होंगे।

गुरुद्वारों का नियन्त्रण अपने हाथों में लेने के लिए सिखों ने जो बलिदान किये हैं, उसका उल्लेख श्री अमर सिंह सहगल कर चुके हैं। उन बलिदानों के कारण ही हमें यह १९२५ का अधिनियम प्राप्त हुआ था, और उन्होंने ठीक कहा है कि वह सन्तोषजनक नहीं था। परन्तु हालात के अनुसार उसे स्वीकार कर लिया गया था। इस दिशा में किये गये बलिदानों की कहानी भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों द्वारा लिखी हुई है। उसने महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं को भी प्रभावित किया था। विदेशी सत्ता के विरुद्ध यह प्रथम गैर-सरकारी संघर्ष था, जिसके परिणामस्वरूप हमें अपने धार्मिक स्थानों का नियन्त्रण प्राप्त हुआ। आज इस विधेयक के सम्बन्ध में सभी वर्गों के सिख एकमत हैं। पंजाब की भाषा समस्या को सुलझान के समय जब राज्य के सभी वर्गों ने क्षेत्रीय सूत्र को स्वीकार कर लिया था तो भारतीय नेताओं से यह प्रार्थना की गयी थी कि अखिल भारतीय स्तर पर गुरुद्वारों का नियन्त्रण करने के लिए भी एक एकीकृत विधान अपेक्षित है। मुझे प्रसन्नता है कि श्री सहगल के विधेयक के प्रति गृह-कार्य मंत्रालय की भी सहानुभूति है और वह जनमत के लिए परिचालित होने जा रहा है।

इस विधयक द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर गुरुद्वारों के नियन्त्रण की व्यवस्था होगी। पंजाब में भी गुरुद्वारा अधिनियम है, और उसमें संशोधन करने का मामला राज्य विधान सभा के समक्ष है। परन्तु उसका क्षेत्र सीमित है और बोर्ड के अधिकारों पर भी कुछ प्रतिबन्ध हैं। इस विधेयक द्वारा ये दोनों कमियां पूरी हो जाती हैं। लोकतंत्रीय आधार पर सारा देश इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र में आजायेगा और प्रशासन के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर जो बोर्ड निर्वाचित होगा, उसको सभी प्रकार के अधिकार भी होंगे। लोकतंत्रीय आधार पर बोर्ड निर्माण करने की बात सिख सिद्धान्तों के बिलकुल अनुकूल है। सिख सिद्धान्तों के अनुसार संगत गुरू से भी बड़ी होती है। गुरू गोविंद सिंह जी ने भी खालसा का निर्माण करते समय पांच प्यारों को अपने से अधिक महत्व देते हुये, उनके हाथ से अमृत पान किया। सिख इतिहास म ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जहां गुरू गोविन्द सिंह और उनके बाद महाराजा रणजीत सिंह को संगत के आदेशों का पालन करना पड़ा। मैं यह इस लिए निवेदन कर रहा हूं क्योंकि मैं यह बताना चाहता हूं कि सिख समाज म संगत किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति से बड़ी है। इसलिए निर्वाचित बोर्ड का लोकतंत्रीय होना सिख सिद्धान्तों के अनुसार है और सिख जाति के सभी वर्ग इस विधेयक के आधार भूत सिद्धान्त के पक्ष में हैं। मुझे प्रसन्नता है कि सारे देश में इस विधेयक के समर्थन में वातावरण दिखाई दे रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

कुछ दिन हुये 'हिन्दुस्तान टाइम्स' जैसे प्रमुख दैनिक समाचार पत्र ने भी अपने एक अग्र लेख में इस विधेयक का समर्थन किया था। इससे पता चलता है कि इस बारे में लोग एक मत हैं। हमें प्रसन्नता है कि डा० राम सुभग सिंह जैसे सदन के प्रतिष्ठित सदस्य ने भी विधेयक का समर्थन किया है। बिना किसी जाति पात के भेद भाव के सिख धर्म सेवा और स्मरण का प्रचार करता हुआ मानव की बंधुता तथा ईश्वर के संरक्षण में विश्वास रखता है। इस प्रकार के विधान द्वारा हम प्रत्येक सामान्य व्यक्ति का स्वागत कर सकेंगे। वैसे भी गुरुद्वारे में सभी प्रकार के व्यक्ति आ सकते हैं और किसी पर कोई किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं। ये किसी सम्प्रदाय विशेष की बपौती नहीं।

इस विधेयक के अनुसार पंजाब का गुरुद्वारा अधिनियम समाप्त हो जायेगा और इसकी परिधि काफी व्यापक हो जायेगी। सारा देश इस विधेयक के अन्तर्गत आ जायेगा। पंजाब अधिनियम के लिए भी कुछ संशोधनों का परामर्श दिया गया है, कुछ विवादास्पद सुझाव क्षेत्रीय समिति में भी इस सम्बन्ध में प्रस्तुत हुये, परन्तु हमें उसकी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। क्षेत्रीय समिति की कार्यवाही को गोपनीय रखा जाता है। मेरा यह भी मत है कि क्षेत्रीय सूत्र पंजाबी सूबे से अच्छा है। अन्तरिम बोर्ड म जो पेप्सू के सदस्यों को नामज़द करने की बात है, इसे मैं सिख सिद्धान्तों के विरुद्ध मानता हूं और यह न्यायोचित भी नहीं है। मैं इस कारण भी विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इसका निर्माण लोकतंत्रीय आधार पर किया गया है; पंजाब अधिनियम के प्रतिक्रियावादी उपबन्ध इससे समाप्त हो जायेंग और साथ ही इससे प्रान्तीयता की भावना भी समाप्त हो जायेगी। बोर्ड का निर्माण अखिल भारतीय स्तर पर होगा जिस से हमारा दृष्टिकोण काफी व्यापक हो जायेगा।

लेकिन विधेयक में थोड़ी सी कमियां भी हैं और इसमें समुचित परिवर्तन किये जाने चाहिएं, जो जनमत द्वारा ही हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि यह धार्मिक मामला है और इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं आनी चाहिए। हमें बड़ी शांति से इस मामले पर विचार करना चाहिए और इस प्रकार का विधान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए जिस के द्वारा गुरुद्वारों का सुधार करके सामूहिक जाति के हित में उनका प्रत्येक प्रकार से समुचित नियन्त्रण हो। हम आज देख रहेहैं कि पंजाब में श्री गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति विभिन्न राजनीतिक तत्वों का अखाड़ा बन रही हैं। यह सिखों और देश दोनों के हितों के विरुद्ध है। मैं सरदार अमर सिंह सहगल को यह सुझाव दूंगा कि उन्हें यह प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था हो जाये कि राजनीतिक महत्व के किसी पद पर पदासीन कोई व्यक्ति भी श्री गरुद्वारा प्रबन्धक समिति का सदस्य न बनने पाये। मैं ने यह देखा है कि किस प्रकार लोग अपनी स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाते हैं। और भी कई एक कमियां हैं जो कि विधेयक से दूर की जानी चाहिएं, परन्तु अभी तो यह जनमत के लिए परिचालित किया जा रहा है। वैसे सिखों के सभी वर्गों ने सरदार अमर सिंह सहगल के विधेयक का सभी प्रकार से स्वागत किया है। सभी ने एकमत से इसको आर्शीवाद दिया है। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" (शिवपुरी): सभापति महोदय, सदन के समक्ष समस्त भारतवर्ष में फैले हुए गुरुद्वारों को संगठित करने के लिए और सिख जाति और सिख मज़हब को सुचारु रूप से चलाने के लिए जो यह बिल प्रस्तुत किया गया है मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं। "सिख" शब्द का प्रयोग मुझे करना पड़ेगा किन्तु मैं सिखों को हिन्दुओं से पृथक् नहीं मानता। हिन्दू और सिख दो नहीं हैं एक ही हैं। विशाल हिन्दू जाति के अन्तर्गत सिख भी आ जाते हैं जैसे कि और दूसरे आते हैं। अस्तु मैं एक तो इस बिल में बैठी हुई इस भावना का स्वागत करता हूं कि जिसके अन्तर्गत प्रत्येक हिन्दू को गुरुद्वारों म अपने मत का प्रयोग करने का और उसको सुसंगठित और सुचारु रूप से

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

चलाने का अधिकार प्राप्त होगा। इस समय जो सबसे बड़ा दोष देश में व्याप्त है वह यह है कि प्रत्येक सम्प्रदाय अलग बन गया है और पृथक रूप में अपने आपको संगठित करने का प्रयत्न कर रहा है जिसके कारण राष्ट्रीयता पर एक भयानक छाया पड़ रही है। इस बिल से वह दोष दूर हो जायेगा और हम एक साथ बैठकर यह सोच और समझ सकेंगे कि हम में कोई पृथकता नहीं है।

साथ ही साथ यह भी निर्विवाद है कि इस हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता के लिये, भारतवर्ष के संरक्षण के लिये इस सिख जाति का निर्माण हुआ है। गुरु नानक साहब ने आध्यात्मिक दृष्टि से हिंदुओं को जगाया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि से ऊपर उठने की चेतना पैदा की। किन्तु इस हिन्दू जाति को जीवित और जागृत करने का श्रेय गुरु गोविन्द सिंह को प्राप्त है जिन के द्वारा अनुप्राणित होने के कारण ही सिख भारतवर्ष में सजीवता के साथ जीवित हैं। गुरु गोविन्द सिंह के ये शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं :

अखिल हिन्द में खालसा पन्थ राजे,
जगे धर्म हिन्दू सकल भंड भाजे।
न दीखे कहूं दुष्ट तुर्कन निशानी,
चले सब जगत में धरम की कहानी॥

मैं समझता हूं कि आज भारतवर्ष में जो स्थिति निर्माण हो रही है उस के कारण हमारे पड़ोसी हमारी सज्जनता, हमारी उदारता, और हमारी नैतिकता का दुरुपयोग करते हुए हमारे नाश के लिये तेवर चढ़ाय हुए हैं। ऐसी स्थिति में गुरुद्वारों को और उन के द्वारा सिख जाति को संगठित करने की अनिवार्य आवश्यकता है।

एक बात देश में जो भयावह दिखायी पड़ती है वह यह है कि लोग आज धर्म के लिये धार्मिक लोगों द्वारा दिये गये पैसे का उपयोग राजनीति में करने लगे हैं। और इस का परिणाम यह हो रहा है कि लोगों के हृदयों में से धार्मिक भावना के प्रति अनादर और अश्रद्धा उत्पन्न हो रही है। प्रकारान्तर से धार्मिक लोग ही धर्म के नाश का कारण बन रहे हैं। अस्तु यदि गुरुद्वारों का ठीक प्रकार से संगठन हो जाये और जैसा इस बिल में प्रकट किया गया है उस सम्पत्ति का ठीक प्रकार से उद्धार होता है, उस की ठीक प्रकार से देखरेख होती है, और उस का उपयोग धार्मिक कार्यों के लिये ही होता है, तो फिर इस प्रकार के संघर्ष और इस प्रकार के दोष और जो विषाक्त वायुमंडल का देश में निर्माण हो रहा है यह बन्द हो जायेगा। इस दृष्टि से भी मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

इसी के साथ साथ समूचे भारतवर्ष में जो गुरुद्वारे हैं लोगों को उन के सम्पर्क में आने का अवसर मिलेगा और सिख जो यह समझते हैं कि हम पंजाब के हैं और पंजाब हमारा है उन में भी यह भावना पैदा होगी कि सारा देश उन का है और वे सारे हिन्दुस्तान के हैं और वह हिन्दुओं से कन्धे से कन्धा मिला कर देश का निर्माण करें इस में किसी हिन्दू को आपत्ति नहीं हो सकती। इसी भावना का प्रचार और प्रसार हमें करते रहे हैं और वह भावना इस बिल से पूरी होगी, इस दृष्टि से भी मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और साथ ही अपने मित्र श्री सहगल जी को यह बिल लाने के लिये बधाई देता हूं और समझता हूं कि जिस भावना से उन्हों ने इस बिल को रखा है उस का इस कानून द्वारा प्रचार होगा और आज जो पंजाब में वायुमंडल पैदा हो रहा है अगर उस को भी इस बिल के द्वारा दफना दिया जाये तो बहुत अच्छा होगा। इस के साथ अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब को सुसंगठित और सुव्यवस्थित रखने की भावना से जो सहगल साहब ने यह बिल रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : यद्यपि इस प्रकार के धर्म से सम्बन्धित विधान पर बोलने का मेरा अधिकार तो नहीं है, परन्तु इस विधेयक के लाने में जो प्रयत्न सरदार सहगल ने किये हैं, उस पर मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक के कुछ उपबन्धों पर सदन गम्भीरता पूर्वक विचार करे। हमारे देश में विभिन्न धर्मों की संस्थाएँ हैं और उन का प्रबन्ध बहुत गन्दा है और वे अनुचित हाथों में चली गई हैं। कई संस्थाओं के पास काफी धन और सम्पत्ति भी है परन्तु उसे ठीक और उपयोगी कामों पर नहीं लगाया जाता। सरदार सहगल ने सुझाव दिया है कि गुरुद्वारों के धन का ४० प्रतिशत उद्योगों पर लगाया जाय, ताकि उस धर्म से सम्बन्धित लोगों का कुछ तो लाभ हो। मेरी इच्छा है कि अन्य धार्मिक संस्थायें भी इसी पथ का अनुसरण करें। इस प्रकार के उपबन्ध का मैं स्वागत करूंगा। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि अच्छा यह हो कि हमारे धर्म निरपेक्ष राज्य में सभी धार्मिक संस्थाओं के लिये इस प्रकार का कोई सामान्य विधान बनाया जाय और इस प्रकार की व्यवस्था की जाये जिस से धार्मिक संस्थाओं की निधि का समुचित प्रकार से प्रयोग किया जाये। परन्तु इस के लिये हमें बड़े व्यापक नियमों का निर्माण करना होगा। यदि सभा सचमुच इस दिशा की ओर ध्यान दे तो यह बात सम्भव हो सकती है।

विधेयक के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि प्रस्तावक महोदय ने खंड ३३ में कहा है कि वे व्यक्ति बोर्ड के सदस्य नहीं हो सकते हैं जो (१) ३५ वर्ष से कम उम्र के हों; (२) केशधारी सिख होते हुए अमृतधारी सिख न हों ; और (३) यदि वे पतित सिख हों। पतित सिख से, मेरे विचार में तात्पर्य यही है जोकि बाल कटवाता हो, जैसे हमारे दूसरी सभा के सदस्य डा० अनूपसिंह हैं।

†**सरदार इकबाल सिंह** (फीरोजपुर) : मैं माननीय मित्र की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि पतित सिख वह होता है, जो अमृत पान करने पर भी केश कटवा देता है। बिना केशों के जो लोग सिख धर्म पर निष्ठा रखते हैं उन्हें सहजधारी सिख कहते हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : विधेयक की परिभाषा के अनुसार पतित सिख वह है, जोकि अपनी केश और दाढ़ी कटवाता हो और अमृत पान करने पर भी ४ कुरहतों को न छोड़ता हो। मेरे विचार में यह बात कुछ ठीक नहीं। इस का कोई विशेष कारण हो तो दूसरी बात है अन्यथा सामान्य अवस्था में इस प्रकार की अयोग्यता कोई महत्व नहीं रखती। इस के अतिरिक्त खंड ३५ में स्पष्ट कहा है कि बिना गुरुमुखी जाने कोई व्यक्ति मतदाता नहीं हो सकता। यह बात भी मुझे ठीक नहीं लगी क्योंकि पंजाब में शत प्रतिशत शिक्षा प्रसार तो अभी हुआ नहीं। साथ ही यह भी कहा है कि जिस व्यक्ति को मतदान का अधिकार होगा वह हुक्का तम्बाकू नहीं पी सकेगा। मेरी समझ में यह बात नहीं आई। मेरे विचार में इन सब बातों को ठीक किया जाना चाहिये। धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्ध की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिये कि सारे राष्ट्र को उन से लाभ हो सके।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : मैं सरदार सहगल द्वारा प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि सिख यह अनुभव करें कि उन का सम्बन्ध केवल पंजाब से ही नहीं प्रत्युत भारत भर से है क्योंकि उन के गुरुद्वारे तो भारत भर में सब दूर पाये जाते हैं। इन गुरुद्वारों का प्रशासन इस ढंग से किया जाना चाहिये कि किसी प्रकार की राजनीति का उस में प्रवेश न हो सके। संवैधानिक तौर पर इस बात को बड़ी गम्भीरता से किया जाना चाहिये। हमारा राज्य धर्म-निरपेक्ष राज्य है और ऐसे राज्य में धार्मिक संस्थाओं को राजनीति के प्रभाव से दूर रखना बड़ा आवश्यक है। कुछ भी हो विधेयक का उद्देश्य संविधान के अनुरूप है और इस दिशा में चलते हुए हमें केवल गुरुद्वारों की ही नहीं प्रत्युत सभी धार्मिक संस्थाओं के लिये इसी प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयत्न करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खांडिलकर]

सिखों की बहादुरी के कारण मुझे उन से प्रेम है, उन में अपनी बात कहने और उस पर अड़ने की क्षमता है। उन का यह कहना कि हम अपनी धार्मिक संस्थाओं का अपने देश के संविधान के अनुरूप नियंत्रण करना चाहते हैं, बड़ा महत्व रखता है। आज यदि देश की धार्मिक संस्थाओं को राजनीति के प्रभाव से बचा लिया जाये तो यह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में सक्रिय भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को गु द्वारों की प्रबन्ध व्यवस्था में भाग लेने से वंचित रखा जायेगा। इस बात के लिये मैं इस विधेयक के प्रस्तावक महोदय को मुबारकबाद देता हूं। इस के अतिरिक्त लोकतंत्र के लिये और देश की एकता के लिये यह आवश्यक है कि आज के युग में धर्म को राजनीति से परे रख कर उसे केवल व्यक्ति तक ही सीमित रखा जाये। आज तो धर्म के केन्द्र देश में विघटन का बीज बो रहे हैं। धर्म के नाम पर किसी कृत्य को भी सहन नहीं किया जाना चाहिये जोकि देश के हित के विरुद्ध हो। इस विधेयक को जनमत के लिये परिचालित करने के दौरान और इस के वापिस आने पर सिखों को सब पर यह प्रकट कर देना चाहिये कि वे अपने धर्म को राजनीति से दूर रखते हैं। उन्हें यह भी स्पष्ट कर देना चाहिये कि यद्यपि बहुसंख्या में सिख लोग पंजाब में रहते हैं परन्तु इस के बावजूद सिख धर्म पंजाब की सीमाओं में कैद नहीं। यह सारे भारत का है, और भारतमाता सभी सिखों और सिख धर्म की जन्मदाता है।

आज जब हम देश का विकास कर रहे हैं, तो हमें उस के पिछड़े पन पर खेद होता है। हमारे आस पास के देश बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। परन्तु हम प्रत्येक प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जिन धार्मिक संस्थाओं के पास करोड़ों रुपये फ़ालतू पड़े हैं, वे यदि उसे देश के विकास के लिये दे दें, तो देश में नया जीवन आ सकता है। आज हमें धर्म के ढकोसलों को छोड़ अपने संविधान में निहित आधारभूत सिद्धान्तों को कार्यान्वित करना चाहिये। हमें अपने लोकतंत्र को आगे बढ़ा कर पिछड़ापन दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि हमारा राष्ट्रीय जीवन समृद्धिशील हो सके। इस सुधार में नेतृत्व प्राप्त करने पर मैं सिख जाति को मुबारकबाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि देश के संकट के समय में उन के प्रवर्त्तक ने जो कुछ किया था वही वे भी करेंगे और राष्ट्र को नई दिशा दिखायेंगे।

इन शब्दों से मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अजित सिंह (भटिंडा--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : सब से पहले मैं सरदार अ० सिंह सहगल को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत करने के बाद इस बिल को तैयार किया है और यहां रखा है।

इसके साथ साथ मैं यह भी महसूस करता हूं कि हमारे सिख लीडरों के साथ हमारी गवर्नमेंट ने जो मुहायदे सन् १९५६ में किये थे, उनको पूरा करने का वक्त आ गया है और उनको पूरा किया जाना चाहिये। जनाब वाला, इस बिल को लाने का मकसद यही है कि जितने गुरुद्वारे हैं हिन्दुस्तान के उन सब को युनिफारमिटी में लाया जाये। उनके फंड्स को और उनके ट्रेडीशन्स को बराबर देखा जाये और एक इलेक्टेड बाडी हो जो उन पर पूरा कंट्रोल रखे। यह मूव सिर्फ आज ही नहीं चला है यह मूव सन् १९२० से चल रहा है और सन् १९२५ में सिख गुरुद्वारा ऐक्ट बना। उस वक्त यह ऐक्ट सिर्फ पंजाब पर ही लागू था। सारे हिन्दुस्तान पर इसका कोई असर नहीं था। अब सहगल साहब ने जो यह मूव चलाया है यह काबिले तारीफ है। इसी तरह का एक मूवमेंट चोदहवीं सदी में चला था जिसको विलियम आफ ओकम, जोहन आव पैरिस, मारसिलियो आव पडुआ और गिरसन ने चलाया था। इस मूवमेंट का भी यही मतलब था कि चर्चों में जो महन्त हैं उनको निकाल बाहर किया जाये जिससे कि वे अपने तौर पर कोई काम न कर पायें, चर्चों का इंतिजाम इलेक्टड बाडी करे, और ज्यादा से ज्यादा एरिया उस बाडी में रिप्रेजेंटेड हो। इसी तरह की भावना से सिखों ने भी सन १९२० में जद्दोजहद की थी और गुरुद्वारों से महन्तों को निकाला था। आपको मालूम

होगा कि उस वक्त ननकाना साहब का महन्त नरेनू न सिर्फ गुरुद्वारे में रंडियां नचाता था बल्कि हुक्का भी वहां रखता था और भी बहुत से गलत काम करता था। ज़ैसा कि मेरे दोस्त ने बतलाया उसको निकालने की कोशिश में सरदार लक्ष्मण सिंह और दिलीप सिंह को बड़े दरख्तों से बांधा गया, उनके हाथों में कीलें ठोकीं गयीं और उनको मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। इतना जुल्म और तशद्दद हुआ इस काम पर। लेकिन हमने अपने गुरुद्वारों को आज़ाद कराने के लिये लड़ाई जारी रखी, और उसके साथ हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, महात्मा गांधी और देश के दूसरे नेताओं जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी उसमें हिस्सा लिया। इन लोगों के हिस्सा लेने से हिन्दुस्तान के लोगों के दिलों में एक आजादी की लहर पैदा हुई और फिर सबने मिल कर हिन्दुस्तान को आज़ाद किया। और हिन्दुस्तान को आजाद कराने में सिख गुरुद्वारों की इस लहर का भी बहुत बड़ा हिस्सा है।

जैसा कि अभी हमारे भाई ने कहा, हिन्दुस्तान एक सिक्यूलर स्टेट है। हमारा कांस्टीट्यूशन कहता है कि हर रिलीजन अपने ट्रेडीशन्स के मुताबिक रह सकता है। लेकिन पोलिटिक्स एक दूसरी चीज़ है। इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग रख कर हमको चलना चाहिए।

अभी कुछ बातें सहगल साहब ने अपने बिल में पेश की हैं। मैं उनके मुताल्लिक कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने आर्टिकल ३३ में कहा है कि जो मेम्बरी के लिए उम्मीदवार हो उसकी उम्र ३५ साल हो। मुझे इस पर ऐतराज है। और वह ऐतराज इसलिए है कि हमारे कांस्टीट्यूशन में ३५ साल की उम्र सिर्फ प्रेसीडेंट के लिए रखी गयी है, पर पार्लियामेंट के मेम्बर के लिए २५ साल की ही उम्र रखी गयी है। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट से बढ़कर और कोई बाडी नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के लिए भी वह २५ साल की उम्र मंजूर करें।

उसके बाद उन्होंने वोटर की उम्र २५ साल रखी है। यह उम्र भी मुझे बहुत ज्यादा मालूम देती है। अगर यह उम्र रखी गयी तो बहुत से नौजवान इसके बाहर रह जायेंगे, वह नौजवान जिनके अन्दर मज़हब का बड़ा ज़ज्बा है, जिन्होंने मज़हब की किताबों पढ़ीं हैं और किताबें लिखी हैं वोट नहीं दे सकेंगे। मैं समझता हूं कि उनको वोट का हक होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि वोटर की उम्र १८ से २१ के बीच में रखी जाये।

तीसरी बात उन्होंने यह कही है वही सिख मेम्बर बन सकेगा जो जिबजी साहब जानता हो। वैसे जिबजी साहब तो पढ़ना आसान है। उसमें २० या २२ पीढ़ियां ही हैं जिनको कोई भी याद कर सकता है। मगर देहातों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा नहीं कर सकते हालांकि वे शहर वालों से ज्यादा अच्छे सिख हैं। वे लोग ज्यादातर खेती बाड़ी और दूसरे काम धन्धों में लगे रहते हैं और उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे जिबजी साहब को जबानी याद कर पायें। तो मेरी प्रार्थना है कि इस शर्त को भी कमजोर किया जाये।

आगे चल कर उन्होंने सहजधारी की डेफीनीशन दी है। हमें खुशी है कि सहजधारी सिख हम से ज्यादा गुरुओं के उसूलों को मानते हैं और गुरुद्वारों में ज्यादा जाते हैं। लेकिन सहजधारियों का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि वह खासतौर पर पोलीटिकल परपज के लिए गुरुद्वारों के इन्तिजाम में घुस जायें और अपने पोलीटिकल परपज को आगे बढ़ावें। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सहजधारी की डेफीनीशन सिख धर्म के अनुकूल हो। सिखों ने जो उनकी डेफीनीशन की है वह इस बिल में लायी जानी चहिए।

एक बात आखिर में मैं और अर्ज करना चाहता हूं कि यूनाइटेड पंजाब में यह कनवेंशन था कि सिख मेम्बर ही इस काम में पारटिसिपेट कर सकते हैं। वही इस तरह के बिल को बनाने में हिस्सा लें। मैं इस हाउस के कामपिटेंस को चैलेंज नहीं करता। सब को हक है बोलने का

लेकिन इसका यह नतीजा होगा कि बाहर जो कम्युनल फोर्सेज़ हैं वे यह कहेंगी कि हिन्दुओं की मैजारिटी ने मिल कर यह बिल पास कर दिया तो मैं अर्ज़ करूंगा कि इस हाउस की कोई अहमियत घटती नहीं अगर गैर सिख मेम्बर इसमें हिस्सा न लें। सिख मेम्बरों को ही इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने का मौका दिया जाना चाहिए।

†**श्री खाडिलकर** : यह गलत है, हम यहां पर बतौर हिन्दू नहीं आये हैं।

श्री अंजित सिंह : मैं किसी के राइट को चेलेंज नहीं करता। मैं ने तो यह सजेशन दिया है क्योंकि पंजाब में ऐसी फोर्सेज हैं जो यह ऐतराज कर सकती हैं कि हिन्दुओं ने मिल कर यह बिल पास कर दिया है।

आगे चल कर मैं मोहतरिम सरदार अजित सिंह सरहदी की स्पीच के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वह कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से इस बिल को पास करें, इस को पब्लिक ओपीनियन जानने के लिये भेजें, मगर मैं यह नहीं मानता हूं कि कोई डिमोक्रेटिक तरीके से अमेंडमेंट पंजाब की रीजनल कमेटी ने पास कर दिये हैं तो वह सही हैं। वह इस को अपोज करते हैं।

दूसरी बात मुझे इस सिलसिले में यह कहनी है कि सरदार साहब ने यह तजवीज रखी है कि कोई पोलिटिकल आदमी शिरीमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का मेम्बर न बने। मैं इस मूव को वैलकम करता हूं और उन से प्रार्थना करता हूं कि वह खुद भी उस कमेटी से इस्तीफा दें तो बहुत से लोग उन से सबक सीख सकते हैं। वह एक एग्जाम्पल सैट करें, ताकि दूसरे लोग उस से सबक हासिल करें। डा० राम सुभग सिंह ने अपनी स्पीच में यह कहा कि गुरुद्वारे सिखों के साथ-साथ हिन्दुओं और मुसलमानों के लिये भी हैं। यह बत सच है। हमारे ग्रन्थ साहब में लिखा है—

जे दर आवत जात है, हट के नाहीं कोये,
सो दर कैसे छोड़िये, जो दर ऐसा होये।

वह तो गुरु का द्वार है। उस पर सब का बराबर का हक है, उसमें सब आ जा सकते हैं, बैठ सकते हैं और बन्दगी कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे मजहब के लोग सिखों से डरें नहीं और उन की धार्मिक विद्या और गुरुओं की शिक्षा प्राप्त करने से गुरेज न करें। जनाबे वाला, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सिख धर्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि सिख किसी को डरावें या किसी से डरें। सिख गुरु साहबान के बताये हुए उसूलों पर चलते हैं—उन गुरु साहबान के जिन्होंने चांदनी चौक में अपना सीस—अपना सिर—दे दिया और उन की याद में सीसगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है—

भय काहु को देत नह, नह भय मानत आन

न हम किसी से डरते हैं और न हम किसी को डराते हैं। सिख इस उसूल को मद्दे-नजर रखते हैं। सिख किसी हिन्दू या मुसलमान को नहीं डराते हैं। वे तो इस बात पर विश्वास करते हैं कि :—

अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बन्दे,
एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मन्दे।

हम इस बिल को पब्लिक ओपीनियन जानने के लिये भेज रहे हैं। मैं इस मूव को वैलकम करता हूं। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इट कनसर्न्ज मैनी पीपल इन पंजाब। खासकर सिख कम्युनिटी

†मूल अंग्रेजी में

से इस का बहुत ताल्लुक है। मैं सुझाव दूंगा कि एस० जी० पी० सी० की जेनरल बाडी बैठे और सरदार सहगल साहब वहां उस के साथ मशविरा करें और जो बात वहां तय पाये, उस को मद्दे-नजर रखा जाये ।

इस के अलावा मैं सजेशन देना चाहता हूं कि सिख कौम के नेताओं, सरदार प्रताप सिंह, मास्टर तारा सिंह, ज्ञानी करतार सिंह से सरदार अमर सिंह सहगल मिलें। इस सिलसिले में मेरी भी सर्विसिज हासिल हो सकती हैं ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : सरदार स्वर्ण सिंह ?

श्री अजीत सिंह : सरदार स्वर्ण सिंह मिनिस्टर हैं। उन को मैं नहीं लेना चाहता हूं। पांच आदमियों की कमेटी इस बिल पर विचार करे और इस बारे में जो उस की विचार-धारा हो, उस को कनसिडर किया जाये ।

आखिर में मैं एक इम्पार्टेन्ट पायंट की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। सहगल साहब से मेरी बात हुई है और वह मेरे सुझाव को मानते हैं। जब पंजाब में गुरुद्वारा एक्ट बना था, तो शिड्यूलल्ड कास्ट लोगों के लिये रिजर्वेशन नहीं थी। इसलिये शिड्यूल्ड कास्ट सिखों को, जो कि अमृतधारी सिख हैं, एजीटेशन करनी पड़ी। लाठियां चलीं, गोलियां चलीं, मारपीट हुई। उस के बाद सिखों को यह मानना पड़ा कि शिड्यूल्ड कास्ट सिखों की रिजर्वेशन होनी चाहिये, ये भी हमारे सिख भाई हैं। सहगल साहब ने यह बात कुबूल की है कि अगर शिड्यूल्ड कास्ट सिखों के लिये रिजर्वेशन नहीं होगी, तो उन को गुरुद्वारों के एडमिनिस्ट्रेशन में कभी भी चान्स नहीं मिलेगा। उन्हों ने माना है कि हम इस को कर देंगे। पंजाब में शिड्यूल्ड कास्ट सिखों की आबादी पच्चीस परसेंट है। उस के मुताबिक उन की रिजर्वेशन पच्चीस परसेंट हो ।

आखिर में मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे टाइम दिया। थैंक यू।

चौ० रणवीर सिंह : सभापति महोदय, गुरुद्वारे पवित्र स्थान हैं और यह सही है कि सिखों के लिये वे और भी आदरणीय स्थान हैं, लेकिन हर हिन्दुस्तानी के लिए, जो कि हिन्दुस्तान के बुजुर्गों में विश्वास रखता है, वे आदरणीय स्थान हैं और उन का इन्तज़ाम सही हाथों में हो, यह हर हिन्दुस्तानी चाहेगा और चाहता है और उसी ध्येय को हासिल करने के लिए आज से पच्चीस तीस साल पहले पंजाब के शूरवीरों ने लड़ाई लड़ी थी, ताकि पंजाब में गुरुद्वारों का इन्तज़ाम ग़लत हाथों से निकले और सही हाथों में आयें। लेकिन उस के बाद का एक इतिहास है। मैं डाक्टर खाडिलकर साहब से सहमत हूं कि हिन्दुस्तान में हम ने एक विधान बनाया है और उस के तहत हम चाहते हैं कि देश में सैकुलरिज्म बढ़े और यहां एक सैकुलर स्टेट कायम हो। लेकिन गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का जो बिल पंजाब में लागू है, उस का जो नतीजा हुआ, वह सारे हिन्दुस्तान के सामने है। पच्चीस तीस साल के तिहास ने यह साबित किया है कि अगर उसी ढंग से कोई कानून बनाया जायेगा, तो शायद वह देश के लिये और ुरुद्वारों के लिये खासतौर पर अच्छा साबित न हो। गुरुद्वारे पंजाब के हिन्दुओं के लिये उतने ही पवित्र स्थान हैं, जितने कि सिखों के लिये। अगर आज से पच्चीस तीस साल पहले गुरुद्वारों को देखा जाता, तो मालूम होता---और जिन्होंने देखा है, व जानते हैं---कि वहां पूजा-पाठ के लिए जितने सिख जाते थे, गुरु ग्रन्थ साहब की वाणी को सुनने के लिये तकरीबन उतने ही हिन्दू भी जाते थे और उतनी ही हिन्दू बहनें जाती थीं, जितनी कि सिख बहनें जाती थीं। लेकिन अगर आज का नक्शा उस से मिलाया जाये, तो वह बिल्कुल उलट है।

सरदार इकबाल सिंह : आज भी उतनी ही जाती हैं। आज भी दरबार साहब में हिन्दू ज्यादा जाते हैं।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : कम हो रहे हैं।

चौ० रणवीर सिंह : मुझे खुशी हो अगर सरदार इकबाल सिंह की बात सही साबित हो, लेकिन मुझे खदशा है कि यह बात सच नहीं है। सरदार इकबाल सिंह की जो इच्छा है, वही मेरी इच्छा है। मेरे में, सरदार इकबाल सिंह और सरदार अमर सिंह सहगल में कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहां बात सदाकत की है। यह सदाकत है कि पिछले पच्चीस साल में--और खासतौर पर पिछले पांच सात साल में--जिन भाइयों के हाथों में गुरुद्वारों की बागडोर रही, उन्होंने पंजाब में फिरकेदारी फैलाने की कोशिश की और फिरकेदारी को फैलाया। इस बात का इतिहास शाहिद है। पंजाब में सच्चर फारमूले के तहत हर एक विद्यार्थी को पंजाबी पढ़ना लाजिमी है, लेकिन पंजा ी और पंजाबी सूबे के नाम पर गुरुद्वारों से मूवमेंट्स लचाई गईं। जैसा कि मेरे साथी ने अभी कहा है, इस बारे में कानून बनाते वक्त हमारा मुद्दा यह होना चाहिये कि इस के जरिये कहीं हम देश में फिरकेदारी को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार और इस सदन पर यह जिम्मेदारी है कि हम ने फिरकेदारी की हवा को रोकना है। जिस वक्त हम इस सभा के सदस्य बने तो हम ने कसम ली थी कि हम ने कांस्टीच्युएन्ट असेम्बली द्वारा बनाये गये विधान को चालू रखना है और एक सैकुलर ढंग का समाज बनाना है। ये कोई बहुत दिनों की बातें नहीं हैं। यह पिछले तीन चार साल पहले का इतिहास है। अमृतसर में क्या कुछ हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है। उस के पीछे कौन सी शक्तियां थीं, यह भी किसी से छिपा नहीं है। मुझे खुशी है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के मौजूदा प्रधान ने--सरदार प्रेम सिंह लालपुरा ने--जुर्रत की है और एलान किया है कि हम गुरुद्वारों को सियासी लड़ाई का मैदान नहीं बनने देना चाहते हैं और नहीं बनने दें। दरअस्ल यही हमारा मुद्दा होना चाहिए। कुछ समय पहले भी कुछ लोगों ने यह राय जाहिर की थी कि गुरुद्वारों में जिस ढंग से चुनाव होते हैं, उन से न तो गुरुद्वा ों का इन्तजाम अच्छा होता है और न ही गुरुद्वारों का जो मन्शा है, वह मन्शा ही पूरा होता है। जो लोग गुरुद्वारों का काम करते हैं, वे फिरकादारी का हवाला देते हैं? और वे सियासी लड़ाई के लिये मैदान और अखाड़े बनते हैं। मुझे पक्का नहीं मालूम लेकिन यह बताया गया है कि वहां पर जो नारा लगाया गया था और बड़े जोर के साथ लगाया गया था उन चन्द साथियों की तरफ से उनके खिलाफ जो अपने आप को सिखों में सब से बड़े कौम परस्त समझते हैं यह था कि पहले तो हिन्दुओं के हाथ में हकूमत दे दी गई है और अब गुरुद्वारों की कुंजी भी हिन्दुस्थों के हाथ में देना चाहते हैं। इस तरह के नारे उन लोगों ने लगाये जो कि उस वक्त इस गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के इन्चार्ज थे और इस तरह से गलत फिज़ा पैदा करने की कोशिश की गई है। ये बातें जो अच्छे-अच्छे हमारे सिख साथी हैं जैसे सरदार उद्धम सिंह ना ोके जी तथा ज्ञानी गुरुमुख मुसाफिर और उसके दूसरे साथियों जिन्होंने कितनी ही इस बात की कोशिश की है कि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का काम सही हाथों में जाये और जिन्होंने देश की खातिर कितने ही सालों की जेलें काटी हैं, उनके बारे में कही गई थीं। हमारा जो संविधान है, हम चाहते हैं कि उसके मुताबिक सब काम हो। हम यह भी चाहते हैं कि गुरुद्वारों का इंतिज़ाम सही हाथों में जाये। जब इन कौमपरस्त सिखों के द्वारा कुछ काम किये गये तो उनके खिलाफ आवाज़ें लगाई गईं और अब मुझे डर है कि जिस तरह से इस बिल को यहां रखा गया है और जिस तरह की क्लाजिज़ इसके अन्दर हैं उनको देखते हुए कहीं वही फिज़ा सारे देश में न फैल जाये, जोकि पंजाब में फैली, कहीं पंजाब में जिस तरह की फिरकादारी फैली हुई है, वह सारे हिन्दुस्तान में न फैल जा। यह फिज़ा जो वहां फैली है पंजाब के गुरुद्वारों से पैदा हुई थी और अब इस बिल के बाद कहीं यह सारे हिन्दुस्तान के गुरुद्वारों में पैदा न हो जाये। यही मुझे सब से ज्यादा डर है।

मैं जानता हूं कि सरदार अ० सिंह सहगल की जो भावना इस बिल के पीछे रही है वह बहुत ही अच्छी रही है और मेरी भावना से भिन्न उनकी भावना नहीं हो सकती है और न है। गुरुद्वारों के

बारे में उनके जो खयालात हैं उनकी मैं कद्र करता हूं, उनका आदर करता हूं। लेकिन जैसे मैंने कहा मुझे खदशा यही है कि पंजाब में जो फिरकादारी इस वक्त है कहीं वह हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों में न फैल जाये, जहां इस समय वह नहीं है।

सभापति महोदय, आप जानते ही हैं कि सियासी बिना पर किसी भी तरह का रिज़रवेशन हम ने सियासी फील्ड में संविधान बनाते वक्त समाप्त करने की बात कही थी और उसको समाप्त भी कर दिया गया है और इसका कारण यह था कि जो स तरह से चुन कर आ ंगे वे सैक्युलर नहीं हो सकते और आमतौर पर इस तरह से चुन कर आने वाले वे लोग होंगे जो फिरकापरस्त होंगे या फिरकादाराना ज़हनियत के होंगे। अगर यह चीज़ सियासी जीवन में सच हो सकती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि यही चीज़ गुरुद्वा ों के इंतिज़ाम के बारे में भी सच हो सकती है और यह चीज़ पिछले तीस सालों के इतिहास से स्पष्ट हो गई है।

अगर चुनाव होते हैं और बिना किसी कटुता के होते हैं तो इससे मुझे बड़ी खुशी होती है। सिख मज़हब को आगे बढ़ाया जाये, इसका प्रसार किया जाये, गुरुग्रन्थ साहिब का प्रचार हो, इसके बारे में कोई दो रायें नहीं हैं, सभी इसके हक़ में हैं।

मैं सके खिलाफ नहीं हूं कि इस बिल को लोगों की राय जानने के लिये प्रचारित न किया जाये और लोगों को इसके बारे में अपने विचार सामने रखने का अवसर न दिया जाये। मैं यह भी महसूस करता हूं कि चुनाव के तरीके को हमें बदलना होगा। मगर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि टोटैलि-`रियन रिजीम का मैं हामी नहीं हूं, मैं डेमोक्रेटिक सिस्टम का, इलैक्शंस का हिमायती हूं। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि गुरुद्वा ों के इंतिज़ाम के लिये अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम को रखा गया तो उससे फिरकादारी पैदा होगी और उसी तरह से पैदा होगी जिस तरह से पंजाब में पैदा हुई है। इसको हमें बढ़ने नहीं देना चाहिये। चुनाव हों लेकिन उनमें इस तरह की बातें न हों, इसका हमें खास तौर पर खयाल रखना चाहिये।

कुछ दोस्तों का खयाल है कि ट्रस्ट होना चाहिये, स गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के लिये। वह ट्रस्ट किस तरह से फंकशन करे और किन को ट्रस्टी बनाया जाये, मैं इसके बारे में कोई आथोरिटी नहीं हूं और न ही मैं कोई पक्की बात इस सिलसिले में कह सकता हूं लेकिन मैं यह जरूर मानता हूं कि उस ढंग से चुनाव नहीं होने चाहियें जिस से फिरकापरस्ती फैलने की सम्भावना हो।

सरदार अजित सिंह सरहदी साहब ने पंजाब की पंजाबी रीजनल कमेटी के सिलसिले में भी जिक्र किया है और जो नया गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का बिल वहां पेश किया गया है, उसका हवाला दिया है। जो सिफारिश उस बिल के बारे में रीजनल कमेटी में की गई है वह मैं समझता हूं सर्व-सम्मति से की गई है और हो सकता है कि चार पांच मैम्बर उसके खिलाफ हों। उस सिफारिश से हमारे सरहदी साहब को इत्तिफाक नहीं है, ऐसा मालूम पड़ता है। लेकिन जैसा सरदार अजित सिंह जी ने कहा और कौन सा दूसरा तरीका हो सकता है। जो हुआ ठीक हुआ और पंजाब असेम्बली के अन्दर जो बिल इस वक्त पेश है और जो तरीका उस बिल में अपनाया गया है, वह मैं समझता हूं सही है और उसमें सरहदी साहब को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : हम विधेयक पर जनमत जानने के लिये इसे परिचालित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं, हालांकि इस समय हम विधेयक के सिद्धान्त अथवा उसके विस्तृत उपबन्धों के सम्बन्ध में कोई वचन नहीं दे सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारत संघ के विभिन्न राज्यों में स्थित सिख गुरूद्वारों के सुसंचालन तथा तत्सम्बंन्धी मामलों की जांच का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर ३० मार्च, १९५९ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि कुछ मामलों में संसद् और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों की परिभाषा करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं, इस महत्वपूण विधेयक को प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

(इस के पश्चात लोक-सभा सोमवार, १५ दिसम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

---

†मूल अंग्रेजी में

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२१८१–२२०३
तारांकित प्रश्न संख्या		
८९०	जम्मू तथा काश्मीर में पलाइंग क्लब	२१८१-८२
८९१	गोखले समिति	२१८२-८३
८९२	कृत्रिम वर्षा	२१८३-८४
८९३	चीन पर बकाया राशि	२१८४-८५
८९४	रबी—आन्दोलन	२१८५–८८
८९५	दिल्ली में कुष्ठ–रोगी	२१८८–९१
८९९	रोहतक तथा खरावर के बीच रेल दुर्घटना	२१९१-९२
९०१	आन्ध्र प्रदेश से चावल की वसूली	२१९२–९५
९०२	वाणिज्यिक दृष्टि से समुद्र का विरोहन	२१९५-९६
९०४	चिकित्सा सम्बन्धी विषयों में प्रशिक्षण	२१९६-९७
९२६	विशेषज्ञों का प्रशिक्षण	२१९७–९९
९०५	पाल के जहाजों के उद्योग के बारे में प्रादेशिक मंत्रणा समितियां	२१९९–२२०१
९०६	मनोरंजन रेलगाड़ी	२२०१-०२
९०८	सहकारी चीनी कारखाने	२२०२-०३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२२०३–७१
तारांकित प्रश्न संख्या		
८९६	हिमाचल प्रदेश में चकबन्दी	२२०३
८९७	ग्राम सहायक शिविर और लोक सहायक सेना प्रशिक्षण शिविर	२२०३
८९८	बकिंघम नहर का यातायात सर्वेक्षण	२२०४
९००	लीलाकड़ी हवाई अड्डा	२२०४

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
६०३	सोवियत रूस में सहकारिता सम्बन्धी प्रशिक्षण	२२०४
६०७	हीराकुद बांध परियोजना	२२०५
६०६	एस० एस० "जगदम्बा" में आग	२२०५
६१०	भारत--तिब्बत सड़क	२२०५
६११	टेलीफोन कनेक्शन	२२०६
६१२	रत्नागिरि के तट पर डाक सेवायें	२२०६-०७
६१३	नागार्जुन सागर परियोजना	२२०७
६१४	रेलगाड़ियों में अनधिकृत विक्रेता	२२०७-०८
६१५	अनाज खाने वाले कीड़े	२२०८
६१६	भारत में पश्चिमी तट पर स्टीमर सेवायें	२२०८-०६
६१७	त्रिपुरा में सहकारी संस्थायें	२२०६
६१८	मध्य प्रदश से गेहूं का निर्यात	२२०६
६१६	कालका मेल में चोरी	२२१०
६२०	अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार	२२१०
६२१	यमुना पर दूसरा पुल	२२११
६२२	जम्मू और काश्मीर में धान और मक्का के मूल्य	२२११
६२३	हिमाचल प्रदश में परिवहन	२२११-१२
६२४	ग्रांड ट्रंक रोड	२२१२
६२५	सड़क परिबहन विवाद	२२१३
६२७	खाद्यान्न की वसूली	२२१३
६२८	डाक कर्मचारियों की मांगें	२२१३
६२६	पम्बन चैनल पर पुल	२२१४
६३०	'सब्जी उगाओ' आन्दोलन	२२१४
६३१	त्रिपुरा में धान की फसल	२२१४
६३२	माल गाड़ियों की टक्कर	२२१५
६३३	'पेयिंग गैस्ट' योजना	२२१५
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
१३४३	विदेशी पर्यटक	२२१६
१३४४	राष्ट्रीय समाज कल्याण बोर्ड की विशेष उप-समिति	२२१६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतरांकित प्रश्न संख्या		
१३४५	रेलवे पदाधिकारियों के लिये सेलून और डिब्बे	२२१६–१७
१३४६	सुरक्षा नियमों तथा विनियमों की पुस्तिकायें	२२१७
१३४७	आसाम में प्राकृतिक उपचार केन्द्र	२२१८
१३४८	ब्रह्मपुत्र में नौ परिवहन	२२१८
१३४९	रेलवे इंजनों के ओवरहालिंग की सुविधायें	२२१८–१९
१३५०	कोटल और पकुर के बीच सवारी गाड़ी का पटरी से उतर जाना	२२१९
१३५१	बम्बई के लिये गवेषणा सम्बन्धी योजनायें	२२१९
१३५२	उद्वहन सिंचाई योजनायें	२२१९
१३५३	बम्बई राज्य से चीनी की निकासी	२२२०
१३५४	मत्स्यग्रहण सम्बन्धी गवेषणा कार्य	२२२०
१३५५	वेज बैंक पर मछली पकड़ना	२२२०
१३५६	केन्द्रीय वन विद्या बोर्ड	२२२१–२२
१३५७	खाद्यान्न	२२२२
१३५८	समुद्री बेतार स्टेशन	२२२२
१३५९	निर्वाह व्यय का देशनांक	२२२२
१३६०	खाद्यान्न भेजने के लिये क्षेत्रीय पद्धति	२२२३
१३६१	परिवार नियोजन	२२२३–२४
१३६२	राज्यों के सहकार मंत्रियों का सम्मेलन	२२२४–२५
१३६३	रेलवे कर्मचारियों द्वारा सोने का तस्कर व्यापार	२२२५
१३६४	घड़ी निरीक्षक	२२२५
१३६५	हिमाचल प्रदेश में गोदाम	२२२५–२६
१३६६	मिरर कार्प किस्म की मछली	२२२६
१३६७	नारकंडा तक रेलवे लाइन	२२२६
१३६८	हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग सम्बन्धी योजना	२२२७
१३६९	हिमाचल प्रदेश में आलू, गेहूं और मकई के बीज	२२२७–२८
१३७०	चम्बा (हिमाचल प्रदेश) में भेड़ पालन	२२२८
१३७१	हिमाचल प्रदेश में मुर्गी फार्म	२२२८
१३७२	हिमाचल प्रदेश में प्रादेशिक मुर्गी फार्म	२२२८–२९
१३७३	बीज सम्बन्धी स्थायी विशेषज्ञ समिति	२२२९
१३७४	रेलवे स्टेशनों के उपागमन मार्गों की मरम्मत	२२३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमश):

अतरांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१३७५	रल सम्पर्क	२२३०
१३७६	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	२२३१
१३७७	क्षतिग्रस्त गेहूं	२२३१
१३७८	बहुप्रयोजनीय आदिम जातीय खण्ड	२२३१
१३७९	"कुथ"	२२३२
१३८०	बाढ़ नियंत्रण के लिये वृहद् योजनाएं	२२३२
१३८१	राजपुरा में लेवल क्रासिंग पर ऊपरी पुल	२२३२–३३
१३८२	अन्तर्राज्यिक जल-विवाद अधिनियम, १९५६ के अधीन नियम	२२३३
१३८३	पाकिस्तान पर बिजली की बकाया राशि	२२३३
१३८४	उत्तर प्रदेश में रामगंगा परियोजना	२२३३–३४
१३८५	भाखड़ा नंगल परियोजना	२२३४
१३८६	काश्मीर में पर्यटक	२२३४–३५
१३८७	धनबाद रेलवे स्टेशन की नई इमारत	२२३५
१३८८	गाजियाबाद और दिल्ली के बीच मालगाड़ी का पटरी से उतरना	२२३६
१३८९	हिमाचल प्रदेश में परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल	२२३६–३७
१३९०	उड़ीसा में वेतरणी और सालन्दी नदियां	२२३७
१३९१	नई रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण	२२३७–३८
१३९२	जठरान्त्रकोप	२२३८–३९
१३९३	उड़ीसा में नेशनल पार्क	२२४०
१३९४	जाली टिकटें	२२४०
१३९५	कर्मचारियों के पदों की समुन्नति	२२४१
१३९६	मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिये गाड़ियां	२२४१
१३९७	विमान परिवहन संघ की बैठक	२२४२
१३९८	झूम पद्धति द्वारा खेती	२२४२
१३९९	धान के बीज	२२४२–४३
१४००	त्रिपुरा में वलय-कूप	२२४३
१४०१	सूरतगढ़ फार्म	२२४३
१४०२	सूरतगढ़ फार्म में ट्रैक्टर	२२४३–४४
१४०३	सिंचाई सम्बन्धी क्षमता का उपयोग	२२४४
१४०४	वर्षा के कारण गेहूं की लदानों को क्षति	२२४४–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः) तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१४०५	दिल्ली में खाद्य उत्पादन	२२४५
१४०६	भाड़े के शुल्क की हानि	२२४५
१४०७	मनीपुर में हाथी	२२४५–४६
१४०८	आन्ध्र में कड़पा-करनूल नहर	२२४६
१४०९	सवारी गाड़ी के डिब्बे बनाने वाला कारखाना, पैराम्बूर	२२४६
१४१०	बम्बई में नई रेलवे लाइन	२२४७
१४११	डीजल कार	२२४७
१४१२	खाद्य की प्रति व्यक्ति खपत	२२४८
१४१३	रेलवे मंत्री के साथ मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	२२४८
१४१४	उत्तर—रेलवे पर नई लाइनों का सर्वेक्षण	२२४९
१४१५	मनीपुर में पर्यटन	२२४९
१४१६	परिवार नियोजन	२२४९—५१
१४१७	उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार भवनों का निर्माण	२२५१
१४१८	प्राथमिक विपणन समितियां	२२५१
१४१९	त्रिपुरा में डाक सेवायें	२२५१–५२
१४२०	पंजाब के लिए खाद्यान्न	२२५२
१४२१	नजफगढ़ विकास खण्ड के लिये सिंचाई योजना	२२५२
१४२२	लम्फाल में कृषि स्कूल	२२५२
१४२३	दिल्ली में बिजली का संभरण	२२५२–५३
१४२५	शिल्प तथा कुटीर उद्योग	२२५३
१४२६	सड़क दुर्घटनायें	२२५३
१४२७	तार जांच समिति का प्रतिवेदन	२२५३–५४
१४२८	जम्मू तथा काश्मीर में डाक तथा तार भवन	२२५४
१४२९	चण्डीगढ़ में डाक तथा तार भवन	२२५४
१४३०	अमृतसर सेंट्रल टेलीग्राफ आफिस के लिए इमारत	२२५५
१४३१	बूट पालिश एकाधिकार ठेके	२२५५–५६
१४३२	स्वचालित यातायात नियंत्रण सिगनल	२२५६
१४३३	गंगा नदी पर पुल	२२५६–५७
१४३४	सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों के लिये शरद्कालीन वर्दी	२२५७
१४३५	चूहा विरोधी अभियान	२२५७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
१४३६	सब्जी और दालों के भाव	२२५८
१४३७	दानेदार चीनी का उत्पादन	२२५८–५९
१४३८	मेडिकल कालेज	२२५९—६१
१४३९	कृषि अर्थशास्त्रियों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	२२६१–६२
१४४०	पर्यटक विकास परिषद्	२२६२
१४४१	दिल्ली के बिजली घर के लिये जल संभरण	२२६२
१४४२	पंजाब में कृषि योजनायें	२२६३
१४४३	लावारिस सामान	२२६३
१४४४	उत्तर रेलवे में नैमित्तिक श्रमिक	१२६३
१४४५	हिमाचल प्रदेश में उचित मूल्य वाली दुकानें	२२६३–६४
१४४६	कल्याण रुई की फसल	२२६४
१४४७	रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले	२२६४
१४४८	गाड़ी निरीक्षक	२२६५
१४४९	डाक व तार कर्मचारी	२२६५
१४५०	राष्ट्रीय राजपथ	२२६५–६६
१४५१	सहकारी चीनी कारखाने	२२६६
१४५२	स्टेशनों पर बिजली लगाना	२२६६
१४५३	पंजाब में चावल	२२६७
१४५४	ट्रंक काल	२२६७
१४५५	राजस्थान में केन्द्रीय गोदाम	२२६८
१४५६	स्टेशन	२२६८
१४५७	डाकखानों से गायब रकम	२२६८
१४५८	त्रिपुरा में "बौन डाइजेस्टर"	२२६८–६९
१४५९	उर्वरक	२२६९
१४६०	त्रिपुरा में सिंचाई के छोटे कार्य	२२६९
१४६१	माल डिब्बों का काटना	२२६९–७०
१४६२	सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रारों का सम्मेलन	२२७०
१४६३	दिल्ली में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	२२७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र		२७१
	दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की	

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमश :)

गयी कार्यवाही के बारे में निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या ३ पांचवां सत्र, १६५८।

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या १२ चौथा सत्र, १६५८ ।

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या १४ तीसरा सत्र, १६५७ ।

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १८ दूसरा सत्र, १६५७।

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन . . . २२७२

छठा और सातवां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया ।

राज्य सभा से संदेश २२७२

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य-सभा ने १० दिसम्बर, १६५८ की अपनी बैठक में लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक, १६५८ को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव पारित कर दिया है और यह प्रार्थना की है कि लोक-सभा उक्त प्रस्ताव से सहमत हो और उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम राज्य-सभा को बताये ।

विधेयक—पुर:स्थापित २२७३-७४

विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक, १६५८ ।

चलचित्र (संशोधन) विधेयक, १६५८ ।

विधेयक—विचाराधीन . . . . . २२७४—६३

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक, १६५८, पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन —स्वीकृत . . २२६३-६४

बत्तीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित २२६४-६५

श्री राम कृष्ण का औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १६५८ **(धारा १५ का संशोधन)** ।

श्री राम कृष्ण का जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, १६५८ **(धारा ८ का संशोधन)** ।

श्री रामकृष्ण का न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक, १६५८ **(अनुसूची का संशोधन)** ।

विषय पृष्ठ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित—क्रमशः

श्री राजेन्द्र सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक १९५८ **(प्रस्तावना का संशोधन और अनुच्छद ३८ का प्रतिस्थापन)**।

श्री श्रीनारायण दास का संविधान (संशोधन) विधेयक, १९५८ **(अनुच्छेद १३६, २२६, २२७, २२८, और २२९ का संशोधन)**।

विधेयक के परिचालन के लिये प्रस्ताव—स्वीकृत . . २२९६–२३१२

सरदार अमर सिंह सहगल ने सिख गुरुद्वारा विधेयक पर ३० मार्च, १९५९ तक राय जानने के लिये उसे परिचालित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा के बाद विधेयक के परिचालन के लिये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक–विचाराधीन . २३१२

श्री नौशेर भरूचा ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि संसदीय विशेषाधिकार विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सोमवार, १५ दिसम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, अग्रेतर विचार। वर्ष १९५८–५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा।

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन . २२९३–९४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित २२९४–९५

(१) श्री राम कृष्ण का औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (धारा १५ का संशोधन) २२९४

(२) श्री राम कृष्ण का जांच आयोग (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन) २२९४

(३) श्री राम कृष्ण का न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक (अनुसूची का संशोधन) २२९५

(४) श्री राजेन्द्र सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक (प्रस्तावना का संशोधन तथा अनुच्छेद ३८ का प्रतिस्थापन) . . २२९५

(५) श्री श्रीनारायण दास का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १३६, २२६, २२७, २२८ और ३२९ का संशोधन) . २२९५

सिख गुरुद्वारा विधेयक—

परिचालित करने का प्रस्ताव २२९६—२३१२

सरदार अ० सिं० सहगल २२९६—९९

डा० राम सुभग सिंह २२९९—२३०१

श्री अजित सिंह सरहदी . २३०२–०३

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" २३०३—०४

श्री वें० प० नायर २३०५

श्री खाडिलकर २३०५—०६

श्री अजित सिंह . २३०६—०९

चौधरी रणवीर सिंह २३०९—११

श्री हजारनवीस २३११—१२

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २३१२

श्री मौशीर भरूचा २३१२

दैनिक संक्षेपिका . . . २३१३—२०

सामेकित विषय-सूची (१ दिसम्बर से १२ दिसम्बर, १९५८) १—७